nwda.gov.in

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2022–23

नई दिल्ली

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2022–23

नई दिल्ली

महानिदेशक की ओर से

मुझे वर्ष 2022–23 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह रिपोर्ट जल संसाधन विकास के क्षेत्र में राजविअ के कार्यों और उपलब्धियों का व्यापक अवलोकन करती है, विशेष रूप से नदियों को जोड़ने (आईएलआर) के रूप में जाना जाने वाला जलके अंतर–बेसिन और अंतः–बेसिन जल अंतरण के रूप में।

राजविअ की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार एक सोसायटी के रूप में की गई थी और यह पूरी तरह से जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपीए) का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2021–22 के संशोधित आकलन के तहत बजट के आवंटन और केबीएलपीए प्राधिकरण और केबीएलपीए की संचालन समिति के गठन के साथ शुरू किया गया था। प्रारंभिक ध्यान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना, वन मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी की शर्तों के अनुपालन को पूरा करने, परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति, दौधन बांध का मॉडल अध्ययन, बुनियादी ढांचे के विकास और उत्तर प्रदेश की चरण–I और II परियोजनाओं की डीपीआर आदि पर है जो प्रगति पर हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान डिजाइन कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए केबीएलपीए के तकनीकी सलाहकार समूह का भी गठन किया गया और परियोजना के विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए एससी– केबीएलपीए की तीन बैठकें, केबीएलपीए की तीन बैठकें और टीएजी– केबीएलपीए की एक बैठक आयोजित की गई है।
- अध्ययन भाग में भी काफी प्रगति हुई थी। दमनगंगा (एकदरे)–गोदावरी अंत:राज्यीय लिंक परियोजना की अंतिम डीपीआर पूरी हो गई है और महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है तथा दमनगंग–वैतरणा–गोदावरी अंतः–राज्यीय लिंक परियोजना की डीपीआर अंतिम चरण में है। कृष्णा (श्रीशैलम)–पेन्नार और कृष्णा (अलमाटी)–पेन्नार लिंक परियोजनाओं की ड्राफ्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) भी पूरी कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त, गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीफआर) तैयार की गई थी जिसमें 4000 एमसीएम के पथांतरण की संशोधित योजना तैयार की गई थी और संबंधित राज्यों को परिचालित की गई थी। ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पीकेसी लिंक को आईएलआर के एनपीपी का एक हिस्सा और प्राथमिकता लिंक परियोजना में से एक पोषित किया गया है।
- सुबर्णरेखा–महानदी, महानदी–गोदावरी, मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा, गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा और फरक्का–सुंदरबन लिंक परियोजनाओं नामक पांच लिंकों के प्रणाली अध्ययन का कार्य विभिन्न प्रमुख संस्थानों को सौंपा गया था और कार्य प्रगति पर है।
- सातवां भारत जल सप्ताह–2022 इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में 1 से 5 नवंबर, 2022 तक 'समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा' विषय के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संध ने भाग लिया और भारत और विदेश के लगभग 2000+ प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- आईएलआर कार्यक्रम पर काम कर रही सभी महत्वपूर्ण समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आइएलआर संबंधी विशेष समिति (एससीआईएलआर) की एक बैठक, नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफआई,लआर) की दो बैठकें, प्रणाली अध्ययन संबंधी उप–समिति की एक बैठक और आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लि, उप–समिति की

एक बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान राजविअ सोसायटी की 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) और राजविअ के शासी निकाय (जीबी) की 70वीं बैठक भी आयोजित की गई।

- देश में आईएलआर कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में राजविअ की क्षमता बढ़ाने के लिए राजविअ के पुनर्गठन और राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (नीरा) के गठन की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।
- मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट वर्ष के दौरान राजविअ की भूमिका, कार्यों और उपलब्धियों तथा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास को उजागर करने में सूचनात्मक होगी।

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक, राजविअ

वर्ष 2022–23 के दौरान राजविअ की गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं

क. केन–बेतवा लिंक परियोजना

- वित्त वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान के तहत बजट के आवंटन के साथ, परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना, वन मंजूरी और वन्यजीव मंजूरी की शर्तों के अनुपालन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। धारा–11 के अंतर्गत 21 गांवों के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिसूचित किया गया है और 21 गांवों का संपत्ति सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। छतरपुर और पन्ना जिलों में 5480 हेक्टेयर शासकीय गैर वन भूमि पीटीआर को हस्तांतरित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पन्ना के 7 गांवों की निजी राजस्व भूमि को भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के सहयोग से 14 राजस्व ग्रामों के पुनर्वास के लिए सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
- सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एससी–केबीएलपी की तीन बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं। 7 अप्रैल, 2022 को आयोजित संचालन समिति की पहली बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, भोपाल, झांसी में राजविअ कार्यालयों को 01.05.2022 से केबीएलपीए से जोड़ा गया था और केन–बेतवा लिंक परियोजना के लिए छतरपुर में एक प्रभाग कार्यालय 09.06.2022 को खोला गया था। सीईओ, केबीएलपीए एवं महानिदेशक, राजविअ की अध्यक्षता में केबीएलपीए की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी।
- सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 02.06.2022 को डब्ल्यूआईआई देहरादून द्वारा तैयार एकीकृत भूमि प्रबंधन योजना के विकास की अंतिम रिपोर्ट को जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा दो वन्यजीव अभयारण्यों नामतः मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्यों तथा उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ परियोजना के अंतर्गत लाने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- केबीएलपीए के लिए नियमित आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (एसीईओ) और निदेशक (वित्त) की नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और रिक्तियों को रोजगार समाचार और अन्य दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित किया गया है।केबीएलपीए में विभिन्न पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों के साथ बातचीत के लिए खोज–सह–चयन समितियों की बैठकें मार्च, 2023 में आयोजित की गईं।
- केबीएलपी के ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप परिषद (जीपीएलसी) और पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए निगरानी समिति (एमसी–आर एंड आर) कार्यों का गठन किया गया है।
- केबीएलपीए के लिए पीएमसी सेवाओं की नियुक्ति के लिए परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) की तीन बैठकें और टीएजी–केबीएलपीए की पहली बैठक आयोजित की गई है।
- मध्यप्रदेश के दूसरे चरण के लोअर ऑर, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज के लिए निर्माण कार्य (हेड वर्क और वितरण प्रणाली) प्रगति पर है।
- अन्य शेष घटकों नामत: उत्तर प्रदेश में दो बैराज, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मौजूदा टैंकों का नवीकरण, मौजूदा केन कमांड प्रणाली के नवीकरण और आधुनिकीकरण आदि की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

  31.03.2023 तक केन–बेतवा लिंक परियोजना पर कुल व्यय 8097.79 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य के बजट से खर्च किए गए 2835.87 करोड़ रुपये शामिल हैं।

ख. अन्य प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन

- भारत सरकार ने न केवल केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की, बल्कि पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति तक पहुंचने पर, नदियों को जोड़ने की अन्य प्राथमिकता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बजट में समर्थन की भी घोषणा की।
- गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए गए थे। गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की टीएफआर 4000 एमसीएम के पथांतरण की संशोधित योजना के साथ तैयार की गई थी और संबंधित राज्यों को परिचालित की गई थी। गोदावरी (एसएसएमपीपी)–कृष्णा (पुलीचिंतला) लिंक परियोजना, कृष्णा (श्रीशैलम)–पेन्नार लिंक परियोजना और कृष्णा (अलमाटी)–पेन्नार लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मसौदा पूरा कर लिया गया है।
- दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी अंत:राज्यीय लिंक परियोजना की अंतिम डीपीआर पूरी हो गई है और महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है तथा दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी अतःराज्यीय लिंक परियोजना की अंतिम डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2024 तक व्यवहार्य लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को पूरा करने के उद्देश्य से एनपीपी के अंतर्गत पांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
- कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना की वर्किंग डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श कार्य के लिए राजविअ और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एससीआईएलआर ने आईएलआर के एनपीपी के हिस्से के रूप में ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पीकेसी लिंक के चरण–। को मंजूरी दे दी और 13.12.2022 को आयोजित अपनी 20 वीं बैठक में इस परियोजना को प्राथमिकता लिंक परियोजना में से एक के रूप में घोषित किया।
- विभिन्न विकास विकल्पों का विश्लेषण करने, विभिन्न परिदृश्यों को उत्पन्न करने, आपूर्ति और मांग परिदृश्यों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करने, भूजल पुनर्भरण और संयुक्त उपयोग पर प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, क) सुबर्णरेखा – महानदी ख) महानदी – गोदावरी ग) मानस – संकोश – तीस्ता – गंगा घ) गंगा – दामोदर – सुबर्णरेखा और ड) फरक्का–सुंदरबन लिंक परियोजनाओं के प्रणाली अध्ययन विभिन्न प्रमुख संस्थानों को सौंपे गए थे और कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख संस्थानों को कार्य सौंपने के लिए गोदावरी से गुंडर तक 8 लिंक प्रणालियों के सिस्टम अध्ययन का कार्य भी शुरू किया गया है।

ग. सातवां भारत जल सप्ताह (7वां आईडब्ल्यूडब्ल्यू)–2022

सातवां भारत जल सप्ताह–2022 इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में 1 से 5 नवंबर, 2022 तक आयोजित किया गया था, जिसका विषय "समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा" था।

- भारत की माननीया राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 01.11.2022 को ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के इंडिया एक्सपो सेंटर में राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्रियों की विशिष्ट उपस्थिति में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति और मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जल शक्ति की दृष्टि को मजबूत करते हुए, पात्र में जल डालकर "जल भरो" के शुभ समारोह के साथ हुई।
- श्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में 01.11.2022 को प्लेनेरी सत्र आयोजित किया गया।
- डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ ने 7 वें आईडबल्यूडबल्यू –2022 में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- आईडब्ल्यूडब्ल्यू –2022 के दौरान, चार तकनीकी सत्रों में 10 सेमिनार, 10 पैनल चर्चा, कार्यक्रम और साइड कार्यक्रम शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक बड़े समूह ने भाग लिया और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए।
- महामहिम श्री शोइमजोदा जमशेद प्रथम ऊर्जा और जल संसाधन उप मंत्री ताजिकिस्तान गणराज्य, महामहिम श्री एंग मैरीप्रिस्का विनफ्रेड महुंडी उप जल मंत्री, तंजानिया, ने श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में भारत जल सप्ताह 2022 के 7 वें संस्करण में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- श्री जगदीप धनखड़, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 05.11.2022 को समापन समारोह के साथ 7वां भारत जल सप्ताह–2022 का समापन हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, विशेष सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

(घ) राजविअ का पुनर्गठन और नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण का गठन।

नीरा के गठन के लिए कैबिनेट नोट 28.02.2022 को संबंधित मंत्रालयों को परिचालित किया गया था। व्यय विभाग की सलाह के अनुसार, कैबिनेट नोट को कैबिनेट के समक्ष रखने से पहले, माननीय जल शक्ति मंत्री के अनुमोदन के बाद नीरा के गठन के लिए स्थापना व्यय समिति (सीईई) पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव 23.05.2022 को वित्त मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड किया गया था और अपने इनपुट/टिप्पणियां प्रदान करने के लिए 26.05.2022 को विधि और न्याय मंत्रालय, पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय को ईमेल किया गया था।

- 28.10.2022 को वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। नीरा पर संशोधित कैबिनेट नोट 05.12.2022 को विचार/टिप्पणियों के लिए कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एनईडबल्यूएमए और नीरा के फन्कशन में ओवरलैपिंग के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। तदनुसार, स्थापना–III प्रभाग (एनईडबल्यूएमए के लिए एसएमडी) के साथ हुई बैठक के आधार पर, कैबिनेट नोट संशोधित किया गया और कैबिनेट सचिवालय को भेजा गया।
- 28.10.2022 को वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। कैबिनेट सचिवालय की टिप्पणियों के आधार पर नोट को और संशोधित किया गया और संशोधित प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है।

ङ. वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण बैठकें/गतिविधियां

- राजविअ ने विदेश मंत्रालय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गांधीनगर, गुजरात में 26–29 मार्च 2023 के दौरान आयोजित पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) पर दूसरी जी–20 बैठक में भाग लिया। जल शक्ति मंत्रालय, गुजरात सरकार के जल संसाधन और नर्मदा विभाग और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के तहत विभिन्न संगठनों की भूमिका को प्रदर्शित करते हुए जल पर एक अत्याधुनिक 3 दिवसीय प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसके अलावा भारत में जल संसाधन विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई।
- वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण बैठकें/गतिविधियां अनुलग्नक–IV में दी गई हैं।

.....

विषय सूची

अध्याय क्रमांक	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या
	लघुरूप	12
अध्याय –1	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	16
1.1	परिचय	16
1.2	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार राजविअ के कार्य	18
अध्याय –2	मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा	20
2.1	मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा	20
2.2	केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के कार्यालय	22
2.3	कर्मचारियों की संख्या	22
2.4	राजविअ सोसाइटी	23
2.5	शासी निकाय	26
2.5.1	70वीं शासी निकाय की बैठक	27
2.6	तकनीकी सलाहकार समिति	28
अध्याय –3	नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति,	30
3.1	उप–समितियां और टास्क फोर्स	30
3.2	नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर)	30
3.3	नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की उप–समितियां	30
3.4	नदियों को जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफआईएलआर)	31
3.4.1	एससीआईएलआर, उप–समितियों और टीएफआईएलआर की गतिविधियां	31
3.4.2	एससीआईएलआर की 20वीं बैठक	34
3.4.2.1	टीएफएलआईआर की 16वीं और17वीं बैठक	34
3.4.2.2	टीएफएलआईआर की 16वीं बैठक	35
3.4.3	टीएफएलआईआर की 17वीं बैठक	35
3.4.4	प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की 21वीं बैठक	36
3.4.4.1	नदियों को आपस में जोड़ने पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति	36
अध्याय –4	आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की पहली बैठक	38
4.1	तकनीकी गतिविधियाँ	38
4.2	अंतर–बेसिन और अंत: बेसिन जल अंतरण लिंक पर अध्ययन	38
4.3	एनपीपी के तहत राजविअ द्वारा पूरा किया गया प्रारंभिक अध्ययन	39
4.4	राजविअ द्वारा अध्ययन के तहत जल अंतरण लिंक	41
4.4.1	एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत आईबीडब्ल्यूटी लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति	41
4.4.2	कावेरी (कट्टालाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना	41

4.4.3	बेदती–वरदा लिंक परियोजना	42
4.4.4	नेत्रवती–हेमावती लिंक परियोजना	43
4.5	महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना	45
4.6	एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत आईबीडब्ल्यूटी लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति	47
अध्याय–5	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकरण	50
5.1	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत चिन्हित प्राथमिकता वाले लिंक	50
5.1.1	प्राथमिकता वाले लिंकों पर सहमति बनाने के लिए किए गए प्रयास	50
5.2	केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी)	50
5.3	गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी के जलके पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव	51
5.4	संशोधित पार्बती–कालीसिंध–चंबल (पीकेसी) लिंक को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एकीकृत किया गया	51
अध्याय–6	पार–तापी–नर्मदा और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजनाएं	52
6.1	केन–बेतवा लिंक परियोजना	52
6.2	परिचय	52
6.3	सांविधिक मंजूरियां	52
6.3.1	केबीएलबी का कार्यान्वयन	52
6.3.2	समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर	53
6.3.3	पीआईबी ज्ञापन	54
6.3.4	कैबिनेट नोट	54
6.3.5	राजपत्र अधिसूचना	54
6.3.6	केबीएलपीए के कार्यालय	55
6.3.6.1	केबीएलपी और केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति का गठन	55
6.3.6.2	एससी–केबीएलपी कीपहली,दूसरी और तीसरी बैठक	55
6.3.6.3	केन–बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की पहली बैठक	56
6.3.6.4	केन–बेतवा लिंक परियोजना (एससी–केबीएलपी) की संचालन समिति की दूसरी बैठक	57
6.3.6.5	केन–बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक	58
6.3.6.6	केबीएलपीए की पहली,दूसरी और तीसरी बैठक	58
6.3.6.7	केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की पहली बैठक	59
6.3.6.8	केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की दूसरी बैठक	59
6.3.7	केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की तीसरी बैठक	60
6.3.7.1	केबीएलबी का तकनीकी सलाहकार समूह	61
6.3.8	केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (टीएजी–केबीएलपीए) के तकनीकी सलाहकार समूह की पहली बैठक	62

6.3.9	परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति	62
अध्याय –7	वर्तमान स्थिति	64
7.1	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंतः–राज्यीय लिंक	64
7.1.1	अंतःराज्य लिंक	64
7.1.2	महाराष्ट्र	65
7.1.3	गुजरात	65
7.1.4	ओडिशा	65
7.1.5	झारखंड	65
7.1.6	बिहार	65
7.1.7	राजस्थान	66
7.1.8	तमिलनाडु	66
7.1.9	कर्नाटक	67
7.1.10	छत्तीसगढ़	67
7.2	उत्तर प्रदेश	67
7.3	अंत:–राज्यीय लिंकों के पीएफआर/डीपीआर तैयार करने की वर्तमान स्थिति	68
7.4	अंत:–राज्य लिंकों के पीएफआर/एफआर/डीपीआर तैयार करने की समग्र स्थिति	68
अध्याय–8	अंतः–राज्य नदी लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण प्रदान करना	70
8.1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गतिविधियां	70
8.1.1	पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के तहत नाबार्ड फंडिंग	70
8.1.2	प्रस्ताव की प्रक्रिया	70
8.1.3	राज्यों को निधियां जारी करना	71
8.1.4	तृतीय पक्ष की निगरानी	71
अध्याय –9	पीएमकेएसवाई के तहत 31 मार्च, 2023 तक निधि वितरण	73
अध्याय –10	राजविअ की वेबसाइट	75
10.1	राजविअ की अन्य गतिविधियां	75
10.2	प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ	75
10.3	विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन	75
10.4	राजविअ का नागरिक चार्टर	76
10.5	महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए समिति	76
10.6	इन–हाउस बुलेटिन 'जल विकास' का प्रकाशन	77
10.7	स्वच्छ भारत अभियान	78
10.8	आजादी का अमृत महोत्सव	79
10.9	7वां भारत जल सप्ताह –2022	80
10.9.1	उद्घाटन समारोह	80
10.9.2	तकनीकी सत्र	81

10.9.3	समापन सत्र	83
अध्याय –11	**राजविअ में सतर्कता गतिविधियां**	85
11.1	परिचय	85
11.2	सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले	85
11.3	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	85
अध्याय –12	**राजभाषा(हिन्दी) के प्रयोग को बढ़ावा देना**	87
अध्याय –13	**वित्त और लेखा**	88
13.1	पीएमकेएसवाई–एआईबीपी योजना के तहत राज्यों को दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के लिए केंद्रीय सहायता।	88
13.2	वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राजविअ को सहायता अनुदान और वास्तविक व्यय	88
13.3	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राजविअ का लेखापरीक्षित लेखा	88
अध्याय –14	**आभारोक्ति**	89

अनुलग्नक संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
अनुलग्नक–I	राज्य सरकारों से प्राप्त अंतरू–राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति	90
अनुलग्नक–II	अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 के दौरान राजविअ अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण/सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं	93
अनुलग्नक–III	वर्ष 2022–23 के लिए लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, राजविअ के उत्तर और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के खाते	95
अनुलग्नक–IV	वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण बैठकें/गतिविधियां	96

लघुरूप

एसीएस	अपर मुख्य सचिव
एजीएम	वार्षिक सामान्य बैठक
एआईबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
सीए	केंद्रीय सहायता
सीएडी	कमान क्षेत्र विकास
सीएडीडबल्यूएम	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन
सीसी	नागरिक चार्टर
सीसीए	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र
सीडीओ	केंद्रीय डिजाइन संगठन
सीडीआरसी	वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति
सीई	मुख्य अभियंता
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईसी	केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति
सीईई	स्थापना व्यय संबंधी समिति
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीडबल्यूबी	केंद्रीय भूमि जल बोर्ड
सीएमसी	परामर्श निगरानी समिति
सीपीईएस	केंद्रीय विद्युत अभियांत्रिकी सेवा
सीएसएमआरएस	केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय जल आयोग
सीडबल्यूईएस	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा
सीडबल्यूपीआरएस	केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र
डीईजी	दमनगंगा (एकदारे) – गोदावरी
डीजी	महानिदेशक
डीओओएल	राजभाषा विभाग
डीओडबल्यूआर, आरडी एंड जीआर	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
डीपीएलपी	दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएससी	दमनगंगा–साबरमती–चोरवाड़
डीवीजी	दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी
ईसी	पर्यावरण मंजूरी
ईसीएसडबल्यूजी	पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह
ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
ईएल	ऊंचाई
ईएमपी	पर्यावरण प्रबंधन योजना
ईओआई	रुचि की अभिव्यक्ति

ईआरसीपी	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
एफसीवाई	यमुना का मुक्त जलग्रहण
एफआर	व्यवहार्यता रिपोर्ट
एफआरआई	पूर्ण जलाशय स्तर
एफएस	फरक्का–सुंदरबन
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीबी	शासी निकाय
जीसीए	सकल कमांड क्षेत्र
जीसीजीएएलपी	गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना
जीडीएस	गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा
जीआईए	सकल सिंचाई क्षेत्र
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएलसी	ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप परिषद
जीएसआई	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
जीडबल्यूडीटी	गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
एचए	हेक्टेयर (100 मीटर 100 मीटर)
एचआईसीसी	हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर
आईबीडबल्यूटी	अंतर बेसिन जल अंतरण
आईसी	अन्वेषण सर्किल
आईसीआईडी	सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग
आईएलआर	नदियों को आपस में जोड़ना
आईडी	अन्वेषण प्रभाग
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आई.आई.आर.एस.	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलएमपी	एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना
आईएलआर	नदियों को आपस में जोड़ना
आईएमडी	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईएसडी	अन्वेषण उप–प्रभाग
आईएसडबल्यूआर	अतर–राज्यीय जल संसाधन
आईडबल्यूडबल्यू	भारत जल सप्ताह
केबीएलपी	केन–बेतवा लिंक परियोजना
केबीएलपीए	केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण
केएम	किलो मीटर
केएनएनएल	कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड
एलए	भूमि अधिग्रहण
एलएमपी	लैंडस्केप प्रबंधन योजना
एलटीआईएफ	दीर्घकालिक सिंचाई निधि
एमसीएम	मिलियन क्यूबिक मीटर
एमसी–आर एंड आर	पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए निगरानी समिति

एमसीटीपी	अनिवार्य संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम
एमजी	महानदी–गोदावरी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमआई	वृहद और मध्यम सिंचाई
एमओए	समझौता ज्ञापन
एमओईए	विदेश मंत्रालय
एमओईएफ और सीसी	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओएचए	गृह मंत्रालय
एमओएस	जल शक्ति मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
एमपी	मध्य प्रदेश
एमएसटीजी	मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा
एमडबल्यू	मेगा वाट
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनबीडबल्यूएल	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
एनईडबल्यूएमए	पूर्वोत्तर जल प्रबंधन प्राधिकरण
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित अधिकरण
एनएचआरसी	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईएच	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
एनआईआरए	राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनपीपी	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना
एनआरएससी	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
एनडबल्यूए	राष्ट्रीय जल अकादमी
एनडब्लूडीए	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
ओएल	राजभाषा
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
पीए एफएस	परियोजना से प्रभावित परिवार
पीसीसीएफ (एलएम)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि प्रबंधन)
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएफआर	पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट
पीआईबी	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पीकेसीएलपी	पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना
पीकेएसएलपी	पार्बती–कुनो–सिंध लिंक परियोजना
पीएम एफ	संभावित अधिकतम बाढ़

पीएमसी	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
पीएमसीसी	परियोजना निगरानी और समन्वय सलाहकार
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएमओ	प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएमयू	परियोजना निगरानी इकाई
पीटीएनएलपी	पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना
पीटीआर	पन्ना टाइगर रिजर्व
पीडबल्यूबीएस	प्रारंभिक जल संतुलन अध्ययन
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर एंड आर	पुनर्वास और पुर्नस्थापन
आरआरआर	मरम्मत, नवीकरण और बहाली
एस एंड आई	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण
एससीआईएलआर	नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति
एससी दृकेबीएलपी	केन–बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति
एसजीएम	विशेष सामान्य बैठक
एसआईयू	कर्मचारी निरीक्षण इकाई
एसजेसी	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त
एसएम	सुबर्णरेखा–महानदी
एसएमआई	सतही लघु सिंचाई
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसएसएमपीपी	सीताम्मा सागर बहुउद्देश्यीय परियोजना
एसटीजी	गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ
टीएसी	तकनीकी सलाहकार समिति
टीएजी	तकनीकी सलाहकार समूह
टीएफआईएलआर	नदियों को आपस में जोड़ने पर टास्क फोर्स
टीएफआर	तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट
टीओएलआईसी	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीएस	टोपोशीट अध्ययन
टीएसए	राजकोषीय एकल खाता
यूपी	उत्तर प्रदेश
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
डबल्यूआईआई	भारतीय वन्यजीव संस्थान
डबल्यूपी	रिट याचिका
डबल्यूआर	जल संसाधन
डबल्यूआरडी	जल संसाधन विभाग

अध्याय –1
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

1.1 परिचय

जल सभी जीवित प्रणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। हालांकि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में गुणवत्ता वाले जल की कमी एक बड़ा मुद्दा है। हमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन, साफ–सफाई रखने, बिजली उत्पादनकरने, आग को नियंत्रित करने और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। हालांकि, पृथ्वी पर लगभग 97 प्रतिशत जल खारा जल है और केवल तीन प्रतिशत ताजा जल है। उपलब्ध मीठे जल का लगभग दो–तिहाई ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ की परतों में जमा हुआ है। शेष ताजा जल भूमिगत पाया जाता है और इसका एक नगण्य हिस्सा जमीन पर या हवा में मौजूद होता है।

भारत में प्रति वर्ष 1,170 मिलीमीटर की औसत वर्षा होती है, या वार्षिक लगभग 4,000 घन किलोमीटर बारिश होती है या प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 1,720 क्यूबिक मीटर ताजा जल होता है। भारत में दुनिया की आबादी का 18% और दुनिया के जल संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा है। भारत में वर्षा पैटर्न अंतरिक्ष और समय के साथ बदलता रहता है। भारत में अधिकांश वर्षा, लगभग 75%, मानसून के मौसम के दौरान होती है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिणी भागों की तुलना में भारी वर्षा होती है। वार्षिक मानसून की शुरुआत में अनिश्चितता, कभी–कभी लंबे समय तक शुष्क अवधि और मौसमी और वार्षिक वर्षा में उतार–चढ़ाव के साथ चिह्नित देश के लिए एक गंभीर समस्या है। स्थानीय जल की कमी या खराब जल गुणवत्ता के कारण देश के बड़े क्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाता है। देश में सूखे और बाढ़ के चक्रों में होते है, पश्चिम और दक्षिण के बड़े हिस्सों में अधिक कमी और बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से सबसे गरीब किसानों और ग्रामीण आबादी को भारी कठिनाई होती है। अनियमित बारिश पर निर्भरता और क्षेत्रीय रूप से सिंचाई जल आपूर्ति की कमी,फसल की विफलता और किसान आत्महत्याओं का कारण बनती है। जून–सितंबर के दौरान प्रचुर मात्रा में बारिश के बावजूद, अन्य मौसमों में कुछ क्षेत्रों में पीने के जल की कमी देखी जाती है। कुछ वर्षों में, समस्या अस्थायी रूप से बहुत अधिक वर्षा और कुछ हफ्तो में बाढ़ से तबाही हो जाती है।

उपर्युक्त परिदृश्य और भारत के विभिन्न नदी बेसिनों/उप–बेसिनों के जल संसाधनों की उपलब्धता में भारी मौसमी और स्थानिक असमानता को ध्यान में रखते हुए, जल संसाधनों के समान वितरण और इसके ईष्टतम उपयोग के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक के रूप में जल के अंतर–बेसिन जल अंतरण (आईबीडब्ल्यूटी) पर विचार किया गया है। वर्तमान संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों से जूझते हुए और बहुत कम समय के भीतर कुछ दिनों की भारी वर्षा का सामना करते हुए, आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं और इसके प्रस्तावों को न केवल राष्ट्रीय मोर्चे पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

नदी बेसिनों/उप–बेसिनों की सीमाओं के भीतर और उसके पार जल संसाधनों के ईष्टतम विकास, जो लगभग हर वर्ष बाढ़ और सूखे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, को आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ पारंपरिक और पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों/पद्धतियों के संयोजन से अंतर–बेसिन जल अंतरण परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर शमिल किया जा सकता है।
उपर्युक्त उल्लिखित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि आईबीडब्ल्यूटी की अवधारणा, विचारों और विचार–विमर्श में थी। आईबीडब्ल्यूटी परियोजनाओं की अवधारणा को पहले 1972 में डॉ के एल राव ने 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' और कैप्टन दस्तूर ने 1977 में 'गारलैंड नहर' के रूप में पेश किया था। दोनों योजनाओं की विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा जांच की गई और तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य

नहीं पाया गया। बाद में, अगस्त 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) द्वारा "जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी)" तैयार की गई थी। प्रस्ताव में जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरण की परिकल्पना की गई है। एनपीपी में दो घटक शामिल हैं, नामत: 1) प्रायद्वीपीय नदी विकास और 2) हिमालयी नदी विकास। इस बात पर बल दिया जाता है कि बिजली उत्पादन, बाढ़ और सूखा शमन, नौवहन और मनोरंजक सुविधाओं, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार सृजन के आकस्मिक लाभों के अलावा एनपीपी के कार्यान्वयन से सतही जल से लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, भूजल के बढ़ते उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर का लाभ मिलेगा, जिससे बाढ़ और सूखा शमन के आकस्मिक लाभों के अलावा अंतिम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर और 34 मिलियन किलोवाट विद्युत उत्पादन हो सकेगा।

तदुपरांत, जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के अंतर्गत आने वाले प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण और अन्वेषण (एस एवं आई) कार्य करने के लिए वर्ष 1982 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में राजविअ की स्थापना की गई थी। राजविअ के कार्यों को तब दिनांक 26-08-1981 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1(7)/80–पीपी के पैरा 4 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

इसके बाद भारत सरकार ने दिनांक 11 मार्च, 1994 के संकल्प संख्या 22/27/92–बीएम के माध्यम से एनपीपी के हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए राजविअ के कार्यों को संशोधित किया। दिनांक 26-08-1981 के संकल्प संख्या 1(7)/80–पीपी के पैरा 3 और 5 में निहित राजविअ की सोसायटी और शासी निकाय (जीबी) की ढांचा को भी दिनांक 13 फरवरी, 2003 और 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002–बीएम के माध्यम से संशोधित किया गया और राजविअ के कार्यों को संशोधित किया गया ताकि दिनांक 30–11–2006 की अधिसूचना संख्या 2/18/2005–बीएम के माध्यम से संबंधित राज्यों की सहमति के बाद एनपीपी के तहत नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की गतिविधि को शामिल किया जा सके।

बाद में, जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए अंत:राज्यीय जल अंतरण परियोजनाओं ने भी गति प्राप्त करना शुरू कर दिया। तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय ने जून, 2005 में बिहार जैसे राज्यों में अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की पहचान करने और राजविअ द्वारा अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर)/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के अनुमोदन से अवगत कराया था। जब राजविअ ने भारत सरकार के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे राजविअ द्वारा आगे के अध्ययन के लिए अपने क्षेत्र की अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं के ब्यौरे के बारे में सूचित करें, तो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त, संबंधित सह–बेसिन राज्यों की सहमति से राज्यों द्वारा प्रस्तावित अतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी को भी राजविअ के कार्यों में दिनांक 19 मई, 2011 के संकल्प संख्या 2/18/2005–बीएम/943 के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अलावा, राजविअ के अधिदेश में दो और नए कार्य दिनांक 07-10-2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 2/17/2016–बीएम के माध्यम से जोड़े गए थे, नामतः (i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत परियोजनाओं को शुरू करना/निर्माण करना/मरम्मत करना/नवीकरण/पुनर्वास/कार्यान्वयन करना और (ii) उधार ली गई निधियों या जमा राशि पर प्राप्त धन या

जमा राशि या ब्याज पर दिए गए ऋण के भंडार के रूप में कार्य करना ताकि ऐसी किसी उधार ली गई निधियों/धन/जमा/ऋण आदि के पुनर्भुगतान को सुरक्षित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
यह निर्णय लिया गया है कि राजविअ के कार्य (घ), जल संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी लिंक प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करने तथा सर्वेक्षण एवं अन्वेक्षण कार्य करने के लिए संबंधित राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी लिंक प्रस्तावों की डीपीआर पहले तैयार करने एवं उसके बाद संबंधित राज्यों से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। तथा इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के 16.03.2020 के संकल्प के संदर्भ में भारतीय राजपत्र अधिसूचना 17.03.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।
वर्ष 2021 नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) के युग के लिए महत्वपूर्ण था। देश की पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 22मार्च 2021 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परिणामस्वरूप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपये की कुल लागत पर केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी और परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन नामत: केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के निर्माण को मंजूरी दे दी। संचालन समिति (एससी) और केबीएलपीए के गठन के लिए 11फरवरी 2022 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केबीएलपी का कार्यान्वयन भारत सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा एसपीवी, केबीएलपीए के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसे जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) के एक वर्टिकल के रूप में गठित किया गया है।
राजविअ को उपर्युक्त गतिविधिया/उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए 31.03.2023 तक संशोधित कार्य निम्नानुसार हैं:

1.2 31.03.2023 को रा.ज.वि.अ. के कार्य:

- तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालय नदी विकास घटक के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिये संभावित जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

- विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों तथा हिमालयी नदी प्रणालियों में जल की मात्रा जो कि बेसिन/राज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरित की जा सकती है, के संबध में व्यापक अध्ययन करना।

- प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास से जुड़ी योजना के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

- जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी लिंक प्रस्तावों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करना और उसके बाद प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना।

- राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिये संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।

- नदियों को जोड़ने का एक भाग बनने वाली परियोजनाओं या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम. के.एस.वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वयं या नियुक्त एजेंसी/संगठन/पी.एस.यू. या कम्पनी द्वारा परियोजना को अपने अधीन लेना/निर्माण/मरम्मत/नवीयन/पुनर्वास/क्रियान्वयन करना।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दिए गये ऋण या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त धन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधि/जमा राशि/ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिये वर्तमान या भविष्य दोनों में सोसाइटी की सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) कर सकता है।

- उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

- केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) जो कि दिनांक 22.03.2021 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन द्वारा बनाई गई है, को सहायता देना।

अध्याय– 2
मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा

2.1 मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा

भारत सरकार के अवर सचिव स्तर के महानिदेशक, सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं, जो राजविअ सोसायटी के तकनीकी, कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों सहित दिन–प्रतिदिन के सभी मामलों के प्रति उत्तरदायी हैं। अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान श्री भोपाल सिंह महानिदेशक, राजविअ का कार्यभार संभाल रहे हैं। मुख्यालय में महानिदेशक, राजविअ को मुख्य अभियंता (मुख्यालय), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रशासन), निदेशक (बहु–उद्देशीय एकक इकाई) और दो अधीक्षण अभियंताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राजविअ के 2 क्षेत्रीय संगठन (उत्तर और दक्षिण) हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुख्य अभियंता करता है। 31.03.2022 तक, उत्तरी संगठन के अंतर्गत 3 सर्किल, 7 प्रभाग और 3 उप–प्रभाग हैं। और दक्षिण संगठन के अंतर्गत 2 सर्किल और 8 प्रभाग हैं।

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अधीक्षण अभियंता स्तर तक राजविअ का संगठन चार्ट, जो अन्वेषण सर्कल स्तर से संबंधित है, नीचे दर्शाया गया था:

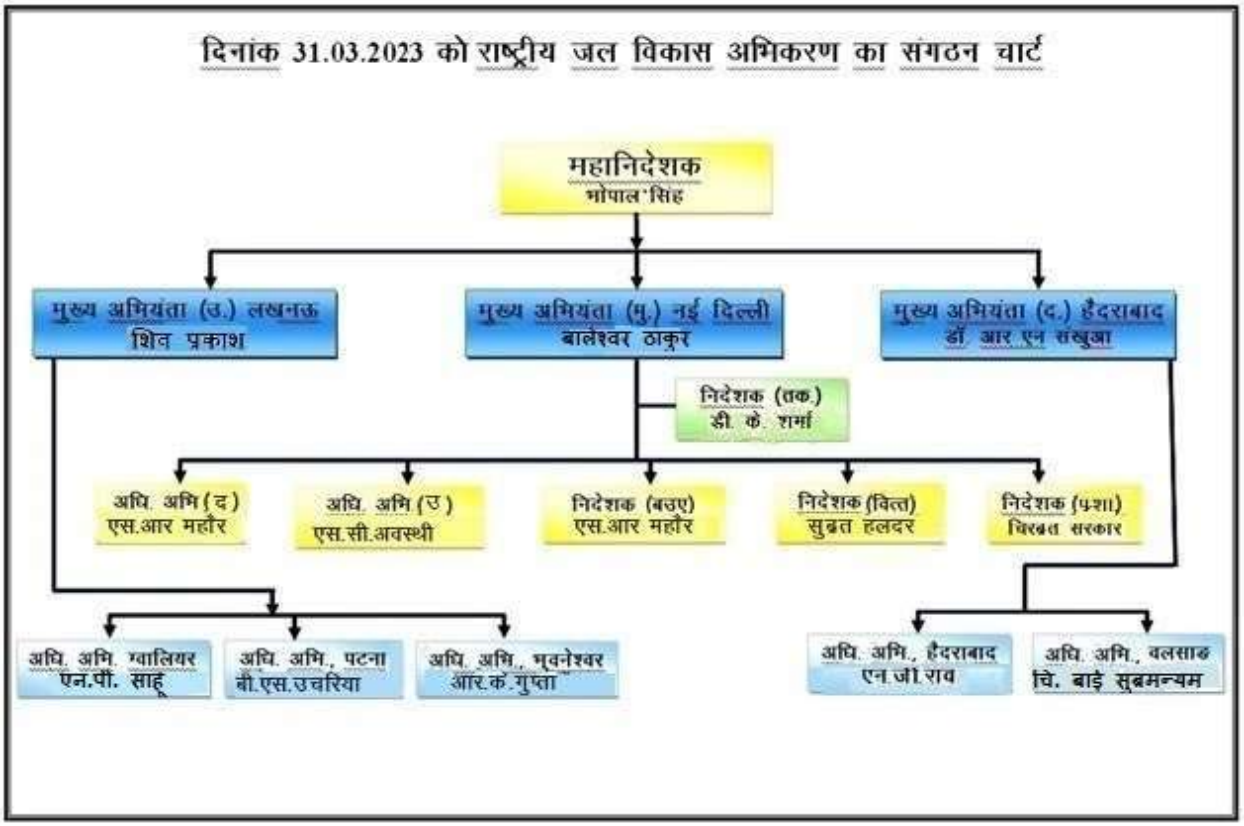

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मु. अ. (उत्तर) संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत, 3 अन्वेषण सर्किल (आईसी) हैं। 3 अन्वेषण सर्किल का नेतृत्व अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता (ग्वालियर), अधीक्षण अभियंता(भुवनेश्वर) और अधीक्षण अभियंता(पटना) करते हैं। इसके अलावा, 7 अन्वेषण प्रभाग (अन्वेषण प्रभाग) और 3 अन्वेषण उप–अन्वेषण (आईएसडी) हैं और 7 अन्वेषण प्रभाग का नेतृत्व कार्यकारी अधिशासी अभियंता (झांसी), अधिशासी अभियंता(भुवनेश्वर), अधिशासी अभियंता(पटना), (भोपाल), अधिशासी अभियंता(कोलकाता), अधिशासी अभियंता(लखनऊ) और अधिशासी अभियंता(ग्वालियर), और 3 अन्वेषण प्रभाग, नामतः अन्वेषण उप

प्रभाग राजमुंदरी, अन्वेषण उप प्रभाग रांची और अन्वेषण उप प्रभाग जयपुर क्रमश: अधिशासी अभियंता(भुवनेश्वर), अधिशासी अभियंता(पटना) और अधिशासी अभियंता(ग्वालियर) के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

मुख्य अभियंता (दक्षिण) के अधीन संगठनात्मक ढांचे में अधीक्षण अभियंता (वलसाड) और अधीक्षण अभियंता (हैदराबाद) की अध्यक्षता में 2 अन्वेषण सर्किल हैं। 2 अन्वेषण सर्किल के अंतर्गत अधिशासी अभियंताओं की अध्यक्षता में 8 अन्वेषण प्रभाग नामतः हैं अधिशासी अभियंता(वलसाड), अधिशासी अभियंता(नागपुर), अधिशासी अभियंता(वडोदरा), अधिशासी अभियंता(हैदराबाद), अधिशासी अभियंता(बेंगलुरु), अधिशासी अभियंता(चेन्नई), अधिशासी अभियंता(अन्वेषण प्रभाग–।, नासिक) और अधिशासी अभियंता(अन्वेषण प्रभाग–।।, नासिक)।

ऊपर उल्लेखित राजविअ के कार्यालयों के स्थानों को दर्शाने वाला एक नक्शा नीचे दिया गया है:

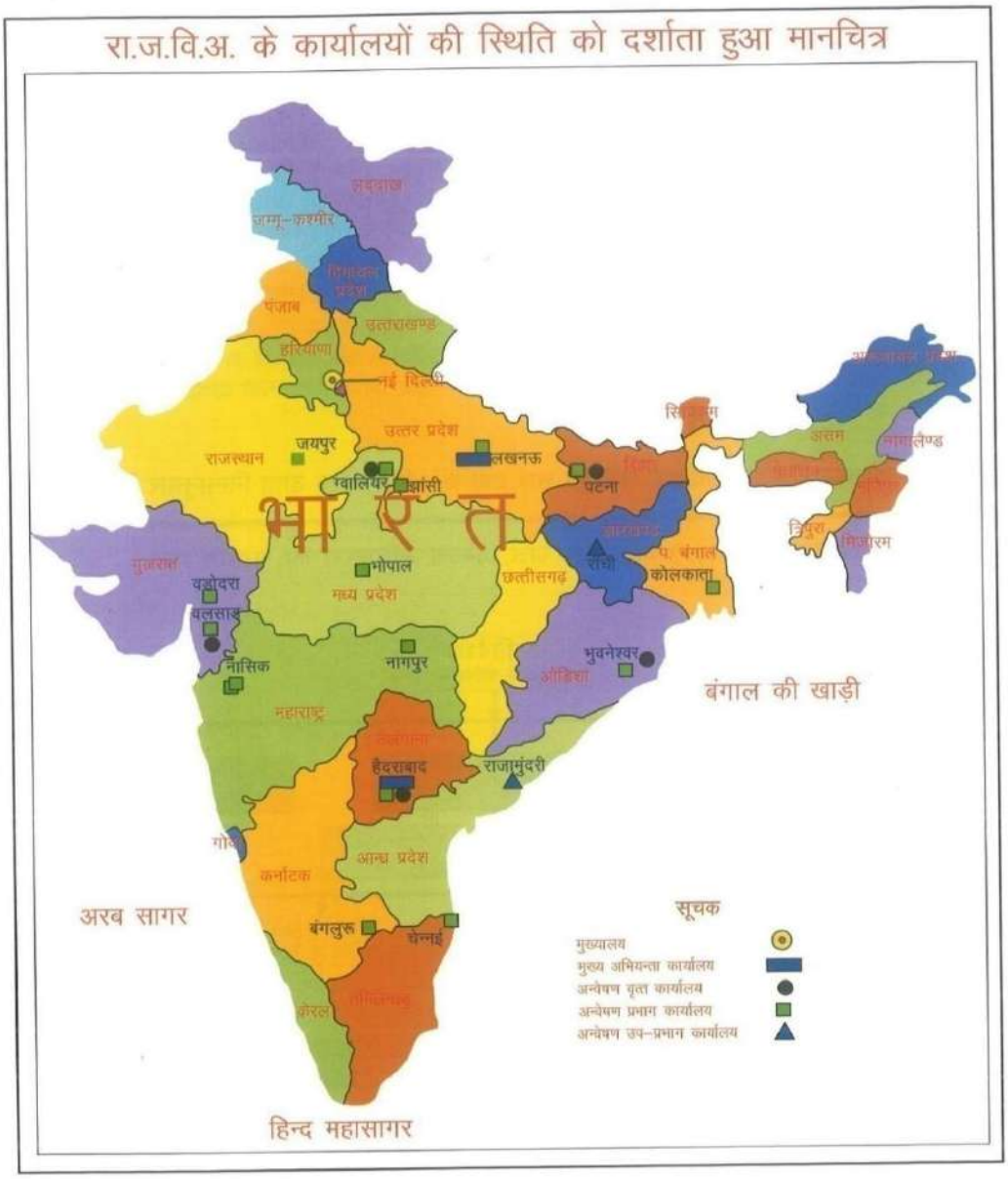

2.2 केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के कार्यालय

दिसंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए केन–बेतवा लिंक परियोजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, परियोजना का कार्यान्वयन तुरंत शुरू किया गया था। दिनांक 11.02.2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा सचिव (जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) और एसपीवी यानी केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के तहत एक संचालन समिति का गठन किया गया था। केबीएलपी की संचालन समिति की 04.04.2022 को हुई पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, भोपाल और झांसी में राजविअ के प्रभाग कार्यालयों को 01.05.2022 से केबीएलपीए से जोड़ा गया था और केन–बेतवा लिंक परियोजना के लिए छतरपुर में एक नया कार्यालय, अन्वेषण प्रभाग 09.06.2022 को खोला गया था। केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के संबंध में सहायता अनुदान के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, मुख्यालय के दिनांक 03.03.2022 के पत्र द्वारा एक परियोजना प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया था। यह परियोजना प्रकोष्ठ मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ की देखरेख में कार्य कर रहा है।

केबीएलपीए की संगठनात्मक ढांचा नीचे दिखाया गया है। 31.03.2023 तक महानिदेशक, राजविअ के मुख्य अभियंता (उ) और निदेशक (वित्त) केबीएलपीए में सीईओ, एसीईओ और निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाल रहे हैं।

केबीएलपीए की संगठनात्मक संरचना नीचे दिखाई गई है।

31.03.2023 तक,श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक ,राजविअ और श्री सुब्रत हलदर निदेशक (वित्त) क्रमशः केबीएलपीए में सीईओ और निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाल रहे हैं। श्री शिव प्रकाश, मुख्य अभियंता (उत्तर), राजविअ को केबीएलपीए के एसीईओ (मुख्यालय) के रूप में नामित किया गया है।

(केबीएलपीए की संगठनात्मक ढांचा)

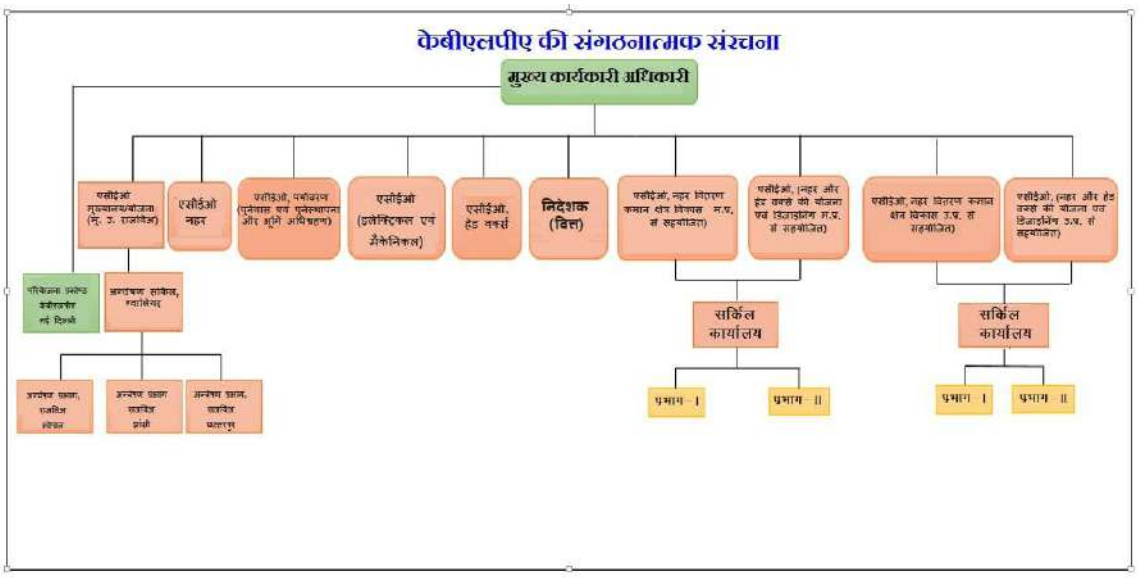

2.3 कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू), वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के अनुसार राजविअ के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 31.03.2023 तक 493 थी। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवाओं और अन्य लाभों में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में राजविअ, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संबंधित विभागों और मंत्रालयों द्वारा

जारी किए गए सभी अनुदेशों का सम्यक पालन कर रहा है। वर्ष 2022–23 में राजविअ में सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता के पद पर 18, कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर एक (1) उम्मीदवार, कनिष्ठ लेखाकार के पद पर एक (1) उम्मीदवार, हिंदी अनुवादक के पद पर एक (1) उम्मीदवार, सहायक अभियंता के पद पर आठ (8) उम्मीदवार, प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर एक (1) उम्मीदवार और अवर श्रेणी लिपिक के पद पर दो (2) उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था। इनके अलावा वर्ष 2022–23 के दौरान राजविअ में अनुकंपा आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर तीन (3) उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार राजविअ के कर्मचारियों की संख्या (समूह–वार) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी /पीएच / पूर्व सैनिकों / सामान्य वर्ग इस प्रकार है –

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार राजविअ की कर्मचारी संख्या (समूह–वार)

समूह	स्वीकृत संख्या	एसआईयू के अनुसार*	भरा								रिक्त
			अनुसूचित जाति	अ.ज. जाति	ओबीसी	पीएच	भूतपूर्व सैनिक	सामान्य	ईडबल्यूएस	कुल	
समूह 'क'	59	59	9	2	2	1	0	31	0	45	14
समूह 'ख'	142	142	17	11	33	1	0	55	2	119	23
समूह 'ग'	292	292	29	12	30	5	2	90	3	171	121
कुल	493	493	55	25	65	7	2	176	5	335	158
* एसआईयू की संस्तुति के अनुसार											
नोटः एसआईयू द्वारा अधिशेष घोषित पदों को सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा भविष्य में समायोजित किया जाएगा।											

2.4 राजविअ सोसाइटी

सचिव, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (भारत सरकार) की अध्यक्षता में राजविअ सोसाइटी का शासी निकाय (जीबी), नियमों के अधीन सोसायटी के मामलों और निधियों का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण करता है, अलविदा – सोसाइटी के कानून और आदेश और आम तौर पर सोसाइटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित गतिविधियों का अनुसरण करते हैं और ऐसा करते हैं, सोसाइटी द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करते हैं और लागू करते हैं।

राजविअ की स्थापना के बाद से 31.03.2023 तक सोसायटी की छह (6) विशेष सामान्य बैठकें (एसजीएम) और पैंतीस (36) वार्षिक सामान्य बैठकें (एजीएम) आयोजित की गई थीं।

राजविअ सोसायटी के सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

राजविअ सोसाइटी के सदस्य

1.	केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यमंत्री, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
3.	सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन), नीति आयोग	सदस्य
4.	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा पुड्डुचेरी संघ शासित राज्य के मुख्यमंत्री/मंत्री तथा उनके सचिव या उनके प्रतिनिधि, जिनका स्तर मुख्य अभियंता से कम न हो और जल संसाधन/सिंचाई के प्रभारी हों	सदस्य
5.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
8.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
9.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
10.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
11.	सचिव, नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
12.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड	सदस्य
14.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
15.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
16.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
17.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
18.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
19.	महानिदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
20.	भारत के महासर्वेक्षक या उनके प्रतिनिधि, भारतीय सर्वेक्षण विभाग	सदस्य
21.	निदेशक, राष्ट्रीय दूर संज्ञान अभिकरण या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
23.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
24.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य–सचिव

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार राजविअ सोसायटी के कुल सदस्य 63 थे

राजविअ सोसाइटी की 36वीं एजीएम 13.12.2022 को श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू जल शक्ति राज्यमंत्री,श्री गोविंद मकतप्पा करजोल, जल संसाधन मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री मध्यप्रदेश सरकार, श्री थिरु दुरईमुरूगन जल संसाधन मंत्री तमिलनाडु सरकार और केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

माननीय जल शक्ति मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में रेखांकित किया कि "जल" हम सभी के लिए प्रमुख आवश्यकता है और इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि हमारा राष्ट्र देश में जल संसाधनों के असमान वितरण के कारण इस बहुमूल्य संसाधन के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें कुछ स्थानों पर बाढ़ और कुछ अन्य स्थानों पर सूखा है। चूंकि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में अंतरण करने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने वर्ष 2021 के महत्व पर जोर दिया और कहा कि केन–बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और भारत सरकार द्वारा बहुत उदार केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ केबीएलपी की मंजूरी कार्यक्रम के लिए एक नई शुरुआत है और इससे और नदियों को भी जोड़ने का काम शुरू होना चाहिए। उन्होंने आईएलआर कार्यक्रम में पिछले दो से तीन वर्षों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (नीरा) के गठन के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सभी राज्यों से जल क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं में लक्ष्यों की सफल प्राप्ति के लिए विशेष रूप से जल की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्देश्य के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया।

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, राजविअ सोसायटी की 36 वीं एजीएम की अध्यक्षता करते हुए । उनके बायीं ओर श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन राज्य मंत्री हैं और दाईं ओर सुश्री देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग हैं।

चूंकि उसी समय पर माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 20वीं एससीआईएलआर बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें आईएलआर कार्यक्रम/आईएलआर कार्यान्वयन से संबंधित अतिरिक्त मामलों पर विचार–विमर्श किया गया था और इन्हें एससीआईएलआर की 20वीं बैठक के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसे अध्याय–3 में प्रस्तुत किया गया है।

2.5 शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी का शासी निकाय (शा.नि.) सचिव (जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उपनियमों तथा आदेशों के अनुसार सोसाइटी के कार्यों तथा निधियों की व्यवस्था, देख–रेख, उन्हें निर्दिष्ट व नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर संस्था के ज्ञापन–पत्र के अनुसार सोसाइटी की गतिविधियों के लिए कार्य करता है तथा ऐसा करते समय सोसाइटी द्वारा निर्धारित नीति–निर्देशों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण तथा उनका कार्यान्वयन करता है।

राजविअ के शासी निकाय की संरचना

1.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
3.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
4.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयया उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
6.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
11.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
12.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
14.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
15.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
16.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
17.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
18.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, असम	सदस्य
19.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, बिहार	सदस्य
20.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, छत्तीसगढ़	सदस्य

21.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, गुजरात	सदस्य
22.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, हरियाणा	सदस्य
23.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, झारखंड	सदस्य
24.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, कर्नाटक	सदस्य
25.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, केरल	सदस्य
26.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, मध्यप्रदेश	सदस्य
27.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, महाराष्ट्र	सदस्य
28.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, ओडिशा	सदस्य
29.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पंजाब	सदस्य
30.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, राजस्थान	सदस्य
31.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तमिलनाडु	सदस्य
32.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तराखण्ड	सदस्य
33.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तरप्रदेश	सदस्य
34.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पश्चिम बंगाल	सदस्य
35.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पुद्दुचेरी	सदस्य
36.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तेलंगाना	सदस्य
37.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य–सचिव
31-03-2023 को जीबी, राजविअ के कुल सदस्य 37 थे		

राजविअ की स्थापना के बाद से 31.03.2023 तक राजविअ के शासी निकाय की सत्तर बैठकें आयोजित की गई हैं। श्री पंकज कुमार, सचिव, जल शक्ति मंत्रालय संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में राजविअ की 70वीं बैठक 15.11.2022 को वीसी के माध्यम से आयोजित की गई।

2.5.1 70वीं शासी निकाय की बैठक

15.01.2022 को आयोजित 70वीं शासी निकाय की बैठक में, विभिन्न एजेंडा मदों पर चर्चा की गई, जिसमें 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा, वर्ष 2021–22 के दौरान बजट अनुमान और वास्तविक व्यय शामिल हैं। बैठक के दौरान वर्ष 2022–23 के लिए कार्यों का कार्यक्रम, लिंक प्रस्तावों और

प्राथमिकता लिंकों की स्थिति सहित प्रगति पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (नीरा) के गठन का प्रस्ताव, लिंक परियोजनाओं के प्रणाली अध्ययन आदि पर भी विचार–विमर्श किया गया।

श्री पंकज कुमार सचिव, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में राजविअ की जीबी की 70 वीं बैठक

2.6 तकनीकी सलाहकार समिति

श्राजविअ सोसायटी के जीबी ने अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जांच और संवीक्षा के लिए अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में राजविअ की एक तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) का गठन किया है। अब तक 31.03.2023 तक टी.ए.सी. की 42 बैठकें आयोजित की गई थी। राजविअ की टी.ए.सी. की पिछली बैठक 23.05.2016 को दिल्ली में आयोजित की गई थी।

रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति की संरचना

1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	सदस्य (एच. ई.), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सलाहकार (आई. ए.), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड	सदस्य
9.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
10.	निदेशक/वैज्ञानिक (एफ.), राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की	सदस्य
11.	अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा	सदस्य
12.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य–सचिव

13.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
14.	मुख्य अभियंता व संयुक्त सचिव, नर्मदा एवं जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार	विशेष आमंत्रित
15.	प्रमुख अभियंता (अंतःराज्यीयव जल संसाधन), सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
16.	मुख्य अभियंता (बोधी), जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।	विशेष आमंत्रित
17.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन) व संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार	विशेष आमंत्रित
18.	मुख्य अभियंता, अंतःराज्यीय जल, केरल सरकार	विशेष आमंत्रित
19.	मुख्य अभियंता (सिंचाई, अभि. कल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई एकक, राजस्थान सरकार	विशेष आमंत्रित
20.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन संगठन, तमिलनाडु सरकार	विशेष आमंत्रित
21.	मुख्य अभियंता, केंद्रीय योजना एकक, सिंचाई विभाग, ओडिशा सरकार	विशेष आमंत्रित
22.	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विकास संगठन, कर्नाटक सरकार	विशेष आमंत्रित
23.	मुख्य अभियंता (ज. सं.), सिंचाई निर्माण कार्य, पंजाब सरकार	विशेष आमंत्रित
24.	मुख्य अभियंता (लिफ्ट नहर), सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार	विशेष आमंत्रित
25.	मुख्य अभियंता, पी. पी. प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	विशेष आमंत्रित
26.	मुख्य अभियंता (अभिकल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई व जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार	विशेष आमंत्रित
27.	मुख्य अभियंता (पी. एंड डी.),ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम	विशेष आमंत्रित
28.	मुख्य अभियंता (सिंचाई), सिंचाई विभाग, असम सरकार	विशेष आमंत्रित
29.	मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	विशेष आमंत्रित
30.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार	विशेष आमंत्रित
31.	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार	विशेष आमंत्रित
32.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार	विशेष आमंत्रित

रा.ज.वि.अ. के पत्र संख्या–रा.ज.वि.अ./112/5/तक.–।/2005/भाग 37/4639–85 दिनांक 04.05.2006 के अनुसार टी.ए.सी. के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

संदर्भ की शर्तें

1. रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों तथा अन्वेषणों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. जलवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली पर विचार करना और उसे स्वीकृति देना ।
3. संबद्ध राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों के प्रकाश में रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार जल संतुलन तथा पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।
4. जल अंतरण लिंक प्रस्तावों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा विस्तृत अन्वेषण करने पर विचार करना तथा सहमति प्रदान करना।
5. संभाव्यता रिपोर्टों के विस्तृत अन्वेषण तथा तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना।

अध्याय – 3
नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति उप–समितियां और टास्क फोर्स

3.1 नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने समादेश याचिका (सिविल) सं. 512, वर्ष 2002 ''नदियों के अंतर्योजन'' तथा समादेश याचिका (सिविल) सं. 668, वर्ष 2002 के मामले पर दिनांक 27.02.2012 के अपने निर्णय में भारत संघ विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय (अब ज.सं., न.वि. व गं.सं. विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) को नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए माननीय मंत्री, जल संसाधन (जल शक्ति मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया।

दिनांक 24.07.2014 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के निर्णयों का अनुपालन करते हुए "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" के गठन को मंजूरी दे दी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब ज.सं., न.वि. व गं.सं. विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) ने दिनांक 23.09.2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" का गठन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में प्रगति रिपोर्ट की स्थिति तथा ''नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति'' (एस.सी.आई.एल.आर.) के गठन की समीक्षा दिनांक 18.11.2015, 15.11.2016, 06.06.2018, 29.07.2020, 25.05.2021 और 29.06.2021 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठकों में की गई।

3.2 नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति की उप–समितियां

विशेष सैल–नदी जोड़ ने चार विशिष्ट उप–समितियों का गठन किया है।

1. नदी जोड़ के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप–समिति (उप समिति–।।)
2. सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति (उप समिति–।।)
3. रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप–समिति (उप समिति–।।।) और
4. संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए उप–समिति (उप समिति–IV)

तीन उप–समितियां क्रमांक संख्या (1) से क्रमांक संख्या (3) का गठन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.02.2015 द्वारा किया गया था। उपसमिति (4), रा.ज.वि.अ. के अंतर बेसिन जल अंतरण के प्रस्तावों पर राज्यों के बीच आम सहमति पर पहुंचने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए समूह के संबंध में है। जून, 2002 में तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा गठित उप–समिति का नाम बदलकर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.01.2016 के माध्यम से संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए किया गया।

3.3 नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफआईएलआर)

इसके अलावा, तत्कालीन जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री बी.एन. नवलावाला, तत्कालीन मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अपने पत्र 13.04.2015 को नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित नदी जोड़ कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा। श्री नवलावाला ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और अब श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा

संरक्षण मंत्रालय) को नदी जोड पर कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नदी जोड़ पर कार्यबल के अधीन संबंधित पहलुओं को देखने और नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कार्यबल को सलाह देने के लिए दो समूहों, नामत: "कानूनी पहलुओं पर समूह" और "वित्तीय पहलुओं पर समूह" का गठन किया गया है।

3.4 एससीआईएलआर, उप–समितियों और टीएफआईएलआर की गतिविधियां

राजविअ द्वारा 31.03.2023 तक एससीआईएलआर की 20 बैठकें, टीएफआईएलआर की 17 बैठकें, उप–समिति–1 की 8 बैठकें, उप–समिति–II की 21 बैठकें, उप–समिति–IV की 4 बैठकें, कानूनी समूह की 10 बैठकें और वित्तीय समूह की 13 बैठकें आयोजित की गई हैं। कानूनी समूह ने 17.03.2017 को अध्यक्ष, टीएफआईएलआर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और वित्तीय समूह ने 25.07.2018 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

राज.वि.अ के पुनर्गठन पर उप–समिति–।।। ने 21.09.2015 को, रा.ज.वि.अ. अधिकारियों के साथ कई बैठकें और इन–हाउस चर्चा के बाद, तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, जिसके बाद, विशेष सैल–नदी जोड़ ने 29.04.2016 को आयोजित 9वीं बैठक से शुरू होने वाली अपनी विभिन्न बैठकों के दौरान तत्कालीन सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) को रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन की प्रक्रिया करने की सलाह दी। मंत्रालय ने दिसंबर, 2017 में सूचित किया कि जैसा कि मंत्रालय बड़े सुधार कर रहा है, कुल मिलाकर मंत्रालय रा.ज.वि.अ के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, यह पुनर्गठन, मंत्रालय के बड़े सुधारों का उपसमूह बन जाएगा।

तत्कालीन माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने 17.01.2018 को आयोजित नदी जोड़ पर विशेष सैल की 14 वीं बैठक में सलाह दी थी कि तत्कालीन सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) रा.ज.वि.अ. के तत्काल पुनर्गठन पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

3.4.1 एससीआईएलआर की 20वीं बैठक

एससीआईएलआर की 20वीं बैठक 13.12.2022 को श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

माननीय मंत्री ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि देश में जल संसाधनों के असमान वितरण के कारण हमारा देश इस बहुमूल्य संसाधन के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें कुछ स्थानों पर बाढ़ और कुछ अन्य स्थानों पर सूखा पड़ता है। माननीय मंत्री ने वर्ष 2021 के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि केन–बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और भारत सरकार द्वारा बहुत उदार केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ केन–बेतवा लिंक परियोजना की मंजूरी कार्यक्रम के लिए एक नई शुरुआत है और इससे नदियों को और जोड़ने का काम होना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि पिछले तीन दशकों से नदियों को जोड़ने के लिए चर्चा और विचार–विमर्श किया गया था, लेकिन पिछले दो से तीन वर्षों में, आईएलआर कार्यक्रम ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। उन्होंने राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (नीरा) के गठन के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।

नीरा सक्रिय रूप से परामर्श और बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करेगा और लिंक परियोजनाओं के समय

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय ,एससीआईएलआर की 20वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उनके बायीं ओर श्री बिश्वेश्वर टुडू,माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय और दाएं ओर श्रीमती देबाश्री मुखर्जी, विशेष सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग हैं।

पर कार्यान्वयन के लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाएगा।

श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने अपनी टिप्पणी में जोर देकर कहा कि सभी क्षेत्रों में जल की आवश्यकता है और हमें लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। हम जल संसाधन प्रबंधन की बड़ी चुनौती का समाधान केवल "सहयोग" से कर सकते हैं।

श्री गोविंद मकतप्पा करजोल, माननीय जल संसाधन मंत्री, कर्नाटक ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि महादयी और गोदावरी नदियों के अधिशेष जल में कर्नाटक का हिस्सा 283 टीएमसी से घटकर 164 टीएमसी हो गया है। उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बहुत पहले दिए गए आश्वासन का उल्लेख किया कि कर्नाटक का हिस्सा विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए आवंटनों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना की डीपीआर के अनुसार प्रस्तावित गोदावरी–कावेरी लिंक में कर्नाटक को कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया गया है। उन्होंने गोदावरी–कावेरी लिंक के हाल के प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की, जिसमें गोदावरी से 4000 एमसीएम जलके अंतरण के साथ–साथ बेदती–वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में पूरकता शामिल है। उन्होंने कावेरी–दक्षिण वेल्लर–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना और कृष्णा (अलमाटी)–पेन्नार लिंक परियोजना पर अपनी चिंता व्यक्त की।

श्री तुलसीराम सिलावट, माननीय जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश ने उल्लेख किया कि वह जल शक्ति मंत्री द्वारा प्रस्तुत जल संसाधन से संबंधित चुनौतियों के संबंध में उनके विचारों से सहमत हैं। वह नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने केबीएलपी के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए भारत सरकार को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश राज्य परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सभी अपेक्षित उपाय और सहायता करेगा।

श्री थिरु दुरईमुरुगन माननीय जल संसाधन मंत्री तमिलनाडु ने वर्ष 2021 में राजविअ द्वारा बनाई गई डीपीआर में प्रस्तावित गोदावरी नदी से पथांतरण को 7000 एमसीएम के रूप में रखने और लिंक नहर के टर्मिनेशन पॉइंट को ग्रैंड एनीकट के बजाय कट्टालाई बैराज में ले जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ग्रैंड

एनीकट कम भंडारण क्षमता वाला एक बैराज है, जबकि कट्टालाई बैराज का निर्माण गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना के टर्मिनल बिंदु के रूप में किया गया था और वहां लिंक को समाप्त करके, तीन स्थानों कट्टालाई बैराज, अपर एनीकट और ग्रैंड एनीकट में जलका विनियमन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने तमिलनाडु राज्य के लिए गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना से जल के आबंटन को बढ़ाने का भी अनुरोध किया। माननीय मंत्री (जल शक्ति) ने तमिलनाडु राज्य को इन मुद्दों पर विचार–विमर्श करने और उपयुक्त निर्णय पर पहुंचने के लिए राजविअ अधिकारियों के साथ विशेष रूप से एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया।

नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार संशोधित पार्बती–कालीसिंध–चंबल लिंक के चरण–I को आईएलआर के एनपीपी के भाग के रूप में ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत करने और इस परियोजना को देश की प्राथमिकता लिंक परियोजनाओं में से एक घोषित करने के प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। समिति ने दोनों राज्यों से संशोधित पीकेसी लिंक के चरण–I के कार्यान्वयन के लिए जल्द से जल्द आम सहमति बनाने का अनुरोध किया।

जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर श्री संजय अग्रवाल, सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने अनुरोध किया कि परियोजना के लिए मंजूरी जल्द से जल्द दी जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार ने 60: (केंद्रीय हिस्सा): 30: (केंद्रीय ऋण): 10: (राज्य हिस्सा) अनुपात के लिए सहमति व्यक्त की है और इस परियोजना की कार्यशील डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य कोसी (बागमती)–गंगा लिंक, बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक, गंडक–दाहा–घाघरा लिंक, गंडक–छरी–गंगा लिंक और बागमती–बूढ़ी गंडक लिंक जैसी लिंक परियोजनाओं को और अधिक फलदायी बनाने के लिए राजविअ और एससीआईएलआर के अध्यक्ष के सुझावों को शामिल करेगा ताकि इन परियोजनाओं से लाभ को अनुकूलित किया जा सके क्योंकि बिहार को बाढ़ और सूखे के खतरे के कारण ऐसी परियोजनाओं की सख्त जरूरत है। उन्होंने पटना में राजविअ कार्यालय को मजबूत करने का भी सुझाव दिया।

श्री वेंकटेश्वर राव, आंध्र प्रदेश सरकार के सलाहकार ने सुझाव दिया कि गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना से राज्यों को जल आबंटन की मात्रा पर निर्णय केन्द्रीय जल आयोग द्वारा लिंक परियोजना के लिए जल विज्ञान और जल उपलब्धता पर अध्ययन पूरा होने के बाद लिया जा सकता है। उन्होंने गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ के अप्रयुक्त जल का गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना के लिए राज्य की सहमति के बिना इस्तेमाल किए जाने की आशंका व्यक्त की और सुझाव दिया कि संबंधित राज्यों से उचित आश्वासन लिया जाना चाहिए ताकि अंतिम राज्य प्रभावित न हों। महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना के संबंध में, उन्होंने गोदावरी डेल्टा प्रणाली में जलके प्रवाह से संबंधित किसानों की आशंकाओं का मुद्दा उठाया, क्योंकि इसमें शामिल लिफ्टों की संख्या अधिक है। उन्होंने कर्नाटक द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले जलकी मात्रा को निर्दिष्ट करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र के लिए भी अनुरोध किया क्योंकि अलमाटी जलाशय से प्रतिस्थापन आधार पर 280 एमसीएम जलकी आपूर्ति आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जल उपलब्धता को प्रभावित करेगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दिए गए सुझाव का उल्लेख किया और उस पर विचार करने का अनुरोध किया। यह सुझाव दिया गया कि नागार्जुनसागर और श्रीशैलम जलाशयों का उपयोग करके पोलावरम से जल खींचने के लिए एक वैकल्पिक संरेखण का अध्ययन किया जाना चाहिए और फिर जल को आंध्र प्रदेश के रायलसीमा सूखा प्रवण क्षेत्र में मोड़ दिया जाना चाहिए और इस पथांतरण को मानसून के मौसम तक सीमित किया गया। नागार्जुनसागर और सोमासिला जलाशयों को ऑनलाइन जलाशयों के रूप में उपयोग करने की जगह, स्वतंत्र जलाशयों का उपयोग करने का प्रस्ताव है ताकि आंध्र प्रदेश के उपयोग को प्रभावित न किया जा सके। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि जीडब्ल्यूडीटी के अनुसार आंध्र प्रदेश के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। बेदती–वरदा लिंक के संबंध में

उन्होंने अनुरोध किया कि आंध्र प्रदेश को बेदती से कृष्णा बेसिन की ओर मोड़े जाने वाले जल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

श्री रवि सोलंकी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के साथ पीकेसी लिंक के एकीकरण के प्रस्ताव का उल्लेख किया और सूचित किया कि उन्हें लिंक प्रणाली के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वी मोहन कुमार, मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यूआर, तेलंगाना सरकार ने सुझाव दिया कि गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना पर महानदी–गोदावरी लिंक के पूरा होने के बाद ही विचार किया जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य अपने अप्रयुक्त हिस्से के पथांतरण के लिए सहमत नहीं है। बेदती–वरदा लिंक के संबंध में, चूंकि कृष्णा बेसिन को अतिरिक्त जल आर्शत की जा रही है, इसलिए तेलंगाना 50: आबंटन का दावा करने का अधिकार है। चूंकि गोदावरी और कृष्णा घाटियों में विशाल असिंचित क्षेत्र हैं, इसलिए सिंचाई आवश्यकता को पहली प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और तेलंगाना की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही पथांतरण पर विचार किया जा सकता है।

3.4.2 टीएफआईएलआर की 16वीं और 17वीं बैठक

टीएफआईएलआर की 16वीं और 17वीं बैठक क्रमश: 17.05.2022 और 06.03.2023 को श्री श्रीराम वेदिरे, अध्यक्ष, टास्कफोर्स और सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

3.4.2.1 टीएफआईएलआर की 16वीं बैठक

टीएफआईएलआर की सोलहवीं बैठक 17.05.2022 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, महानिदेशक ,राजविअ ने नीरा के गठन से संबंधित कार्य में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सदस्यों को केबीएलपी की प्रगति के बारे में भी अवगत कराया और बैठक में परियोजना के निर्माण के लिए आगे की योजना पर विचार–विमर्श किया गया।

टीएफआईएलआर की 16 वीं बैठक 17-05-2022 को आयोजित की गई।

विस्तृत विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुनो, पार्बती और कालीसिंध उप–बेसिनों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित घटकों के साथ–साथ ईआरसीपी के घटकों को शामिल करते हुए 75 प्रतिशत धारणीयता पर उपलब्ध स्थानांतरण योग्य जल को संशोधित पीकेसी लिंक के प्रस्ताव पर चरण–I में पथांतरण किया जा सकता है। इस संशोधित पीकेसी लिंक को आईएलआर के एनपीपी का हिस्सा बनाया जा सकता है और दोनों राज्यों के लिए इस परियोजना के महत्व को देखते हुए विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के जिलों में पीने के लिए जलकी आवश्यकता के लिए इसे प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में भी घोषित

किया जा सकता है। टीएफआईएलआर ने संशोधित पीकेसी लिंक को आईएलआर के एनपीपी का हिस्सा बनाने और इस परियोजना को प्राथमिकता वाली इंटरलिंकिंग परियोजना के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को एससीआईएलआर के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखने की सिफारिश की। महानदी (बरमूल)–गोदावरी (दोवलाईस्वरम) लिंक को प्राथमिकता वाले लिंकों में से एक के रूप में विचार करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और अंतर–बेसिन जल अंतरण के लिए महानदी जल विवाद अधिकरण में पक्षकार बनने के मामले में कानूनी राय लेने का निर्णय लिया गया। नामत: राजविअ (जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से) एनपीपी के तहत महानदी–गोदावरी लिंक के कारण का प्रतिनिधित्व करने वाले महानदी ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकता है, जो अंतर–बेसिन जल अंतरण के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक है।

3.4.2.2 टीएफआईएलआर की 17वीं बैठक

टीएफआईएलआर की सत्रहवीं बैठक 06.03.2023 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, महानिदेशक, राजविअ ने केबीएलपी से संबंधित कार्य में हुई प्रगति और परियोजना के निर्माण के लिए आगे की योजना के बारे में जानकारी दी। महानिदेशक, राजविअ ने 13.12.2022 को आयोजित अपनी बैठक में संशोधित पीकेसी लिंक को आईएलआर के एनपीपी का हिस्सा बनाने और इस परियोजना को प्राथमिकता इंटरलिंकिंग परियोजना के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव के लिए एससीआईएलआर की मंजूरी प्राप्त करने की बड़ी उपलब्धि के बारे में सदस्यों को अवगत कराया।

टीएफआईएलआर की **17**वीं बैठक **06-03-2023** को आयोजित की गई

उन्होंने संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना और इसके घटकों और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस प्रस्ताव पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर राज्यों की टिप्पणियों पर ध्यान देने के लिए एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक को पुनर्गठित करने के लिए राजविअ द्वारा तैयार की गई तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) जिसमें इंद्रावती उप–बेसिन में 4,189 एमसीएम के साथ–साथ 524 एमसीएम पश्चिम की ओर बहने वाले बेदती जल के अंतरण और सूक्ष्म सिंचाई शुरू करने की परिकल्पना की गई है। बैठक के दौरान संबंधित राज्यों के साथ विस्तार से विचार–विमर्श किया गया।

3.4.3 प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की 21वीं बैठक

"सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन" पर उप–समिति की 21वीं बैठक 30.08.2022 को प्रोफेसर पी.बी.एस सरमा की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। सदस्य–सचिव ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि चार लिंक के प्रणाली अध्ययन का काम चार संस्थानों नामत: 1.

मानस–संकोश–तिस्ता–गंगा लिंक परियोजना – आईआईटी, गुवाहाटी, 2. गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा लिंक – एनआईटी, पटना, 3. सुबर्णरेखा–महानदी लिंक परियोजना – एनआईटी, वारंगल और 4. फरक्का – सुंदरबन लिंक परियोजना – एनआईएच, रुड़की को सौंपा गया है। एनआईटी, पटना और एनआईटी, वारंगल के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अन्य दो संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। सदस्यों ने एनआईएच, रुड़की द्वारा की जा रही महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना के प्रणाली अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट के मसौदे पर अपनी टिप्पणियों पर चर्चा की। डॉ. एम. के. गोयल, एनआईएच, रुड़की ने सदस्यों और विशेषज्ञों से प्राप्त टिप्पणियों पर रिपोर्ट और उसी में उन टिप्पणियों के उपयुक्त समावेश पर विचार प्रस्तुत किए। गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक प्रणाली के प्रणाली अध्ययन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इसके लिए और अधिक संस्थानों से प्रस्ताव मांगने का निर्णय लिया गया।

प्रणाली स्टडीज के लिए उप–समिति की **21** वीं बैठक **30-08-2022** को आयोजित की गई

3.4.4 नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति

जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 28.09.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से श्री ए बी पांड्या, महासचिव, आईसीआईडी, नई दिल्ली की अध्यक्षता में "नदियों को जोड़ने पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए एक उप–समिति" का गठन किया है। इस उप–समिति का गठन उप–समिति–I (आईएलआर के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों का व्यापक मूल्यांकन) और उप–समिति–II (सर्वाधिक उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन) के विलय से किया गया है।
विलय की गई इस समिति की पहली बैठक हाइब्रिड मोड में 13.01.2023 को आयोजित की गई थी।

3.4.4.1 आईएलआर पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की पहली बैठक

नदियों को आपस में जोड़ने पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की पहली बैठक श्री एबी पांड्या, महासचिव आईसीआईडी की अध्यक्षता में 20.01.2023 को आयोजित की गई थी। प्रारंभ में, उप–समिति के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि यह उप–समिति पहले से कार्यरत

दो उप–समितियों से उत्पन्न हुई है। तत्पश्चात, उप–समिति के सदस्य–सचिव ने विलय की गई उप–समिति की पृष्ठभूमि और विचारार्थ विषयों को संक्षेप में स्पष्ट किया। उन्होंने आईएलआर के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप–समिति–I और "सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन" पर उप–समिति–II की स्थिति के बारे में भी सूचित किया।

इसके बाद, उप–समिति–II के उपाध्यक्ष ने उप–समिति द्वारा अब तक किए गए कार्यों के गठन और स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एनआईएच, रुड़की द्वारा की जा रही महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना का प्रणाली अध्ययन अंतिम चरण में है। उन्होंने मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा, गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा–महानदी और फरक्का–सुंदरबन जैसे चार लिंकों के प्रणाली अध्ययन के बारे में संक्षेप में बताया और चार संस्थानों नामत: आईआईटी, गुवाहाटी, एनआईटी, पटना, एनआईटी, वारंगल और एनआईएच, रुड़की को कार्य सौंपने के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिणी लिंक प्रणाली के लिए प्रणाली अध्ययन शुरू करने के लिए संस्थानों के प्रस्तावों की जांच का काम शुरू कर दिया गया है।

उप–समिति के सदस्य प्रोफेसर कामता प्रसाद ने "सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन पर उप–समिति" की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अपने सुझावों/विचारों का उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी टिप्पणियों पर एनआईएच द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों पर अपने विचार दिए और एनआईएच, रुड़की की मसौदा रिपोर्ट में संशोधन का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्ट राज्य, जिला या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए।

एनआईएच, रुड़की द्वारा की जा रही महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना के प्रणाली अध्ययन की स्थिति को सदस्य–सचिव द्वारा समझाया गया। डॉ. एम. के. गोयल ने अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों, कमान क्षेत्र प्राक्कलन, डाटाबेस विकास, जल उपलब्धता परिदृश्य, विभिन्न परिदृश्यों में जल की मांग और फसल पैटर्न का अनुमान, फसल जल मांग के मानदंड, घरेलू और औद्योगिक मांग, भूजल पुनर्भरण आकलन, जलवायु परिवर्तन परिदृ श्य, प्रणाली मॉडल का विकास, इसके अंशांकन और मॉडल के वैधीकरण आदि के बारे में प्रस्तुतिकरण दी। समिति के सदस्यों ने रिपोर्ट पर अपने सुझाव/विचार दिए। डॉ. एम. के. गोयल ने संशोधन का आश्वासन दिया और उल्लेख किया कि सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्य अभियंता (उत्तर),राजविअ ने चार लिंक नामत: एमएसटीजी, जीडीएस, एसएम और एफएस लिंक के प्रणाली अध्ययन के लिए दिए गए कार्य की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भुगतान किया गया है और इन संस्थानों द्वारा शुरू किया गया कार्य प्रारंभिक चरण में है। राजविअ के मुख्य अभियंता (दक्षिण) ने गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक प्रणाली के प्रणाली अध्ययन में शामिल कार्य के दायरे के साथ–साथ रुचि की अभिव्यक्ति के लिए प्राप्त छह संस्थानों के प्रस्तावों पर एक प्रस्तुति दी।

उप–समिति के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि इन प्रस्तावों की राजविअ द्वारा जांच की जानी चाहिए और उप–समिति केवल उन्हीं प्रस्तावों की जांच करेगी जिन्हें राजविअ द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्होंने एमजी लिंक के प्रणाली स्टडी कार्य के लिए एनआईएच, रुड़की के प्रयासों की सराहना की और एनआईएच, रुड़की को चर्चा के अनुसार रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का सुझाव दिया।

अध्याय 4
तकनीकी गतिविधियाँ

4.1 अंतर– बेसिन और अंतः–बेसिन जल अंतरण लिंक पर अध्ययन

राजविअ को शुरू में हमारे देश के जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन सौंपा गया था। इसके बाद, 1990–91 के दौरान एनपीपी के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन भी सौंपे गए। संबंधित राज्यों की सहमति के बाद आईबीडब्ल्यूटी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का काम भी वर्ष 2006–07 के दौरान राजविअ को सौंपा गया था। तदनुसार, राजविअ ने 2006–07 में केबीएलपी की डीपीआर तैयार करना शुरू कर दिया और यह 31.12.2008 को पूरा हो गया है । केबीएलपी की डीपीआर को चरण–I और चरण–II में विभाजित किया गया था। केबीएलपी (चरण–I) की डीपीआर में दौधन बांध और इसके सहायक कार्य, सुरंग, बिजली घर और लिंक नहर शामिल हैं, जो 2010 में पूरा किया गया था। केबीएलपी (चरण–II) और डीपीएलपी की डीपीआर राजविअ द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान पूरी की गई थी। पीटीएनएलपी की डीपीआर तैयार करने का काम 2015–16 में पूरा हो गया था। गोदावरी (इंचमपल्ली बैराज)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन का मसौदा डीपीआर जिसमें तीन लिंक शामिल हैं, गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर) –पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं मार्च 2019 में परिचालित की गई थीं। डीपीआर को राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था और 28.04.2021 को संबंधित राज्यों को परिचालित किया गया था। कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर भी अगस्त, 2020 में पूरी हो गई थी और पक्षकार राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी को उनकी टिप्पणियों/टिप्पणियों के लिए वितरित की गई थी। बेदती–वरदा लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार की गई और संबंधित राज्यों को उनकी टिप्पणियों/टिप्पणियों के लिए 27.09.2022 को वितरित की गई थी। गोदावरी (एसएसएमपीपी) – कृष्णा (पुलीचिंतला) लिंक परियोजना की डीपीआर और कृष्णा (श्रीशैलम) – पेन्नार लिंक परियोजना और कृष्णा (अल्माटी) –पेन्नार लिंक परियोजना की ड्राफ्ट डीपीआर रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पूरी की गई।

राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंत:– राज्यीय लिंक के पीएफआर/एफआर की तैयारी 2006–07 के दौरान राजविअ को सौंपी गई थी। इसके बाद, 2011 के दौरान अंतःराज्यीय लिंक की डीपीआर तैयार करने का काम भी राजविअ को सौंपा गया था। राजविअ को 10 राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु,कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अंत:– राज्यीय लिंक के 49 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 39 अंत:राज्यीय लिंक की पीएफआर 31.03.2023 तक पूरी हो चुकी थी।

4 अंतःराज्यीय लिंक परियोजना की डीपीआर नामत: 1. बूढ़ी–गंडक–नून–बया–गंगा, 2. बिहार की कोसी–मेची लिंक परियोजनाएं, 3. तमिलनाडु की पोन्नैयार–पालार लिंक परियोजना और 4. महाराष्ट्र की वैनगंगा–नलगंगा लिंक पूरी हो चुकी है। उपरोक्त के अलावा, दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी लिंक परियोजनाओं की मसौदा डीपीआर भी रिपोर्टिंग अवधि 2021–22 के दौरान पूरी की गई और संबंधित राज्य सरकार को भेज दी गई है । विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों का समग्र विवरण अध्याय–7 में अलग से दिया गया है।

4.2 एनपीपी के तहत राजविअ द्वारा पूरा किया गया प्रारंभिक अध्ययन

राजविअ द्वारा एनपीपी के प्रायद्वीपीय और हिमालयी घटकों के तहत पूरे किए गए प्रारंभिक अध्ययन तालिका – 1 में दिखाए गए हैं।

तालिका क्रमांक एक
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत राजविअ द्वारा पूरा किया गया प्रारंभिक अध्ययन

क्रमांक	अध्ययन का नाम	प्रायद्वीप–	क्रमांक	अध्ययन का नाम
1	2	3	4	5
i)	– बेसिनों/उप–बेसिनों के जल संतुलन अध्ययन पथांतरण बिंदु	137 52	- 19	137 71
	कुल:	**189**	**19**	**208**
ii)	टोपोशीट अध्ययन – जलाशय भंडारण स्थल – लिंक संरेखण	58 18	16 19	74 37
	कुल:	**76**	**35**	**111**
iii)	प्रत्येक अतिरिक्त और वैकल्पिक अध्ययन सहित लिंक के पीएफआर	18	14	32

4.3 एनपीपी के तहत राजविअ द्वारा पूरा किया गया प्रारंभिक अध्ययन

राजविअ द्वारा एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालयी नदी विकास घटक के अधीन एफआर तैयार करने के लिए पहचानी गई जल अंतरण लिंक परियोजनाएं क्रमशः 16 और 14 क्रमांक पर हैं और इनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत लिंक परियोजनाएं
1.	महानदी (मणिभद्रा) – गोदावरी (दौलेश्वरम)
2.	गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा)
3.	गोदावरी (इन्चमपल्ली) – कृष्णा (पुलिचिंतला)
4.	गोदावरी (इन्चमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर)
5.	कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमासिला)
6.	कृष्णा (श्रीशैलम) –पेन्नार
7.	कृष्णा (अलमट्टी) –पेन्नार
8.	पेन्नार (सोमासिला) – कावेरी (ग्रांड एनीकट)
9.	कावेरी (कट्टालाइ) – वैगई – गुंडार
10.	पार्वती – कालीसिंध – चंबल
11.	दमनगंगा – पिंजल
12.	पार – तापी – नर्मदा
13.	केन – बेतवा
14.	पंबा – अचनकोविल – वैप्पर
15.	नेत्रावती – हेमावती
16.	बेदती – वरदा

क्रमांक	एनपीपी के हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत लिंक परियोजनाएं
1.	मानस – संकोश – तीस्ता – गंगा (एमएसटीजी)
2.	कोसी – घाघरा
3.	गंडक – गंगा
4.	घाघरा – यमुना
5.	शारदा – यमुना
6.	यमुना –राजस्थान
7.	राजस्थान – साबरमती
8.	चुनार – सोन बैराज
9.	सोन बाँध–गंगा की दक्षिण सहायक नदियां
10.	गंगा (फरक्का) – दामोदर – सुबर्णरेखा
11.	सुबर्णरेखा – महानदी
12.	कोसी – मेची
13.	फरक्का – सुंदरबन
14.	जोगीघोपा – तीस्ता – फरक्का (एमएसटीजी का विकल्प)

अध्ययन के तहत प्रस्तावित आईबीडब्ल्यूटी लिंक को दिखाने वाला एक मानचित्र नीचे दिया गया है।

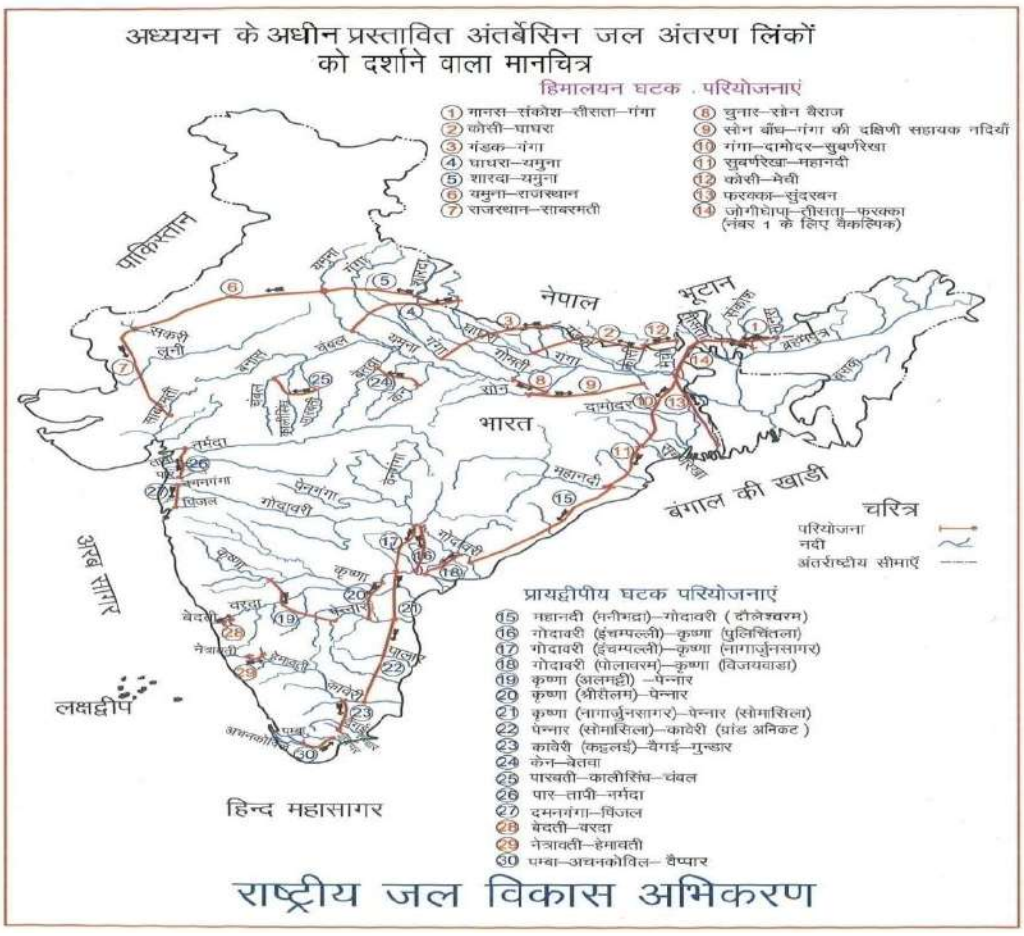

4.4 एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के तहत आईबीडब्ल्यूटी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति

ऊपर दर्शाए अनुसार एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 लिंक परियोजनाओं में से 8 लिंक परियोजनाओं नामत: केन–बेतवा, दमनगंगा–पिंजल, पार–तापी–नर्मदा, गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रांड एनीकट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें जिनमें तीन लिंक परियोजनाएं नामत: गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला) शामिल हैं। प्राथमिकता प्राप्त लिंकों नामतः केन–बेतवा, दमनगंगा–पिंजल, पार–तापी–नर्मदा, संशोधित पीकेसी और गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति जिसमें ऊपर उल्लिखित तीन लिंक परियोजनाएं शामिल हैं, अध्याय–5 में अलग–अलग दी गई हैं।

पूरी हो चुकी 8 विस्तृत परियोजनाओं के अलावा, गोदावरी (एसएसएमपीपी)–कृष्णा (पुलीचिंतला), कृष्णा (श्रीशैलम)–पेन्नार और कृष्णा (अलमाटी)–पेन्नार लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भी पूरी हो चुकी हैं और एमजी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी प्रगति पर है।

16 लिंक परियोजनाओं में से, कर्नाटक सरकार से संबंधित 2 लिंक परियोजनाओं नामत: बेदती–वरदा और नेत्रावती–हेमावती लिंक परियोजनाओं को छोड़कर, सभी लिंक परियोजनाओं की एफआर 31.03.2023 तक पूरी हो चुकी थीं। महानदी (बरमूल)–गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की एफआर भी पूरी हो चुकी थी और अक्टूबर, 2020 में पक्षकार राज्यों के बीच परिचालित की गई थी।

4.4.1 कावेरी (कट्टलाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी– वैगई–गुंडर लिंक प्रणाली को नौ लिंक प्रणाली के रूप में पहचाना गया है। महानदी, गोदावरी लिंक प्रणाली की जननी लिंक है। कावेरी (कट्टालाई)– वैगई–गुंडर लिंक परियोजना इस नौ लिंक प्रणाली का अंतिम चरण है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने वर्ष 2004 के दौरान इस लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है और संबंधित राज्यों को परिचालित की है। लिंक नहर के माध्यम से अंतरण के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले जल की मात्रा मुख्य रूप से महानदी और गोदावरी बेसिनों के अधिशेष प्रवाह की उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसे महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी लिंक स्कीमों के माध्यम से हिमालयी घटक के एकीकरण से वृद्धि सहित पूर्ववर्ती ऊपरी लिंकों द्वारा लाया जाना है। कावेरी (कट्टालाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं और डीपीआर को अगस्त, 2020 के दौरान पक्षकार राज्यों को परिचालित किया गया।

4.4.2 बेदती – वरदा लिंक परियोजना

कर्नाटक सरकार ने लिंक परियोजना की एफआर तैयार करने के लिए अपनी सहमति से अवगत करा दिया था, लेकिन स्थानीय गैर–सरकारी संगठन के विरोध के कारण कार्य रोक दिया गया था, जिन्होंने मांग की थी कि संबंधित क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन पहले कर्नाटक सरकार द्वारा उनके द्वारा तैयार विचारार्थ विषयों (टीओआर) के साथ किया जाना चाहिए। 23.03.2018 को आयोजित राजविअ की 65वीं जीबी बैठक के दौरान , कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने इस लिंक के ईआईए अध्ययन के लिए टीओआर पर कुछ टिप्पणियां की हैं और कर्नाटक सरकार जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यक स्पष्टीकरण और टीओआर

अनुमोदित हो जाने के बाद, कर्नाटक सरकार बेदती–वरदा लिंक परियोजना का ईआईए अध्ययन कर सकती है।

कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड (केएनएनएल) और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 30.11.2018 को बेंगलुरु में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, केएनएनएल के अधिकारियों ने वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए टीओआर पर उठाए गए बिंदुओं को शामिल करना आवश्यक समझा जिसमे – डीपीआर को प्रारम्भ करना शामिल है, उन्होने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से परियोजना की डीपीआर का कार्य आरंभ करके अनुरोध किया। इसके बाद, मुख्य अभियंता, मालाप्रभा जोन, केएनएनएल, कर्नाटक सरकार ने अपने दिनांक 08.03.2019 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया। कर्नाटक सरकार ने बेदती से वरदा नदियों तक जल अंतरण के लिए दो विकल्पों का भी सुझाव दिया है। धारवाड़ में 22.07.2019 को कर्नाटक सरकार के केएनएल और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों के बीच आयोजित बैठक के कार्यवृत के अनुसार, मुख्य अभियंता, केएनएल, मालाप्रभा परियोजना द्वारा शिगगांव, सावनूर, कुंडगोल, तालुका क्षेत्रों और हुबली और धारवाड़ जुड़वां शहरों के गंभीर रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए धर्मा जलाशय (वरदा नदी के बजाय) में जलके अंतरण पर विचार करने का सुझाव दिया गया था। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 21.01.2021 के पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति भेज दी है। वेदती–वरदा लिंक परियोजना की प्रारूप डीपीआर रिपोर्टिंग अवधि में पूरी कर ली गई है और सितंबर, 2022 उनकी टिप्पणियों के लिए कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत की गई है।

4.4.3 नेत्रावती – हेमवती लिंक परियोजना

कर्नाटक सरकार ने अभी तक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी सहमति से अवगत नहीं कराया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण एफआर की तैयारी के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने के लिए सहमति के लिए कर्नाटक सरकार के साथ नियमित रूप से इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। 27.01.2016 को आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 62 की शासी निकाय बैठक के दौरान, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि नेत्रावती जल के अंतरण की परिकल्पना करने वाली यतिनहोल परियोजना की डीपीआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई है और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की टिप्पणियां 11.11.2016 को भेजी गई है।

23.03.2018 को आयोजित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शासी निकाय की 65वीं बैठक के दौरान, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि कर्नाटक सरकार ने यतिनहोल परियोजना की योजना बनाई है क्योंकि वे नेत्रावती–हेमावती लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट को शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा यतिनहोल परियोजना की डीपीआर की जांच की गई थी और टिप्पणियां कर्नाटक सरकार को भेजी गई थीं कि दोनों परियोजनाएं नामतः यतिनहोल परियोजना, जैसा कि कर्नाटक द्वारा तैयार किया गया है और एनपीपी के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावित नेत्रावती–हेमावती लिंक परियोजना कार्यान्वयन योग्य है।
कर्नाटक सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही यतिनहोल परियोजना पर विचार करते हुए नेत्रावती बेसिन के पथांतरित स्थलों तक संशोधित जल संतुलन अध्ययन के अनुसार, अंतरण के लिए कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है, इसलिए एफआर/डीपीआर के लिए आगे के अध्ययन के लिए इस लिंक को हटा दिया गया है।

4.4.4 महानदी – गोदावरी लिंक परियोजना

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, बरमूल बांध स्थल (अप्रैल, 2018) में महानदी बेसिन में 75% धारणीयता पर समग्र जल उपलब्धता और जल संतुलन क्रमशः 49101 एमसीएम और 6794 एमसीएम है। ओडिशा सरकार एनआईएच द्वारा किए गए जल संतुलन अध्ययन से सहमत नहीं है और एनआईएच द्वारा किए गए अध्ययन पर कतिपय टिप्पणियां की हैं, जिनकी रा.ज.वि.अ द्वारा जांच की गई है और उनका उत्तर दिया गया है। वैकल्पिक महानदी (बरमूल)– गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट अक्टूबर, 2020 में पूरा हो गई है और परिचालित की गई। लिंक परियोजना के लिए प्रणाली स्टडी कार्य एनआईएच, रुड़की को भी सौंपा गया है और अंतिम प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है एवं प्रणाली स्टडी संबंधी उप–समिति के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई थी और फाईनल की जा रही है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत विभिन्न अध्ययनों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

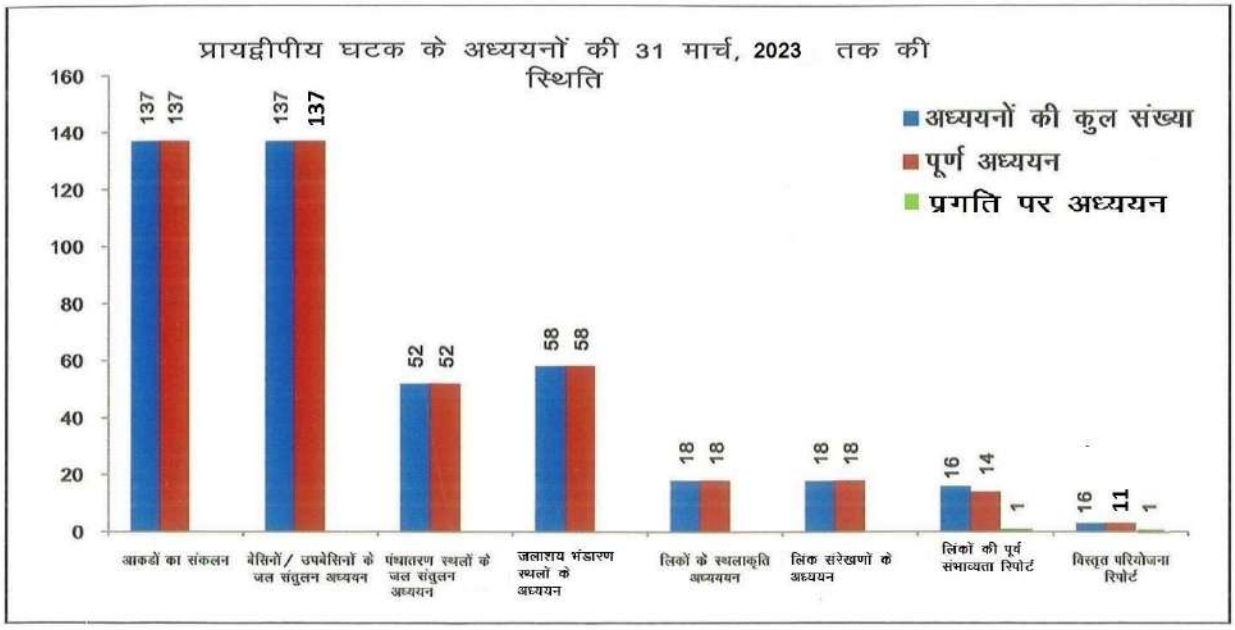

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के तहत आईबीडब्ल्यूटी लिंक की डीपीआर की वर्तमान स्थिति

क्रम संख्या	लिंक परियोजना का नाम	लिंक परियोजना की डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	केन–बेतवा (चरण–I) और केन–बेतवा (चरण II)	केबीएलपी की डीपीआर को चरण–I और चरण–II में विभाजित किया गया था। केबीएलपी (चरण–I) की डीपीआर में दौधन बांध शामिल है और इसके सहायक कार्य, सुरंग, बिजली घर और लिंक नहर 2010 में पूरी हो गई थी। वर्ष 2013–14 के दौरान राजविअ द्वारा केबीएलपी (चरण–II) की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। तब से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति बनाने का कार्य शुरू किया गया था। केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक

		त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 22.03.2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों और माननीय जल शक्ति मंत्री के बीच हुए। पीआईबी ने 1 अक्टूबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी थी । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केबीएलपीए नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से 39317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ वर्ष 2020–21 मूल्य स्तर पर 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 08.12.2021 को केन–बेतवा लिंक के कार्यान्वयन को मंजूरी दी । 11फरवरी, 2022 को की गई राजपत्र अधिसूचना में भारत सरकार और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति और विशेष प्रयोजन वाहन नामत: केबीएलपीए का गठन किया गया है। केन–बेतवा लिंक परियोजना (एससी–केबीएलपी) की संचालन समिति की तीन बैठकें सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई हैं। तीसरी बैठक 18.01.2023 को आयोजित की गई थी। संचालन समिति की 7 अप्रैल, 2022 को हुई पहली बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, केबीएलपीए के कार्यालय भोपाल, झांसी और छतरपुर में खोले गए हैं। केबीएलपीए के सीईओ/महानिदेशक, राजविअ की अध्यक्षता में केबीएलपीए की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं। तीसरी बैठक 23.02.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। डब्ल्यूआईआई देहरादून द्वारा तैयार एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना के विकास की अंतिम रिपोर्ट 02.06.2022 को सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी की गई थी। राज्य सरकार द्वारा दो वन्यजीव अभयारण्यों नामत मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ परियोजना के अंतर्गत लाने के लिए अनुमोदित किया गया है। धारा–11 के अंतर्गत 21 गांवों के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिसूचित किया गया है और 21 गांवों के संपत्ति सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। छतरपुर और पन्ना जिलों में 5480 हेक्टेयर शासकीय गैर वन भूमि पीटीआर को हस्तांतरित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पन्ना के 7 ग्रामों की निजी राजस्व भूमि भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के सहयोग से 14 राजस्व ग्रामों के पुनर्वास के लिए सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। केबीएलपी के ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप परिषद (जीपीएलसी) और पुनर्वास और पुर्नस्थापन के लिए निगरानी समिति (एमसी–आर एंड आर) कार्यों का गठन किया गया है। पैलानी और बांदा में प्रस्तावित बैराजों के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण कार्य यूएवी/ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूरा किया गया। बैराज स्थलों पर डायमंड कोर डीप ड्रिलिंग

		का कार्य प्रगति पर है। मध्यप्रदेश के दूसरे चरण के लोअर ओर, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज के लिए निर्माण कार्य (हेड वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली) प्रगति पर है। अन्य शेष घटकों नामत: उत्तर प्रदेश में दो बैराज, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मौजूदा टैंकों का नवीकरण, मौजूदा केन कमांड प्रणाली के नवीकरण और आधुनिकीकरण आदि की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। 31.03.2023 तक केबीएलपी चरण 1 और 2 पर खर्च की गई कुल राशि 8097.79 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य बजट से खर्च किए गए 2835.87 करोड़ रुपये शामिल हैं।
2.	दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना	वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा डीपीएलपी की डीपीआर पूरी कर ली गई थी।
3.	पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना	पीटीएनएलपी की डीपीआर तैयार करने का काम 2015–16 में पूर्ण हो गया है।
4.	गोदावरी (इन्चमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर)	गोदावरी (इन्चमपल्ली बैराज)– कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की डीपीआर का प्रारूप मार्च 2019 में परिचालित किया गया था, जिसमें गोदावरी (इन्चमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रांट एनीकट) शामिल हैं। डीपीआर को राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था और 28.04.2021 को संबंधित राज्यों को परिचालित किया गया था।
5.	कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमासिला)	
6.	और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रांट एनीकट)	
7.	कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना	कावेरी (कट्टालाई)– वैगई–गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर पूरी हो गई थी और अगस्त 2020 के दौरान पक्षकार राज्यों को परिचालित की गई है।
8.	वेदती –वरदा लिंक परियोजना	बेदती–वरदा लिंक परियोजना की प्रारूप डीपीआर फरवरी, 2022 में पूरी हो गई थी और उनकी टिप्पणियों के लिए कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत की गई थी।
9.	गोदावरी (एसएसएमपीपी) – कृष्णा (पुलीचिंतला)	गोदावरी (एसएसएमपीपी) – कृष्णा (पुलीचिंतला) लिंक परियोजना की डीपीआर मार्च, 2023 में पूर्ण।
10.	कृष्णा (श्रीशैलम) – पेन्नार	कृष्णा (श्रीशैलम)–पेन्नार लिंक परियोजना का मसौदा डीपीआर मार्च, 2023 में पूरा हुआ।
11	कृष्णा (अलमाटी) – पेन्नार	कृष्णा (अल्माटी)–पेन्नार लिंक परियोजना का मसौदा डीपीआर मार्च, 2023 में पूरा हुआ।

4.5 एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत आईबीडब्ल्यूटी लिंको की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति

हिमालयी घटक के अंतर्गत अभिनिर्धारित 14 लिंको में से राजविअ ने 4 लिंको नामत: शारदा–यमुना लिंक (भारतीय भाग), मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा (एमएसटीजी) लिंक (भारतीय भाग), गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा लिंक और सुबर्णरेखा –महानदी लिंक के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) अध्ययन पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा, छः लिंक परियोजनाओं की एफआर नामत: i) गंडक–गंगा लिंक (भारतीय भाग), ii) घाघरा–यमुना लिंक (भारतीय भाग), (iii)

यमुना–राजस्थान लिंक, iv) राजस्थान–साबरमती लिंक, v) फरक्का–सुंदरबन लिंक और vi) कोसी–घाघरा लिंक भी कर लिया गया है और परिचालित कर दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, चुनार–सोन बैराज लिंक से संबंधित एफआर का मसौदा तैयार करने में इस समय संशोधन किया जा रहा है और गंगा लिंक की सोन बांध–दक्षिणी सहायक नदियों की एफआर का कार्य प्रगति पर है।

कोसी–मेची लिंक, जो पूर्णतया नेपाल क्षेत्र में स्थित है और जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का एमएसटीजी लिंक परियोजना का एक विकल्प होने के कारण वर्तमान में एफआर तैयार करने के लिए लक्षित नहीं है। तथापि, जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का संपर्क के वन मुक्त संरेखण का पीएफआर पूरा कर लिया गया था और इसे राजविअ के टीएसी के सदस्यों तथा बिहार, असम और पश्चिम बंगाल की संबंधित राज्य सरकारों को दिनांक 13.06.2011 को परिचालित कर दिया गया था।

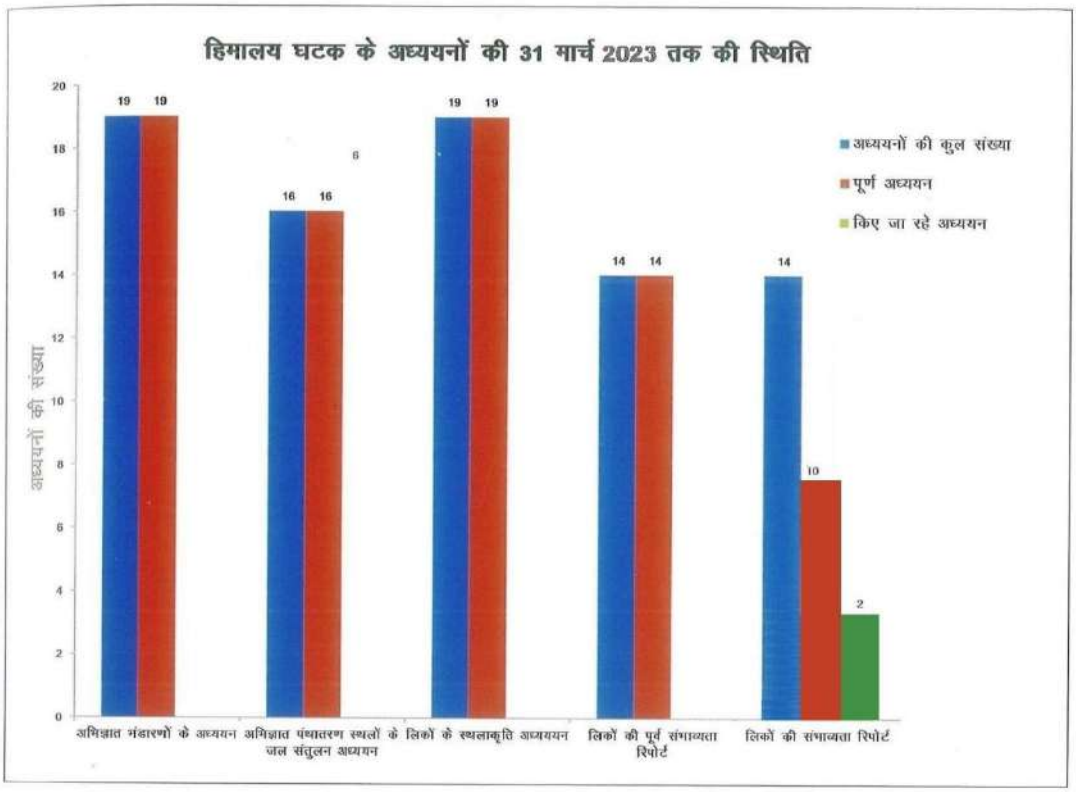

एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत आईबीडब्ल्यूटी लिंको के एफआर अध्ययनों की वर्तमान स्थिति

क्रमांक	लिंक परियोजना का नाम	लिंक परियोजना के एफ.आर. की वर्तमान स्थिति
1.	मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा	मूल संरेखण के अनुसार एम–एस–टी–जी लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी नहीं की जा सकी , क्योंकि एम–एस–टी–जी का मूल लिंक संरेखण मानस और बक्सा टाइगर रिजर्व और अन्य वन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। इन पहुंचों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों के लिए व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने लगभग 80 मीटर लिफ्ट के साथ विभिन्न आरक्षित

		वनों से बचने के लिए वैकल्पिक संरेखण अध्ययन किए हैं। एफआर अब पूरा हो गया है और पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और बिहार सरकार के बीच उनके सुझावों/विचारों के लिए 17.07.2020 को परिचालित किया गया है।
2.	गंगा (फरक्का)–सुंदरवन	दिसंबर, 2020 में पक्षकार राज्यों के बीच पूर्ण हुआ और परिचालित किया गया।
3.	सुवर्णरेखा–महानदी	फरवरी, 2021 में पक्षकार राज्यों के बीच पूर्ण हुआ और परिचालित किया गया।
4.	गंडक–गंगा	भारतीय भाग को शामिल करने वाला एफआर पूरा हो गया है और फरवरी, 2021 में पक्षकार राज्यों के बीच परिचालित किया गया है।
5.	राजस्थान–साबरमती	फरवरी, 2021 में पक्षकार राज्यों के बीच पूर्ण हुआ और परिचालित किया गया।
6.	गंगा–दामोदर–सुबरणरेखा	मार्च, 2021 में पूरा हुआ और वर्तमान में नवीनतम डेटा को शामिल करने के साथ अद्यतन किया जा रहा है।
7.	शारदा–यमुना	शारदा–यमुना लिंक परियोजना का प्रारूप एफआर 01.09.2015 को प्रधान सचिवों (डब्ल्यूआर), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अग्रेषित किया गया है।
8.	घाघरा–यमुना (भारतीय भाग)	प्रारूप एफआर पूरा हो गया है लेकिन परिचालित नहीं किया गया है क्योंकि नेपाल क्षेत्र में कार्य पूरा नहीं हुआ है।
9.	यमुना–राजस्थान	यमुना–राजस्थान लिंक परियोजनाओं का प्रारूप एफआर 01.09.2015 को प्रधान सचिवों (डब्ल्यूआर), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अग्रेषित किया गया है।
10.	चुनार–सोन बैराज	एफआर पूर्ण
11.	सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ	सुदूर संवेदन मानचित्रों का उपयोग करके सोन एस–टी–जी की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया गया है और एफआर प्रगति पर है।
12.	कोसी–घाघरा	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा हो गया है और एफआर प्रगति पर है।

4.6 पार्बती–कालीसिंध–चम्बल लिंक परियोजना के साथ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एकीकरण

पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना (पीकेसीएलपी) एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं में से एक है। पीकेसीएलपी की व्यवहार्यता रिपोर्ट को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार किया गया था और वर्ष 2004 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों राजस्थान और मध्य प्रदेश को परिचालित किया गया था। पीकेसीएलपी में तीन प्रस्तावित बांधों नामतः पार्वती नदी पर पाटनपुर, नेवाज नदी पर मोहनपुरा (कालीसिंध की एक सहायक नदी) और कालीसिंध नदी पर कुंडलिया नामक तीन प्रस्तावित बांधों की परिकल्पना की गई है ताकि 75% उपलब्धता पर 1360 एमसीएम जल का उपयोग किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने मोहनपुरा और कुंडलिया प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण स्टैंड–अलोन परियोजनाओं के रूप में किया और इस प्रकार पीकेसीएलपी को एनपीपी में प्रस्तावित किया।

राजस्थान सरकार ने सतत जल संसाधन विकास सुनिश्चित करने और विभिन्न जल मांगों को पूरा करने के लिए चंबल बेसिन के कुछ उप–बेसिनों नामतः कालीसिंध और पार्वती उप–बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल

संसाधनों का उपयोग करने के लिए ईआरसीपी तैयार किया। प्रस्तावित ईआरसीपी योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार का लक्ष्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 50% उपलब्धता पर लगभग 3500 एमसीएम जलका उपयोग करना है और साथ ही लगभग 2 लाख हेक्टेयर के नए कमांड क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना और मौजूदा कमांड क्षेत्र के लगभग 0.80 लाख हेक्टेयर के स्थिरीकरण का लक्ष्य है। ईआरसीपी स्कीम की डीपीआर राजस्थान सरकार की ओर से वाप्कोस द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन किया जा रहा है।

चंबल नदी प्रणाली के जल के उपयोग को इष्टतम बनाने की दृष्टि से, राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी को पीकेसीएलपी के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया था। इससे राजस्थान की प्रस्तावित ईआरसीपी योजना के साथ–साथ मूल पीकेसीएलपी में मध्य प्रदेश के अप्रयुक्त जल के उपयोग की सुविधा होगी।

18-10-2019 को आयोजित टीएफआईएलआर की 11वीं बैठक के दौरान, एनपीपी के पीकेसीएलपी के बचे हुए हिस्से को राजस्थान के ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने की संभावना पर चर्चा की गई । तदनुसार, राजस्थान के ईआरसीपी के साथ एनपीपी के पीकेसीएलपी को एकीकृत करने की संभावना पर विचार विमर्श करने के लिए श्री श्रीराम विदेरे अध्यक्ष, नदी जोड़ पर कार्यबल और सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 28-11-2019 और 16-03-2020 को नई दिल्ली में बैठकें आयोजित की गई । बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एनपीपी के पीकेसीएलपी के साथ ईआरसीपी का एकीकरण के पीएफआर की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भोपाल में 20-03-2020 को पार्वती बेसिन की उपज को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा की । इस मामले पर 16-07-2020 को आयोजित नदी जोड़ कार्यबल की 12वीं बैठक में फिर से चर्चा की गई और निर्णयों के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने आगे काम शुरू कर दिया है।

तत्पश्चात, एक पीएफआर नामतः पार्वती–कुनो–सिंध लिंक परियोजना (पीकेएसएलपी) तैयार की गई है और इसे मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय जल आयोग को परिचालित किया गया है। 11-08-2020 को सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार, पीकेसी और ईआरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में कुनो, पार्वती, सिंध और चंबल बेसिनों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे, जलके आदान–प्रदान और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में सुझाव देने के लिए सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया था। इस कार्य दल ने 04-09-2020 और 25-09-2020 को दो बैठकें आयोजित की थीं। श्री श्रीराम विदेरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 27-01-2021 को पीकेएसएलपी की स्थिति की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक के दौरान दो चरणों में ईआरसीपी की योजना बनाने का निर्णय लिया गया। चरण–। के अंतर्गत, लगभग 2000 एमसीएम जल का उपयोग करने के लिए योजना बनाई जा सकती है जो 75% उपलब्धता पर उपलब्ध हो सकती है। तत्पश्चात, एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों की सहमति से चरण–।। के अंतर्गत 75% धारणीयता से अधिक जल के उपयोग की योजना बनाई जा सकती है। 25-02-2021 को आयोजित टीएफआईएलआर की 13वीं बैठक के दौरान, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को इस मामले पर बारीकी से चर्चा करने और उनकी राय लेने के लिए दोनों राज्यों के साथ बैठकें आयोजित करने और शुरू में चरण–। के लिए सामान्य सहमति प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में इन प्रस्तावों की चरणवार कार्यों की तैयारी चल रही है।

इन मुद्दों पर 29 सितंबर, 2021 को आयोजित टीएफआईएलआर की 14वीं बैठक में और 12-11-2021 को आयोजित रा.ज.वि.अ की 35वीं एजीएम में फिर से चर्चा की गई। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा

संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) ने 27-01-2022 को राजस्थान राज्य और केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ परामर्श बैठक की। माननीय मंत्री जी ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ एक परामर्श बैठक की और इस बात पर जोर दिया कि ईआरसीपी को राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के लाभ के लिए पीकेसी लिंक के साथ उपयुक्त रूप से एकीकृत आईएलआर परियोजना के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

जैसा कि 17-05-2022 को आयोजित टीएफआईएलआर की 16वीं बैठक में सिफारिश की गई थी, संशोधित पीकेसी लिंक के चरण–I को आईएलआर के एनपीपी के हिस्से के रूप में ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत करने और इस परियोजना को देश में प्राथमिकता लिंक परियोजना में से एक के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को एससीआईएलआर द्वारा 13-12-2022 को आयोजित अपनी 20वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। राजस्थान राज्यों और मध्य प्रदेश, सीडब्ल्यूसी, राजविअ और वैपकोस के साथ 23-02-2023 को आयोजित संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वैपकोस संशोधित पीकेसी लिंक के ईआरसीपी हिस्से की डीपीआर तैयार करेगा, मध्य प्रदेश की डब्ल्यूआरडी सरकार एसएमआरएस बांध, रंजीत सागर बांध और लखुंदर बैराज की डीपीआर का मसौदा तैयार करेगी, राजविअ कुंभराज बांध की डीपीआर तैयार करेगा और सीडब्ल्यूसी प्रत्येक परियोजना और डायवर्सन बिंदुओं के लिए जल विज्ञान अध्याय तैयार करेगा। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के चरण–I की डीपीआर का मसौदा राजविअ द्वारा संकलित किया जाएगा।

अध्याय – 5
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत चिन्हित प्राथमिकता वाले लिंक

5.1 प्राथमिकता प्राप्त लिंको पर आम सहमति बनाने के लिए किए गए प्रयास

जल शक्ति मंत्रालय और राजविअ ने संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए आगे के कदम उठाने के लिए प्राथमिकता लिंक के रूप में निम्नलिखित लिंक की पहचान की है:

1. केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी),
2. गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना (जीसीजीएएलपी) (3 लिंक परियोजनाओं से युक्त),
3. संशोधित पीकेसी लिंक को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एकीकृत किया गया,
4. पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना (पीटीएनएलपी) और
5. दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना (डीपीएलपी)।

5.1.1 केन – बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी)

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के तहत केबीएलपी पहली परियोजना है जिसे कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। केबीएलपी (चरण–I) और केबीएलपी (चरण–II) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें क्रमशः अगस्त, 2010 और जनवरी, 2014 में पूरी कर ली गई थीं। केबीएलपी का विवरण अध्याय संख्या 6 में अलग से दिया गया है।

5.2 गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी के जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव

प्रस्तावित मणिभद्र बांध और इंचमपल्ली बांध पर आम सहमति लंबित होने के कारण राजविअ ने जीसीजीएलपी के माध्यम से गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप–बेसिन के अप्रयुक्त जल को कावेरी बेसिन की ओर पथांतरित करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया है। गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट)लिंक में तीन लिंक नामतः गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा(नागार्जुनसागर) लिंक,कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक शामिल हैं। यह लिंक परियोजना गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार और कावेरी घाटियों से होकर गुजरती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है।

राजविअ ने इस लिंक प्रस्ताव का मसौदा डीपीआर तैयार किया है और मार्च, 2019 में पक्षकार राज्यों को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे पर अधिकांश पक्षकार राज्यों नामत: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विचारधटिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और राजविअ द्वारा उनका उत्तर दे दिया गया है। टास्क फोर्स के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सलाहकार श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से 16.07.2020 और 25.02.2021 को आयोजित टीएफआईएलआर की क्रमशः बारहवीं और तेरहवीं बैठकों के दौरान संबंधित मुद्दों और विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। लिंक प्रस्ताव नामत: गोदावरी (इंचमपल्ली बैराज) – कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर को 28.04.2021 को फिर से परिचालित किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया। डीपीआर को राज्यों की व्यवहार्य टिप्पणियों के आधार पर यथासंभव अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे पूरा कर लिया गया है।

अब राज्यों के बीच आम सहमति बनाने और इस लिंक के कार्यान्वयन के लिए एक समझ/समझौते पर पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद, लिंक परियोजना के लिए विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

पक्षकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अब तक चार परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे डीपीआर में शामिल परियोजनाओं के ब्यौरे, लिंक संरेखण और परियोजना में विचार किए गए कमान क्षेत्रों पर सुझावों की पुष्टि अथवा अनुपूरण करें।

दिनांक 18.02.2022 को आयोजित तीसरी परामर्श बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बेदती–वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में अनुपूरण के प्रस्ताव को संयोजित करने के साथ–साथ गोदावरी से 7000 एमसीएम से लगभग 4000 एमसीएम तक अंतरण को सीमित करने के प्रस्ताव को फिर से तैयार करने के लिए राजविअ द्वारा हाल ही में एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) भी तैयार की गई है। इस प्रस्ताव पर 18.10.2022 को राज्यों के साथ विचार–विमर्श किया गया था। टीएफआर को जनवरी, 2023 में पक्षकार राज्यों को परिचालित किया गया है।

5.3 संशोधित पार्बती–कालीसिंध–चंबल (पीकेसी) लिंक को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ विधिवत एकीकृत किया जाना

संशोधित पीकेसी लिंक को आईएलआर के एनपीपी के हिस्से के रूप में ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत करने और संशोधित पीकेसी लिंक के चरण –1 को देश में प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाओं में से एक के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को एससीआईएलआर ने दिसंबर, 2022 में आयोजित अपनी 20वीं बैठक में मंजूरी दे दी है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना का एक मसौदा पीएफआर और लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए एक मसौदा समझौता ज्ञापन जनवरी, 2023 में दोनों राज्यों और सीडब्ल्यूसी को भेजा गया था। राज्यों के साथ 23.02.2023 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी और बैठक के दौरान संशोधित पीकेसी लिंक की डीपीआर तैयार करने का काम शुरू करने के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। संशोधित पीकेसी लिंक के मुद्दे पर 6 मार्च, 2023 को हैदराबाद में आयोजित टीएफआईएलआर की 17वीं बैठक में भी विचार–विमर्श किया गया था।

5.4 पार – तापी – नर्मदा और दमनगंगा – पिंजल लिंक परियोजनाएं

डीपीएलपी और पीटीएनएलपी महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित दो लिंक हैं। डीपीएलपी से महाराष्ट्र को फायदा होता है जबकि पीटीएनएलपी से गुजरात को फायदा होता है। जल बंटवारे के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीपीएलपी की तकनीकी–आर्थिक मंजूरी जुलाई, 2016 में प्रदान की गई है।

हालाँकि, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना के संयुक्त विकास के इच्छुक नहीं हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने दिनांक 20.03.2023 के पत्र के माध्यम से एनपीपी के तहत "प्राथमिकता लिंक" के रूप में पार–तापी–नर्मदा और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजनाओं को बंद कर दिया है।

अध्याय –6
केन–बेतवा लिंक परियोजना

6.1 परिचय

केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) एनपीपी के तहत पहली लिंक परियोजना है जो कार्यान्वयन के लिए तैयार है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभ होगा। इसके मुख्य घटकों में दौधन बांध, केन–बेतवा लिंक नहर और इसके सहायक कार्य (चरण –1) और तीन और परियोजनाएं नामत: लोअर ओर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना (चरण –2) शामिल हैं। इस परियोजना में 2 नए बैराज और उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में केबीएलपी कमांड में मौजूदा टैंकों का नवीनीकरण भी शामिल है।

6.2 सांविधिक मंजूरियां

केबीएलपी (चरण–I) और केबीएलपी (चरण–।।) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें क्रमश अगस्त, 2010 और जनवरी, 2014 में पूरी कर ली गई थीं। डीपीआर (चरण–I, II और व्यापक रिपोर्ट) को पूरा करने के बाद चरण–II वन स्वीकृति और माननीय उच्चतम न्यायालय की केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से स्वीकृति को छोड़कर अधिकांश सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं।

केन–बेतवा लिंक परियोजना का सूचकांक मानचित्र

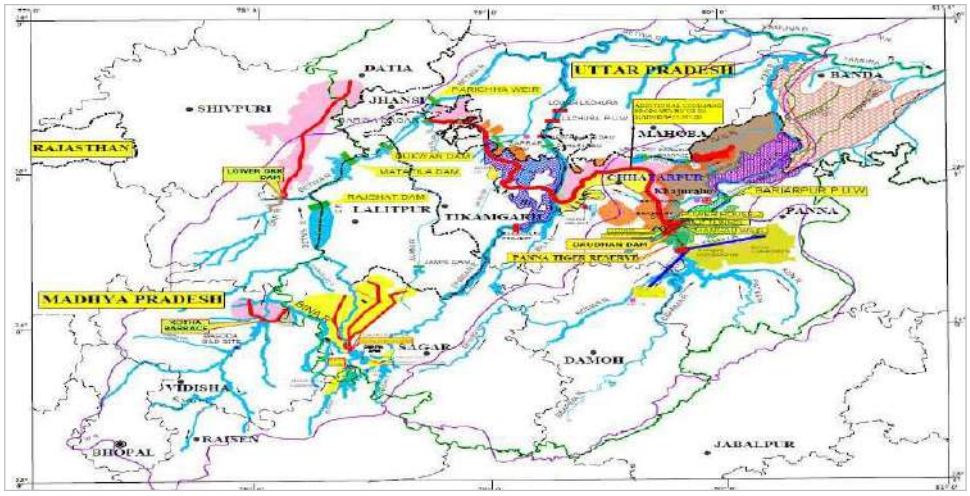

6.3 केबीएलपी का कार्यान्वयन

6.3.1 समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर

भारत के माननीय प्रधानमंत्री की विशिष्ट उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम के बीच 22.03.2021 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

22.03.2021 को केबीएलपीए के कार्यान्वयन के लिए एमओए पर हस्ताक्षर करते हुये

6.3.2 पीआईबी ज्ञापन

केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा पीआईबी मेमो भी तैयार किया गया है और मार्च 2021 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय को भेजा गया है। परियोजना के मूल्यांकन के लिए पीआईबी मेमो 20.05.2021 को विभिन्न मंत्रालयों के बीच परिचालित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने 01.10.2021 को आयोजित अपनी बैठक में पीआईबी मेमो पर विचार किया है और कुछ शर्तों (पत्र संख्या 10 (04)/पीएफसी–1/2021 दिनांक 03.11.2021) के माध्यम से सिफारिश की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(i) 90(केंद्र) : 10 (राज्य) वित्तपोषण पैटर्न दौधन बांध और केन–बेतवा लिंक नहर के लिए लागू होगा। जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत और बिजली घटक को छोड़कर केबीएलपी के इन घटकों के लिए पुनर्वास एवं पुनःस्थापना शामिल है।

(ii) भूमि अधिग्रहण की लागत और इन घटकों के लिए अनुसंधान एवं विकास सहित राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अन्य राज्य विशिष्ट घटकों का वित्तपोषण 60% केन्द्रीय अनुदान, राज्यों को 30% केन्द्रीय ब्याज वहन ऋण और 10% राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, इस केन्द्रीय ऋण को मानदंडों के अनुसार राज्यों को दी जा रही सामान्य उधार अनुमति के अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) भूमि अधिग्रहण लागत में वृद्धि 5% प्रति वर्ष की दर से तीन वर्षों तक सीमित होगी। भूमि अधिग्रहण पर कोई अन्य वृद्धि राज्यों द्वारा वहन की जा सकती है।

(iv) सभी सांविधिक और अन्य स्वीकृतियां पूर्ण होने से पहले केवल प्रारंभिक कार्यों/स्वीकृतियों पर व्यय की अनुमति दी जाएगी।

(v) सिविल निर्माण कार्यों/प्रारंभिक कार्यों या स्वीकृतियों के अलावा किसी अन्य मद के लिए भारत सरकार से निधियां केवल तभी जारी की जाएंगी जब दोनों राज्यों में परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का कम से कम 80% अधिग्रहण कर लिया जाए।

(vi) केबीएलपी के लिए केंद्रीय वित्तपोषण परियोजना के पूरा होने के साथ समाप्त हो जाएगा।

(vii) केबीएलपी के पूरा होने के बाद परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सृजित विशेष प्रयोजन वाहन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

(viii) सभी निधियों को प्रस्तावित केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

(ix) विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

6.3.3 कैबिनेट नोट

पीआईबी की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय वित्त पोषण और एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना के लिए एक कैबिनेट नोट मंजूरी के लिए कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 08.12.2021 को केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ 44,605 करोड़ रुपये (2020–21 मूल्य स्तर) की कुल अनुमानित लागत के साथ केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

केंद्र और राज्यों के वित्तपोषण का हिस्सा निम्नानुसार है:

क्रमांक	घटक	फंडिंग पैटर्न
1.	दौधन बांध और केन–बेतवा लिंक नहर और उनके भूमि अधिग्रहण की लागत सहित सहायक कार्य और पावर घटक (केबीएलपी का कोर) को छोड़कर पुनर्वास एवं पुनःस्थापना के कार्य ।	90 (केन्द्रीय अनुदान) : 10 (राज्यों का हिस्सा) :
2.	उत्तर प्रदेश के 2 नए बैराजों को शामिल करने वाली राज्य विशिष्ट परियोजनाएं, मध्य प्रदेश की लोअर ओर, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजनाएं	60 (केन्द्रीय अनुदान) : 30 (केंद्रीय ऋण) : 10 (राज्यों का हिस्सा)

6.3.4 राजपत्र अधिसूचना

केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में संचालन समिति के गठन के लिए राजपत्र अधिसूचना और केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन, केबीएलपीए, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 11.02.2022 को जारी की गई है।

6.3.5 केबीएलपीए के कार्यालय

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार भोपाल, झांसी और छतरपुर स्थित मंडल कार्यालय केबीएलपीए के अंतर्गत एक परियोजना प्रकोष्ठ के साथ कार्य कर रहे हैं जिसका गठन केबीएलपीए के संबंध में सहायता अनुदान के प्रबंधन के लिए राजविअ, मुख्यालय में किया गया है और यह मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ की देखरेख में कार्य कर रहा है।

6.3.6 केबीएलपी और केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति का गठन

दिनांक 11फरवरी 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, भारत सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति और केबीएलपीए का गठन किया गया है। संचालन समिति की तीन बैठकें और केबीएलपीए की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं।

6.3.6.1 एससी–केबीएलपी की पहली,दूसरी और तीसरी बैठक

एससी–केबीएलपी की पहली,दूसरी और तीसरी बैठक क्रमशः 07.04.2022, 20.07.2022 और 18.01.2023 को श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और अध्यक्ष, एससी–केबीएलपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

दिनांक 07/04/2022 को आयोजित एससी-केबीएलपी की पहली बैठक

6.3.6.2 केन–बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की पहली बैठक

एससी–केबीएलपी की पहली बैठक श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई थी।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में मध्य प्रदेश सरकार 21 गांवों के संबंध में भूमि अधिग्रहण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा सकती है और 21 गांवों में जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाले पीटीआर के लिए प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) के लिए पहचान की गई गैर–वन सरकारी भूमि के अंतरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर सकती है। केबीएलपीए का मुख्य कार्यालय भोपाल में तथा कार्यालय छतरपुर और झांसी में खोलने का प्रस्ताव किया गया था। केबीएलपीए के लिए सीईओ/एसीईओ के भर्ती नियमों को संशोधित किया जाएगा और सीईओ/एसीईओ/निदेशक (वित्त) की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। आईएलएमपी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और कार्यान्वयन तंत्र के साथ इसकी सिफारिश को एससी–केबीएलपी की अगली बैठक में रखा जाएगा। टीओआर को अंतिम रूप दिया जाएगा और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी।

6.3.6.3 केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक

दूसरी बैठक के दौरान संचालन समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों और 2022–23 की कार्य योजना पर अद्यतन स्थिति और अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा की गई।

संचालन समिति की पहली बैठक के दौरान किए गए विचार–विमर्श के अनुसार, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अनुमोदन से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन मानदंड, ईओआई का मूल्यांकन, तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों का निर्धारण करने के लिए ईओआई, आरएफपी, अनुबंध दस्तावेज आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में एक परामर्शी मूल्यांकन समिति (सीईसी) का गठन किया गया है। बैठक में यह प्रस्ताव किया गया कि पुनर्वास एवं पुनःस्थापना योजना को अंतिम रूप दिए जाने के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से परियोजना के तहत पुनर्वास एवं पुनःस्थापना योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पुनर्वास एवं पुनःस्थापना समिति गठित की जा सकती है। समिति के अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि डब्ल्यूआईआई द्वारा तैयार आईएलएमपी परियोजना के अन्य घटकों की तरह ही महत्वपूर्ण है और केबीएलपी को एक मॉडल परियोजना के रूप में लागू करने के लिए इसे जल्द से जल्द कार्यान्वयन के लिए लिया जाना चाहिए। बैठक में केबीएलपी (टीएजी–केबीएलपी) के लिए एक तकनीकी सलाहकार समूह गठित करने का प्रस्ताव किया गया जो परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में विभिन्न नियोजन और तकनीकी मामलों पर प्राधिकरण की समीक्षा और सलाह देगा। समिति के अध्यक्ष ने शेष घटकों की डीपीआर तैयार करने के कार्यों को समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए। संचालन समिति प्राधिकरण की वित्तीय शक्तियों को तैयार करने के लिए एसीएस, डब्ल्यूआरडी और मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक छोटे समूह के गठन के प्रस्ताव और सीईओ, केबीएलपीए और जेएस एंड एफए, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय को संचालन समिति के सदस्यों के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव से सहमत हुई। विचार–विमर्श के बाद संचालन समिति ने उन कार्यों पर किए गए व्यय पर राज्यों को प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव की सिफारिश की जिनमें 80% भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता पूरी हो चुकी है।

दिनांक 20/07/2022 को आयोजित एससी-केबीएलपी की दूसरी बैठक

6.3.6.4 केन–बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक

एससी–केबीएलपी की तीसरी बैठक 18.01.2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा नीति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने अपने उद्घाटन भाषण में जोर देकर कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र की जल सुरक्षा और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए केबीएलपी महत्वपूर्ण है। यह केंद्र और राज्य की एक प्रमुख परियोजना है। हमारे पास अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी है और परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना और क्षेत्र के संरक्षण, विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व की परिदृश्य निर्भर प्रजातियों का संरक्षण करना है।

बैठक के दौरान, दूसरी बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई, वर्ष 2023–24 के लिए कार्य योजना, पीएमसी की नियुक्ति, प्रभावित गांवों के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनःस्थापना, केबीएलपीए के कार्यालयों की स्थापना, ग्रेटर पन्ना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थानों द्वारा तैयार आईएलएमपी के कार्यान्वयन सहित विभिन्न एजेंडा मदों, केबीएलपीए की वित्तीय शक्तियां, किए गए व्यय पर राज्य को प्रतिपूर्ति आदि पर विचार–विमर्श किया गया।

दिनांक 18/01/2023 को आयोजित एससी-केबीएलपी की तीसरी बैठक

समिति को बताया गया कि मध्यप्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले की लगभग 5480 हेक्टेयर गैर–वन सरकारी भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण के लिए पीटीआर को हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दो वन्यजीव अभयारण्यों नामत मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ परियोजना के अंतर्गत लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। पीटीआर की बांध वहन क्षमता बढ़ाने की दिशा में यह एक

महत्वपूर्ण कदम है। बैठक के दौरान पुनर्वास एवं पुनःस्थापना योजना के कार्यान्वयन की पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निगरानी करने के लिए एक पुनर्वास एवं पुनःस्थापना समिति के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। परियोजना के लैंडस्केप प्रबंधन योजना (एलएमपी) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के कार्यान्वयन के लिए एक ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप परिषद का भी गठन किया जा रहा है।

6.3.6.5 केबीएलपीए की पहली,दूसरी और तीसरी बैठक

केबीएलपीए की पहली, दूसरी और तीसरी बैठक क्रमशः 24.06.2022, 13.09.2022 और 23.02.2023 को श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, राजविअ और सीईओ, केबीएलपीए की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

दिनांक 24/06/2022 को आयोजित केबीएलपीए की पहली बैठक

6.3.6.6 केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की पहली बैठक

केबीएलपीए की पहली बैठक राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, 2021–22 में किए गए कार्यों की समीक्षा/प्रगति और केबीएलपी की 2022–23 की कार्य योजना पर चर्चा की गई और सदस्यों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। एससी–केबीएलपीए की पहली बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने चरण–II परियोजनाओं नामत: लोअर ओर, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज के कार्य की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी दी। आगे यह अनुरोध किया गया कि जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार जून, 2022 से भूमि (सरकारी, निजी और वन) की स्थिति सहित सभी तीन परियोजनाओं की मासिक प्रगति प्राधिकरण को भेज सकता है ताकि पुनर्वास एवं पुनःस्थापना और संपत्ति सर्वेक्षण के कार्यान्वयन को मान्य किया जा सके। केबीएलपीए के सीईओ ने सुझाव दिया कि संचालन समिति की सलाह के लिए पुनर्वास एवं पुनःस्थापना स्थिति और अन्य मुद्दों पर एक स्थिति नोट तैयार किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि आई एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश पीएफएमएस के माध्यम से बजट हस्तांतरण के लिए एक बैंक खाता खोलेगा और निदेशक (वित्त), केबीएलपीए झाँसी, भोपाल और छतरपुर प्रभागों में केबीएलपीए के

दिनांक 13/09/2022 को आयोजित केबीएलपीए की दूसरी बैठक

लिए अपना खाता खोलेगा, और भोपाल कार्यालय में केबीएलपीए का मुख्य कार्यालय जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि व्यापक डीपीआर का संशोधन जुलाई, 2022 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है।

इसके बाद इसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के साथ साझा किया जाएगा और फिर इसे सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष, सभी सदस्यों और प्रतिभागियों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

6.3.6.7 केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की दूसरी बैठक

केबीएलपीए की दूसरी बैठक बोधि, जल संसाधन विभाग, भोपाल के समिति हॉल में आयोजित की गई थी।

प्रारंभ में, अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और केबीएलपी, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए इसके महत्व और समयबद्ध तरीके से परियोजना को लागू करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग के महत्व के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान केबीएलपीए की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन और केबीएलपीए की संचालन समिति की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई।

6.3.6.8 केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की तीसरी बैठक

केबीएलपीए की तीसरी बैठक 23 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान केबीएलपीए की दूसरी बैठक और एससी–केबीएलपीए की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई। एसीईओ, केबीएलपीए ने समिति को बताया कि पन्ना जिले के 7 गांवों के भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र अधिसूचना 13.01.2023 को धारा–19 के तहत प्रकाशित की गई है और छतरपुर के 14 गांवों के लिए अधिसूचना के लिए कलेक्टर, छतरपुर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि एक केबीएलपीए, भोपाल कार्यालय के तहत और दूसरी केबीएलपीए, झांसी कार्यालय के तहत लिंक नहर के लिए उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए दो टीमों को तैनात करके 1 अप्रैल, 2023 से भूमि अधिग्रहण

का कार्य शुरू करने की योजना है। एसीईओ, केबीएलपीए ने सूचित किया कि पुनर्वास एवं पुनःस्थापना समिति की मसौदा ढांचा और इसके टीओआर पर दोनों राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की टिप्पणियों को शामिल करने और संचालन समिति की तीसरी बैठक में की गई चर्चा के बाद पुनर्वास एवं पुनःस्थापना निगरानी समिति को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया था और इसे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

दौधन बांध के लिए सीमित क्षेत्र में कार्य की अनुमति के संबंध में, पीसीसीएफ (एलएम) ने बताया कि चरण –2 वन मंजूरी के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन है और पोर्टल पर विभिन्न डेटा अपलोड किए जाने हैं। चरण–I वन मंजूरी का आगे अनुपालन भी ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। पीसीसीएफ (एलएम) ने आगे सूचित किया कि एक बार पोर्टल में अनुपालन रिपोर्ट अपलोड हो जाने के बाद, सीमित क्षेत्र अनुमति के लिए प्रस्ताव एमओईएफ और सीसी को प्रस्तुत किया जा सकता है। सीईओ, केबीएलपीए ने सुझाव दिया कि दौधन बांध के लिए निविदा पर 24.02.2023 को टीएजी की पहली बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके बाद निविदा को केबीएलपीए के सदस्यों को परिचालित किया जा सकता है। केबीएलपीए के सीईओ ने प्राधिकरण के सदस्यों से दौधन बांध के लिए निविदा मूल्यांकन समिति की ढांचा का सुझाव देने का अनुरोध किया। श्री एम.एस.डावर और श्री संजय खंडूजा ने समिति के गठन के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए।

केबीएलपीए की वित्तीय शक्ति के संबंध में, यह सूचित किया गया कि एसीएस, डब्ल्यूआरडी, मध्यप्रदेश सरकार की अध्यक्षता में केबीएलपीए को कार्य प्रवाह और वित्तीय शक्तियों को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है, जिसमें विभागाध्यक्ष और प्रभारी , आई एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश, एसीईओ (मुख्यालय और पी), केबीएलपीए

दिनांक 23/02/2023 को आयोजित केबीएलपीए की तीसरी बैठक

और निदेशक (वित्त), केबीएलपीए आदि सदस्य शामिल हैं। बैठक के दौरान सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा डीपीआर तैयार करने के संबंध में राज्य विशिष्ट परियोजनाओं की स्थिति पर भी विचार–विमर्श किया गया। केबीएलपीए के लिए समर्पित कार्यालयों के संबंध में भी चर्चा की गई।

6.3.7 केबीएलपीए का तकनीकी सलाहकार समूह

केबीएलपीए (टीएजी–केबीएलपी) का एक तकनीकी सलाहकार समूह 26.08.2022 को गठित किया गया है, जिसमें 09 सदस्यों के साथ और अपर सीईओ (नहर), केबीएलपीए सदस्य–सचिव के रूप में एवं श्री डीपी भार्गव, पूर्व निदेशक (तकनीकी), एनएचपीसी, फरीदाबाद अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। केबीएलपीए के टीएजी

का कार्यकाल शुरू में तीन साल के लिए होगा और परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में विभिन्न नियोजन और तकनीकी मामलों पर प्राधिकरण की समीक्षा और सलाह देने के लिए एससी–केबीएलपी के

दिनांक 24/02/2023 को आयोजित टीएजी-केबीएलपीए की पहली बैठक

अनुमोदन और निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी पहली बैठक 24.02.2023 को आयोजित की गई थी।

6.3.7.1 केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (टीएजी–केबीएलपीए) के तकनीकी सलाहकार समूह की पहली बैठक

एनएचपीसी, फरीदाबाद के पूर्व निदेशक (तकनीकी) श्री डीपी भार्गव की अध्यक्षता में टीएजी–केबीएलपीए की पहली बैठक 24.02.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान दौधन बांध के लिए निविदा दस्तावेज, आईएंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश द्वारा केन मुख्य नहर (चरण–1) के जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश की डीपीआर और बरियारपुर पीयूडब्ल्यू, पारीछा वियर और बरवा सागर बांध के दौरे पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिश/सुझाव से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

बैठक में बताया गया कि एनएचपीसी ने केन–बेतवा लिंक फेज–1 की डीपीआर के अनुसार 2019 में दौधन बांध, लोअर लेवल टनल और पावर हाउस के साथ और बिना पावर हाउस के ऊपरी स्तर की सुरंग के लिए टेंडर दस्तावेज तैयार किया था। अब संशोधित निविदा दस्तावेज में एम्बेडेड पावर हाउस घटक शामिल हैं। पावर हाउस क्षेत्र को नदी से बचाने के लिए कार्य के दायरे में कॉफर वॉल को शामिल करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा, यह प्रस्ताव किया गया है कि निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाए और सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाए और उसके बाद, उनके विचार जानने और दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद निविदा दस्तावेज को मंजूरी के लिए केबीएलपीए की संचालन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

समिति के अध्यक्ष ने स्थल का दौरा करने का सुझाव दिया। अध्यक्ष द्वारा यह राय व्यक्त की गई थी कि बोली दस्तावेज में केबीएलपीए पूरे कार्य के कुल अनुमानित मूल्य की तुलना में विशेष लक्ष्य को पूरा करने में शामिल

कार्य के अनुमानित मूल्य के आधार पर प्रत्येक लक्ष्य के लिए प्रतिशत भुगतान निर्धारित कर सकता है। सीडब्ल्यूसी के मुख्य अभियंता डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) ने चर्चा की कि काम में भिन्नता की स्थिति में अतिरिक्त लागत निर्धारित करने के लिए काम और संबंधित लागत में भिन्नता के तौर–तरीकों और फार्मूले को पहले से ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष ने ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर मालिक के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से कार्य बंद होने की स्थिति में मुआवजे के लिए कोई तंत्र तैयार करने का सुझाव दिया। महानिदेशक राजविअ/सीईओ, केबीएलपीए ने उल्लेख किया कि ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति की भरपाई के लिए ईपीसी में प्रावधान रखे जाने चाहिए। चर्चा के आधार पर, यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि निविदा को टीएजी के सभी सदस्यों और दोनों राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाए।

यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य ने केवल मुख्य नहर में बहाली के लिए मुख्य रूप से प्राक्कलन प्रस्तुत किया है और इसलिए, पूर्ण परियोजना की केन मुख्य नहर, शाखा नहर (बांदा और अतर्रा शाखा) प्रणाली के नवीकरण/आधुनिकीकरण सहित ईआरएम के रूप में एक व्यापक डीपीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। आवश्यक कार्य की सही स्थिति जानने के लिए निरीक्षण करने का प्रस्ताव दिया गया था। टीएजी ने इच्छा व्यक्त की कि जिन स्थानों पर नहर क्षतिग्रस्त है, उनकी पहचान की जा सकती है और पूरी प्रणाली में नवीकरण के लिए शामिल किया जा सकता है।

यह भी बताया गया कि बरियारपुर पीयूडब्ल्यू, पारीछा वियर और बरवा सागर बांध के विशेषज्ञ समूह के दौरे के दौरान यह देखा गया कि ढांचाओं में कोई स्थिरता की समस्या नहीं थी और मुख्य रूप से रखरखाव और हाइड्रो–मैकेनिकल प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। विस्तृत चर्चा के बाद अंत में इस बात पर सहमति बनी कि टीएजी की अगली बैठक प्रस्तावित दौधन बांध स्थल के पास आयोजित की जाएगी और साथ ही अप्रैल, 2023 के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित दौधन बांध, निचले स्तर की सुरंग, ऊपरी स्तर की सुरंग, पावर हाउस, बरियारपुर पीयूडब्ल्यू, केन मुख्य नहर आदि का दौरा किया जाएगा।

6.3.8 परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति

दिनांक 20.06.2022 के आदेश द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति के लिए मूल्यांकन मानदंड तय करने, ईओआई के मूल्यांकन, तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को तय करने के लिए ईओआई, आरएफपी, अनुबंध दस्तावेज जैसे विभिन्न दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी के तहत परामर्शी मूल्यांकन समिति (सीईसी) का गठन किया गया है। पहला मसौदा ईओआई तैयार किया गया और 07.07.2022 को सीईसी के सभी सदस्यों को परिचालित किया गया। सीईसी की पहली बैठक 12.07.2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भोपाल में केबीएलपीए की दूसरी बैठक में ईओआई के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, एससी–केबीएलपीए के सुझावों को शामिल किया गया है। ईओआई को अंतिम रूप देने के लिए सीईसी की दूसरी बैठक 14.09.2022 को आयोजित की गई थी। पुनर्गठित परामर्शी मूल्यांकन समिति (सीईसी) के लिए 20.12.2022 को आदेश जारी किए गए थे । सीईसी (पुनर्गठित) की तीसरी बैठक 03.01.2023 को आयोजित की गई और ईओआई को अंतिम रूप दिया गया।

6.3.9 वर्तमान स्थिति

1. वित्त वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमान के तहत बजट के आवंटन के साथ, परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। प्रारंभ में वन स्वीकृति और वन्यजीव स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

2. दिनांक 11 फरवरी 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, भारत सरकार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति और केबीएलपीए का गठन किया गया है। संचालन समिति की तीन बैठकें और केबीएलपीए की तीन बैठकें अब तक हो चुकी हैं।
3. 7 अप्रैल, 2022 को आयोजित संचालन समिति की पहली बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार, केबीएलपीए के कार्यालय भोपाल, झांसी और छतरपुर में खोले गए हैं।
4. पीटीआर की एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 02.06.2022 को जारी की गई।
5. केबीएलपीए (टीएजी–केबीएलपीए) का एक तकनीकी सलाहकार समूह 26.08.2022 को गठित किया गया है और इसकी पहली बैठक 24.02.2023 को आयोजित की गई थी।
6. दौधन बांध के लिए 21 गांवों के संबंध में भूमि अधिग्रहण धारा–11 के तहत अधिसूचित किया गया है और 21 गांवों के संपत्ति सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं। छतरपुर और पन्ना जिलों में 5480 हेक्टेयर शासकीय गैर वन भूमि पीटीआर को हस्तांतरित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पन्ना जिले के 7 और छतरपुर जिले के 14 ग्रामों की निजी राजस्व भूमि के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–19 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है।
7. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के सहयोग से 14 राजस्व ग्रामों के पुनर्वास के लिए सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
8. पैलानी और बांदा में प्रस्तावित बैराजों के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण कार्य यूएवी/ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूरा कर लिया गया है। बैराज स्थलों पर डायमंड कोर डीप ड्रिलिंग का कार्य प्रगति पर है।
9. दौधन बांध और इसकी सहायक ढांचाओं के कार्यों के लिए निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।
10. अन्य शेष घटकों नामत: उत्तर प्रदेश में बरियारपुर पीयूडब्ल्यू के दो बैराजों की डीपीआर तैयार करने, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मौजूदा टैंकों का नवीकरण, बरियारपुर पीयूडब्ल्यू, पारीछा वियर, बरवा सागर बांध और अन्य सहायक ढांचाओं के सुदृढ़ीकरण/मरम्मत के लिए डीपीआर तैयार करने और मौजूदा केन कमांड प्रणाली के नवीकरण और आधुनिकीकरण आदि पर कार्य प्रगति पर हैं।
11. परियोजना के कार्यान्वयन में केबीएलपीए की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) को काम पर रखने का प्रस्ताव है और इसके लिए गठित परामर्श मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा पीएमसी की नियुक्ति के लिए आवश्यक तौर–तरीके शुरू किए गए हैं।
12. राज्य सरकार द्वारा दो वन्यजीव अभयारण्यों नामत: मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ परियोजना के अंतर्गत लाने के लिए अनुमोदित किया गया है।
13. केबीएलपी के ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप परिषद (जीपीएलसी) और पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए निगरानी समिति (एमसी–आर एंड आर) कार्यों का गठन किया गया है।
14. इस परियोजना को 622.46 करोड़ रुपये की राशि 8 वर्ष की समयावधि में पूरा करने की योजना है।

वित्त वर्ष 2022–23 में मुख्य रूप से जलग्रहण क्षेत्र (240.68 करोड़ रुपये), प्रतिपूरक वनीकरण (154.09 करोड़ रुपये) और मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी (221.73 करोड़ रुपये) के लिए आरई के तहत जारी की गई थी। 31.03.2023 तक केबीएलपीए चरण 1 और 2 पर खर्च की गई कुल राशि 8097.79 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य बजट से खर्च किए गए 2835.87 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अध्याय – 7
राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंत:राज्यीय लिंक

7.1 अंत:राज्यीय लिंक

तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय) ने जून, 2005 में बिहार जैसे राज्यों में अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की पहचान करने और राजविअ द्वारा ऐसे लिंको के पीएफआर/एफआर तैयार करने के अनुमोदन से अवगत कराया था। दिनांक 28–06–2006 को आयोजित राजविअ सोसायटी की विशेष सामान्य बैठक (एसजीएम) में प्राप्त अनुमोदन के बाद इस कार्य को राजविअ के कार्यों में जोड़ा गया। बाद में, वर्ष 2011 के दौरान, राजविअ के कार्यों में अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने को भी जोड़ा गया है।

राजविअ ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे राजविअ द्वारा आगे के अध्ययन करने के लिए अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं के ब्यौरे सूचित करें। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान राज्यों और पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए थे। नागालैंड, मेघालय, केरल, पंजाब, दिल्ली और पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कोई अत:राज्यीय लिंक परियोजना प्रस्ताव नहीं हैं। राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा इस प्रकार है:

7.1.1 महाराष्ट्र

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	वैनगंगा (गोशीकुर्द) – नलगंगा	वैनगंगा और नलगंगा	डीपीआर पूर्ण
2.	(पूर्ण तापी)	वैनगंगा और मांजरा	पीएफआर पूर्ण
3.	वैनगंगा – मांजरा घाटी	कृष्णा और भीमा	(संभव नहीं पाया गया)
4.	ऊपरी कृष्णा – भीमा (छः लिंकों की प्रणाली)	दमनगंगा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण
5.(i)	दमनगंगा (एकदरे) – गोदावरी घाटी	वैतरणा और गोदावरी	डीपीआर पूर्ण
5. (ii)	ऊपरी वैतरणा–गोदावरी घाटी	दमनगंगा, वैतरणा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण
6.	दमनगंगा – वैतरणा–गोदावरी	पातालगंगा और गोदावरी	डीपीआर का मसौदा पूरा
7.	(कड़वा देव) घाटी	कोयना	पीएफआर पूर्ण
8.	उत्तरी कोंकण – गोदावरी घाटी	गोदावरी, पूर्णा और मंजीरा	(संभव नहीं पाया गया)
9.	कोयना – मुंबई शहर	वैनगंगा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण
10.	श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी) – पूर्णा–मंजीरा	सावित्री, कुंडलिका,	पीएफआर पूर्ण
11.	वैनगंगा (गोसीखुर्द) – गोदावरी (एसआरएसपी)	अम्बा और भीमा	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस लिया गया
12.	मध्य कोंकण – भीमा घाटी	कोयना और नीरा	पीएफआर पूर्ण
13.	कोयना – नीरा	मुलसी और भीमा	(संभव नहीं पाया गया)
14.	मुलसी –भीमा	सावित्री और भीमा	पीएफआर पूर्ण
15.	सावित्री – भीमा	कृष्णा और भीमा	पीएफआर पूर्ण

16.	कोल्हापुर – सांगली – सांगोला	तापी	पीएफआर पूर्ण
17.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी जोड़ परियोजनाएं	नार, पार और गिरना	पीएफआर पूर्ण
18.	नार– पार – गिरना घाटी	नर्मदा और तापी	पीएफआर पूर्ण
19.	नर्मदा – तापी	छोड़ दी गई	पीएफआर पूर्ण
20.	खारियागुट्टा–नवाथा सतपुड़ा पैदल पहाड़ियां	छोड़ दी गई	(संभव नहीं पाया गया)

7.1.2 गुजरात

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	दमनगंगा – साबरमती – चोरवाड़	दमनगंगा, साबरमती और चोरवाड़	पीएफआर पूर्ण

7.1.2 ओडिशा

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	महानदी – ब्राह्मणी	महानदी और ब्राह्मणी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
2.	महानदी – रुशीकुलिया (बारमूल परियोजना)	महानदी और रुशिकुलिया	पीएफआर पूर्ण (सभी लाभ एम–जी लिंक द्वारा लिए जाते हैं)
3.	वामसाधारा – रुशिकुलिया (नंदिनी नाला परियोजना)	वामसाधारा और रुशिकुलिया	पीएफआर पूर्ण
4.	नागवल्ली–रुशिकुलिया–वामधारा	नागवल्ली, रुशिकुलिया और वामधारा	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)

7.1.4 झारखंड

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	दक्षिण कोइल - सुबर्णरेखा	दक्षिण कोइल और सुबर्णरेखा	पीएफआर पूर्ण
2.	सांख - दक्षिण कोइल	शंख और दक्षिण कोइल	पीएफआर पूर्ण
3.	बारकर - दामोदर - सुबर्णरेखा	बारकर, दामोदर और सुबर्णरेखा	पीएफआर पूर्ण

7.1.5 बिहार

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	कोसी - मेची [पूरी तरह से भारत में स्थित]	कोसी और मेची	डीपीआर पूर्ण।
2.	बाढ़ - नवादा	गंगा और किउल	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
3.	कोहरा - चंद्रावत (अब कोहरा-लालबेगी)	कोहरा और चंद्रावत	पीएफआर पूर्ण

			(संभव नहीं पाया गया)
4.	बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा	बूढ़ी गंडक, नून, बाया और गंगा	डीपीआर पूर्ण, सीडब्ल्यूसी ने राय दी कि परियोजना को बाढ़ नियंत्रण परियोजना के रूप में माना जा सकता है। बिहार सरकार को सूचित किया।
5.	बूढ़ी गंडक- बागमती [बेलवाधर के माध्यम से]	बूढ़ी गंडक और बागमती	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
6.	कोसी - गंगा	कोसी और गंगा	पीएफआर पूर्ण
7.	बागमती सिंचाई एवं जल निकासी परियोजना-चरण-II (मुजफ्फरपुर जिले में कटौंझा के निकट बैराज) और कोसी-अधवारा-बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देशीय परियोजना का विकास	कोसी, अधवारा और बागमती	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
8.	बक्सर में पंप कैनाल योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार में गंगा जल का अंतरण	गंगा	प्रारंभ में, राजविअ ने कार्य शुरू करने के लिए सहमति दी लेकिन बिहार सरकार से ब्यौरे प्राप्त करने के बाद, यह पाया गया कि ये अंत:राज्यीय लिंक नहीं हैं, इसलिए अध्ययन शुरू नहीं किया गया।
9.	बडुआ-चंदन बेसिन का विकास	बदुआ और चंदन	
10.	सोन-फल्गु लिंक	सोन & फल्गु	प्रारंभिक अध्ययन किया गया (संभव नहीं पाया गया)

7.1.6 राजस्थान

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	माही - लूनी लिंक	माही और लूनी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
2.	वाकल - साबरमती - सेई - पश्चिम बनास - कमेरी लिंक	वकाल, साबरमती, सेई, पश्चिम बनास और कमेरी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)

7.1.7 तमिलनाडु

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	पोन्नैयार - पलार लिंक	पोन्नैयार और पलार	डीपीआर पूर्ण

7.1.8 कर्नाटक

क्रमांक	अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	अलमाटी (बागलकोट)–मालाप्रभा उप–बेसिन	अलमट्टी और मालाप्रभा	प्रत्यक्षतः संभव नहीं पाया गया
2.	मालाप्रभा–तुंगभद्रा उप–बेसिन	मालप्रभा –तुंगभद्रा	प्रत्यक्षतः संभव नहीं पाया गया
3.	बेदती–धर्म–वरदा लिंक	बेदती, धर्म और वरदा	पीएफआर पूर्ण
4.	भद्रा–वेदवती (वाणी विलास सागर) लिंक	भद्रा और वेदवती	कर्नाटक सरकार ने एससीआईएलआर की11वीं बैठक के दौरान प्रस्ताव वापस ले लिया।
5.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पथांतरण (बारापोल–ऊपरी कावेरी लिंक)	बारापोल और ऊपरी कावेरी	
6.	बेदती और अघनाशिनी से वरदा की ओर पथांतरण	अघनाशिनी और वरदा	पीएफआर पूर्ण

7.1.9 छत्तीसगढ़

क्रमांक	अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	पियरी–महानदी लिंक	पियरी और महानदी	युग्म–महानदी लिंक

7.1.10 उत्तर प्रदेश

क्रमांक	अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1.	शारदा–गोमती लिंक	शारदा और गोमती	पीएफआर पूर्ण

7.2 अंतःराज्यीय लिंको के पीएफआर/डीपीआर तैयार करने की वर्तमान स्थिति

31.03.2023 तक, कुल 49 अंत:राज्यीय लिंको में से, राजविअ ने 39 लिंको के पीएफआर पूरे कर लिए हैं। 49 अंतरूराज्यीय लिंक परियोजनाओं में से 19 परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं पाई गई हैं अथवा राजविअ की टीएसी द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं। संबंधित राज्यों द्वारा तीन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया है।

अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं नामत: (i) बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा और (ii) बिहार की कोसी–मेची, (iii) तमिलनाडु की पोन्नैयार–पलार और (iv) वैनगंगा (गोसीखुर्द)–नलगंगा (पूर्णतापी), (v) दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी लिंक, (vi) महाराष्ट्र की दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी लिंको की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं और संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की विभिन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैः

क्रमांक	लिंक परियोजना का नाम	संबंधित राज्य/नदियाँ	31.03.2023 तक डीपीआर की स्थिति
1.	बूढ़ी गंडक – नून– बाया – गंगा	बूढ़ी गंडक, नून, बया और गंगा	डीपीआर पूरी हो चुकी है और बिहार सरकार को भेज दी गई है। केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी मूल्यांकन ने लिंक परियोजना को बाढ़ योजना के रूप में विचार करने का सुझाव दिया है और राजविअ द्वारा

			दिनांक 14.03.2017 के पत्र द्वारा बिहार सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है।
2.	कोसी – मेची	बिहार/कोसी और मेची	डीपीआर पूरी हो गई है और सभी सांविधिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करने की शर्त पर तकनीकी–आर्थिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी अगस्त, 2019 में दी गई थी और 22.10.2020 को जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति द्वारा निवेश मंजूरी दी गई थी। पीआईबी नोट का मसौदा बिहार सरकार को भेजा गया। कार्यशील डीपीआर तैयार करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।
3.	पोन्नैयार – पलार	तमिलनाडु / पोन्नैयार और पलार	डीपीआर अगस्त, 2018 में पूर्ण और परिचालित किया की गई।
4.	वैनगंगा (गोसीखुर्द) – नलगंगा (पूर्णतापी)	महाराष्ट्र/ वैनगंगा और नलगंगा	डीपीआर पूर्ण और नवंबर, 2018 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया गया। डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है।
5.	दमनगंगा (एकदारे) – गोदावरी	महाराष्ट/ दमनगंगा और गोदावरी	डीपीआर पूर्ण।
6.	दमनगंगा – वैतरणा – गोदावरी (कड़वा देव)	महाराष्ट्र/ दमनगंगा, वैतरणा और गोदावरी	डीपीआर का मसौदा पूरा हो गया है और डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7.3 अतःराज्यीय लिंको के पीएफआर/एफआर/डीपीआर की तैयारी की समग्र स्थिति

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके पीएफआर/एफआर/डीपीआर के संबंध में सुझाए गए अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों की समग्र स्थिति अनुलग्नक–। में दी गई है।

7.4 अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण प्रदान करना

अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के कार्य को रा.ज.वि.अ के कार्यों/अधिदेश में दिनांक 19.05.2011 के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के संकल्प और दिनांक 11.06. 2011 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जोड़ा गया था। तत्कालीन जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय) ने अपने पत्र संख्या 2/12/2015–बीएम/2217 दिनांक 01.12.2015 के माध्यम से अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के वित्तपोषण के बारे में निम्नलिखित निर्णय से अवगत कराया था। ''राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सामान्य तौर पर अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजना की डीपीआर तक ही सीमित रहना चाहिए। वे अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं को केवल परामर्शी कार्यों के रूप में शुरू कर सकते हैं, यदि

इसे किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार की निधि का उपयोग अंतःराज्यीय नदी जोड़ परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।''

तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) के उपर्युक्त निर्णय/निर्देश को ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ द्वारा भविष्य की परियोजनाओं के लिए अंतःराज्यीय लिंक की डीपीआर तैयार करने की लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

यहां, यह उल्लेख करना उचित है कि रा.ज.वि.अ ने पहले ही अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की चार डीपीआर तैयार कर ली हैं और महाराष्ट्र की दो अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जैसा कि उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित निर्णय के अनुसार परामर्शी आधार पर उद्धृत किया गया है। इस संबंध में, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के बीच दिनांक 19.06.2019 को सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों को पूरा करने और दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी (कदवा देव) नामक अंतःराज्यीय लिंकों की डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

राजविअ सोसाइटी की 34वीं बैठक के दौरान बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई निवेश मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विचार करने और बिहार की अंतःराज्यीय लिंक परियोजना को 90 (केंद्र) 10 (राज्य) पर वित्तपोषण पैटर्न के साथ राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया गया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बिहार के उन अंतःराज्यीय लिंकों की एक बार फिर समीक्षा की जानी चाहिए जो रा.ज.वि.अ द्वारा व्यवहार्य नहीं पाए गए हैं।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय ने जवाब दिया कि बिहार सरकार के अनुरोध पर जहां तक संभव हो सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

अध्याय – 8
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गतिविधियां

8.1 पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के तहत नाबार्ड का वित्तपोषण

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015–16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है। पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत बड़ी और मध्यम सिंचाई (एमएमआई)/बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई के हर खेत को जल(एचकेकेपी) के अंतर्गत वित्त पोषित किया जा रहा है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के सृजन की घोषणा की, जिसमें भारत सरकार के बजटीय संसाधनों, नाबार्ड द्वारा जुटाए जाने वाले बाजार उधार आदि के माध्यम से योगदान के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष का योगदान दिया जाएगा। बदले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और वित्तपोषण व्यवस्थाओं के लिए एक मिशन की स्थापना के लिए तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब, जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलटीआईएफ का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यों सहित अभिनिर्धारित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अक्टूबर 2017 में पीएमकेएसवाई की निगरानी और प्रबंधन के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए वाप्कोस लिमिटेड के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तदनुसार, वाप्कोस लिमिटेड द्वारा एक पीएमयू स्थापित किया गया है। मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली की अध्यक्षता में पीएमयू को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के दिनांक 03.05.2018 के पत्र के अंतर्गत एक परामर्शी निगरानी समिति (सीएमसी) का भी गठन किया गया था। इससे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत नाबार्ड के वित्तपोषण और राज्य को केंद्रीय सहायता (सीए) जारी करने की प्रक्रिया को संसाधित करने और सिफारिश करने में मदद मिलेगी।

8.1.1 प्रस्ताव की प्रक्रिया

पीएमयू केंद्रीय सहायता की आगे जारी करने की पात्रता के संबंध में तीसरे पक्ष और केन्द्रीय जल आयोग की निगरानी रिपोर्टों के आधार पर व्यापक नोट तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड को राज्य के हिस्से को जारी करने के संबंध में भी सिफारिशें की जा रही हैं।

8.1.2 राज्यों को निधियां जारी करना

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नाबार्ड के वित्तपोषण के माध्यम से राज्यों को प्रदान किए जाने वाले केंद्रीय सहायता के लिए पासथ्रू विंडो के रूप में कार्य कर रहा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि नाबार्ड से प्राप्त

निधियों को नाबार्ड से प्राप्त होने के 1 दिन के भीतर परियोजनाओं के लिए जारी किया जाए ताकि निधियाँ बेकार न पड़ी रहे।

8.1.3 थर्ड पार्टी निगरानी

मिशन में प्राप्त संयुक्त प्रस्तावों के आधार पर, तीसरे पक्ष की निगरानी दौरे की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि अगली किस्त जारी करने से पहले ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध हों। इसके अलावा, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नियोजित दौरों को ध्यान में रखते हुए तीसरे पक्ष के दौरों की योजना बनाई गई थी।

रा.ज.वि.अ की पहचान एलटीआईएफ से संसाधन उधार लेने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करने और प्राथमिकता प्राप्त पीएमकेएसवाई–एआईबीपी (एमएमआई) परियोजनाओं और उनके सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए की गई है ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। इन परियोजनाओं में केंद्रीय हिस्सेदारी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड से उधार लेने के लिए समझौता ज्ञापन पर तत्कालीन जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, (अब जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय) रा.ज.वि.अ और नाबार्ड द्वारा दिनांक 06.09.2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

8.1.4 पीएमकेएसवाई के तहत 31 मार्च, 2023 तक निधि संवितरण

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पीएमकेएसवाई–एआईबीपी योजना के तहत राज्यों को कोई निधि जारी नहीं की गई है। राजविअ ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नाबार्ड को 3788.24 करोड़ रुपये के मूलधन और ब्याज पुनर्भुगतान का भुगतान किया था।

योजना के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, राजविअ के तहत पीएमयू निगरानी दौरों के साथ–साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में जानकारी को अद्यतन करने के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ समन्वय में काम कर रहा था। पीएमयू परियोजना विशिष्ट जानकारी/संबंधित एमआईएस को अद्यतन करने के लिए प्रत्येक परियोजना के नोडल अधिकारी के साथ सीधे या सीडब्ल्यूसी के माध्यम से समन्वय कर रहा था।

पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के तहत राजविअ द्वारा 31.03.2023 तक विभिन्न राज्यों के लिए निधियां जारी करना (करोड़ रुपये में)

क्रमांक	पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के तहत शामिल राज्यों के नाम	2021–22 तक जारी की गई निधि	वर्ष 2022–23 के दौरान जारी की गई निधि	31.03.2023 तक जारी की गई कुल निधि
1.	आंध्र प्रदेश	91.8100	0.0000	91.8100
2.	असम	7.5500	0.0000	7.5500
3.	बिहार	146.0633	0.0000	146.0633
4.	छत्तीसगढ़	62.7896	0.0000	62.7896
5.	गोवा	3.8400	0.0000	3.8400
6.	गुजरात	5635.4553	0.0000	5635.4553
7.	जम्मू और कश्मीर	46.2522	0.0000	46.2522
8.	झारखंड	756.7300	0.0000	756.7300

9.	कर्नाटक	1183.3170	0.0000	1183.3170
10.	केरल	2.6900	0.0000	2.6900
11.	मध्य प्रदेश	811.1150	0.0000	811.1150
12.	महाराष्ट्र	1796.7866	0.0000	1796.7866
13.	मणिपुर	228.3540	0.0000	228.3540
14.	ओडिशा	1340.8247	0.0000	1340.8247
15.	पंजाब	277.9460	0.0000	277.9460
16.	राजस्थान	509.9450	0.0000	509.9450
17.	तेलंगाना	673.8640	0.0000	673.8640
18.	उत्तर प्रदेश	1553.9120	0.0000	1553.9120
परियोजनाओं के नाम				
19.	पोलावरम परियोजना	10650.1600	0.0000	10650.1600
20.	उत्तर कोइल परियोजना	721.2200	0.0000	721.2200
कुल योग		26500.6247	0.0000	26500.6247

अध्याय – 9
राजविअ की वेबसाइट

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अपनी वेबसाइट https://www.nwda.gov.in पद का रखरखाव कर रहा है जिसे सितंबर, 2005 में शुरू किया गया था। वेबसाइट को अधिक संवादात्मक बनाने के लिए, ई–गवर्नेंस को शामिल किया गया और दिव्यांग अनुकूल मॉड्यूल बनाने के लिए वेबसाइट को एनआईसी की मदद से फिर से डिजाइन और पुनर्विकसित किया गया है और नई रीडिजाइन की गई वेबसाइट को अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था। वेबसाइट को द्विभाषी बनाया गया है। यह रा.ज.वि.अ के कार्यों और गतिविधियों, तकनीकी अध्ययनों और संबंधित मामलों को पेश कर रही है जो हितधारकों और आम जनता के लिए उपयोगी है।

एनपीपी के नदी विकास के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पहचाने गए और प्रस्तावित 14 लिंक परियोजनाओं के एफआर, अंतर–राज्यीय 5 डीपीआर और अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की 4 डीपीआर वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीपी के नदी विकास के हिमालयी घटक के अंतर्गत आने वाली अंतर–राज्यीय लिंक परियोजनाओं और भारत सरकार की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए अंतः–राज्यीय लिंक प्रस्तावों की एक संक्षिप्त झलक भी वेबसाइट पर दर्शाई गई है।

वेबसाइट के मुख्य लिंक इस प्रकार हैं: हमारे बारे में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण कार्यालयों के स्थान–वार विवरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के प्रत्येक कार्यालय के कार्यक्रम और कर्मचारियों की संख्या के विवरण को दर्शाने वाले संगठन चार्ट, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अध्ययन, सूचना का अधिकार अधिनियम, रिक्ति, निविदाएं, ई–गवर्नेंस, पीएमकेएसवाई/एआईबीपी, हमसे संपर्क करें, आईएलआर के लिए विशेष समिति, इसकी उप–समितियों, समूहों और टास्क फोर्स आदि पर उप–लिंक के साथ आईएलआर के लिए विशेष समिति भारत जल सप्ताह, नागरिक चार्टर, आईएलआर से संबंधित मामले, प्रकाशन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आदि। मुख्य पृष्ठ अपने द्विभाषी पृष्ठों, ट्विटर और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के फेसबुक खातों, स्क्रीन रीडर एक्सेसिबिलिटी और विकलांगता के अनुकूल मॉड्यूल के लिए लिंकेज भी प्रदान करता है।

उपरोक्त के अलावा, मुख पृष्ठ को बैनर/फोटो गैलरी अनुभागों के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण वातावरण में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर सचित्र दृश्य प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। एक समर्पित ई–गवर्नेंस मंच भी विकसित किया गया है और जिसके माध्यम से सभी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के संक्षिप्त प्रोफाइल अपलोड किए गए हैं और दैनिक आधार पर अपडेट किए जाते हैं।

अध्याय – 10
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की अन्य गतिविधियां

10.1 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास गतिविधियां

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में प्रशिक्षण और ज्ञान के आदान–प्रदान को विशेष महत्व दिया जाता है। 2022–23 के दौरान, मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों को जल संसाधन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर संचालन, लेखा, प्रबंधन आदि के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं आदि के विवरण अनुलग्नक–।। में दिए गए हैं।

10.2 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन

रा.ज.वि.अ में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकार और भागीदारी का संरक्षण) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के विवरण निम्नानुसार हैं:

1. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों को लागू किया जाता है।
2. ऐसे व्यक्तियों के लिए सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आशुलिपिक ग्रेड –।।, प्रारूपकार ग्रेड –।।।, हिंदी अनुवादक, चालक ग्रेड–।।।, प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और एमटीएस पदों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेशों और दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ग "ग" के भीतर वर्ग "ग" में एमटीएस से उच्चतर वेतनमानों तक जहां भी लागू हो, पदोन्नति में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

10.3 राजविअ का नागरिक चार्टर

राजविअ के लिए नागरिक चार्टर (सीसी) में राजविअ की प्रस्तावना, स्थापना, संगठनात्मक ढांचा, गतिविधियां, शिकायत निवारण तंत्र, हितधारक आदि शामिल हैं। सीसी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीचे दिए गए अनुसार एक कार्यबल का भी गठन किया गया है:

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद
1.	मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ	अध्यक्ष
2.	निदेशक (एमडीयू), राजविअ	सदस्य
3.	निदेशक (प्रशासन), राजविअ	सदस्य
4.	मुख्य अनुसंधान अधिकारी, सीएसएमआरएस	सदस्य
5.	निदेशक (तकनीकी समन्वय), सीडब्ल्यूसी	सदस्य
6.	निदेशक (तकनीकी), राजविअ	सदस्य–सचिव / नोडल अधिकारी

नागरिक चार्टर के लिए मुख्य अभियंता (मुख्यालय) को लोक शिकायत अधिकारी और निदेशक (तकनीकी) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। चार्टर का ब्यौरा राजविअ की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

10.4 महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए समिति

महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, राजविअ में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति कार्य कर रही है।

समिति ने आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। वर्ष 2022–2023 के दौरान, राजविअ की किसी भी महिला कर्मचारी से समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

रा.ज.वि.अ महिला कर्मचारियों ने 08.03.2023 को मुख्य अभियंता (मुख्यालय) की अध्यक्षता में "डिजिट ऑलः लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी" विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2023 मनाया।

10.5 आंतरिक पत्रिका 'जल विकास' का प्रकाशन

रा.ज.वि.अ, की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने की दृष्टि से अक्तूबर, 1991 से एक त्रैमासिक आंतरिक बुलेटिन 'जल विकास' प्रकाशित कर रहा है। बुलेटिन में प्रासंगिक पहलुओं जैसे मीडिया में जल संसाधन शीर्षक के अंतर्गत जल संसाधन मुद्दों से संबंधित समाचार की क्लिपिंग, संसदीय चर्चाएं, जो ''संसद में आईएलआर'' कवरेज के अंतर्गत देश में आईएलआर के संबंध में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) में हो रही हैं, रा.ज.वि.अ की मुख्य पेशेवर गतिविधियों को शामिल करने के लिए ''रा.ज.वि.अ की झलक'', रा.ज.वि.अ में हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में रा.ज.वि.अ अधिकारियों की नियुक्तियों/प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति, रा.ज.वि.अ अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षणों/संगोष्ठियों और 'हिंदी के बढ़ते कदम' के बारे में जानकारी आदि विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जल विज्ञान, भूजल, सिंचित कृषि, सतही जल विकास और आयोजना और अन्य संबंधित कार्यक्रमों, जो रा.ज.वि.अ उद्देश्य/कार्यों के दायरे में आ रहे हैं, के विषयों को शामिल करते हुए बहु–विषयक पहलुओं पर तकनीकी लेख भी प्रकाशनों में शामिल हैं।

आंतरिक त्रैमासिक मुद्दों (जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर) को विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों और अन्य संबंधित संगठनों के जल संसाधन अभियन्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच प्रकाशित और वितरित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष अक्तूबर अंक को विशेष रूप से हिंदी में 'राजभाषा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

10.6 स्वच्छ भारत अभियान

"स्वच्छ भारत अभियान" एक स्वच्छ भारत अभियान है और यह भारत सरकार द्वारा देश की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभियान के रूप में शुरू किया गया मिशन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्तूबर, 2014 को राजघाट, नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर इस मिशन की शुरुआत की है। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है जहां विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों सहित लगभग 3 मिलियन सरकारी कर्मचारियों ने स्वच्छता गतिविधियों में ''स्वच्छता पखवाड़ा'' के रूप में विभिन्न मंत्रालयों के नेतृत्व में भाग लिया। मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में,16 मार्च से 31 मार्च, 2022 तक रा.ज.वि.अ, मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

इस क्रम में, राजविअ में आयोजित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- राजविअ, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा "स्वच्छता जागरूकता" रैलियों का आयोजन किया गया।
- राजविअ, मुख्यालय ने 18.03.2023 को नगर निगम प्राथमिक विद्यालय संख्या 2, पुष्प विहार, नई दिल्ली में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, राजविअ, चेन्नई ने 24.03.2023 को थाई सत्य मैट्रिकुलेशन स्कूल, केके नगर, चेन्नई में चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया और मुख्य अभियंता(उत्तर), लखनऊ, कार्यालय ने 24.03.2023 को उच्च प्राथमिक विद्यालय, गाजीपुर बस्तौली, जोन –3, नगर पालिका क्षेत्र, लखनऊ में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया।
- स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में राजविअ, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।
- पखवाड़े के दौरान कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों, फर्नीचर, स्क्रैप के निपटान आदि की सफाई की गई ।
- स्वच्छता पखवाड़े के तहत राजविअ, मुख्यालय और राजविअ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

स्वच्छता पखवाड़े के तहत गतिविधियों की झलक

22.03.2023 को राजविअ (मुख्यालय) में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया।

राजविअ, ग्वालियर द्वारा **24.03.2023** को स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

राजविअ, चेन्नई द्वारा **24.03.2023** को "स्वच्छ भारत" पर चित्रकारी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

राजविअ (मुख्यालय) द्वारा **18.03.2023** को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

10.7 आजादी का अमृत महोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 13.03.2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 'दांडी मार्च' को हरी झंडी दिखाकर 'आजादी का अमृत महोत्सव' का उद्घाटन किया। इस प्रकार यह उत्सव स्वतंत्रता दिवस की हमारी 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में समारोहों के एक भाग के रूप में राजविअ मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई कुछ गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

- राजविअ, हैदराबाद द्वारा 04.05.2022 को एक वेबिनार आयोजित किया गया था और "डीपीआर तैयार करने में सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी" और "आईबीडब्ल्यूटी अध्ययन में आरएस

और जीआईएस का अनुप्रयोग" आदि विषयों पर वेबिनार के दौरान विभिन्न व्याख्यान प्रस्तुत किए गए थे।

- राजविअ के कोलकाता और ग्वालियर के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा "आईएलआर" पर जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया।
- राजविअ, वडोदरा द्वारा 16.05.2022 से 21.05.2022 तक पार तापी नर्मदा (पीटीएन) और दमनगंगा–साबरमती–चोरवाड़ (डीएससी) लिंक परियोजनाओं से संबंधित बैनर प्रदर्शित किए गए और पैम्फलेट वितरित किए गए।

राजविअ, हैदराबाद द्वारा **04.05.2022** को आयोजित वेबिनार।

राजविअ, वडोदरा द्वारा पार तापी नर्मदा (पीटीएन) और दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड़ (डीएससी) लिंक परियोजनाओं से संबंधित बैनर प्रदर्शित किए गए और पैम्फलेट वितरित किए गए।

10.8 राजविअ के नए भर्ती किए गए कनिष्ठ अभियंताओं के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

राजविअ के नए भर्ती किए गए कनिष्ठ अभियंताओं (क.अ) के लिए एक प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 13.06.2022 से 24.06.2022 तक राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), पुणे में आयोजित किया गया था। श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, राजविअ और श्री डीके तिवारी, प्रमुख ,एनडब्ल्यूए ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस अवसर पर शामिल लोगों को संबोधित किया। श्री जी निवासुलु, उप निदेशक एनडब्ल्यूए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वयक थे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, राजविअ, सीडब्ल्यूसी, एनआईएच और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने पीएफआर /एफआर/डीपीआर की तैयारी और एनपीपी, आईएलआर–क केस स्टडी, जल संसाधन परियोजना का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षणों की नवीनतम तकनीकों, महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना का प्रणाली अध्ययन – केस स्टडी और मोडफ्लो, डब्ल्यूईएपी, माइक हाइड्रो और क्रॉपवाट 8.0 आदि जैसे नवीनतम सॉफ्टवेयरों के उपयोग सहित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए। महाबलेश्वर के पास धोम बांध का क्षेत्र दौरा किया गया था, जहां बांधों के विभिन्न घटकों जैसे स्पिलवे, बैराज, वीयर्स और जल विद्युत संयंत्रों को विशेषज्ञों द्वारा समझाया गया था। आर्ट ऑफ लीविंग

क्लास और योग सत्र भी कार्यक्रम का एक हिस्सा थे। समापन समारोह के दौरान, सभी कनिष्ठ अभियंताओं को प्रमाण पत्र दिए गए ।

10.9 7वां भारत जल सप्ताह–2022

तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार ने जल समाधान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू) मनाने का निर्णय लिया था। तदनुसार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 10–14 अप्रैल, 2012 के दौरान नई दिल्ली में "समाधान के लिए जल, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा" विषय के साथ अपने सभी संगठनों और विशेष रूप से राजविअ की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत जल सप्ताह–2012 का आयोजन किया गया था। अब तक आईडब्ल्यूडब्ल्यू के 7 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है और भारत जल सप्ताह–2022, श्रृंखला में सातवां, 1 से 5 नवंबर 2022 तक ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो सेंटर में "समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा" विषय के साथ आयोजित किया गया था।

10.9.1 उद्घाटन समारोह

भारत की माननीया राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश , श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री बिश्वेश्वर टुडू, जल शक्ति राज्य मंत्री की विशिष्ट उपस्थित में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति और मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जल शक्ति के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए घड़े में जल डालकर "जल भरो" के शुभ समारोह के साथ हुई। यह समारोह जल संरक्षण के अत्यधिक महत्व का प्रतीक था।

01.11.2022 को उद्घाटन के दौरान 7वें आईडब्ल्यूडब्ल्यू का 'जल भरो' समारोह

राष्ट्रपति महोदया ने अपने संबोधन में कहा, जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। भारतीय सभ्यता में जलका महत्व केवल जीवन में ही नहीं बल्कि जीवन के बाद की यात्रा में भी है। यही कारण है कि सभी जल स्रोतों को पवित्र माना जाता है। लेकिन वर्तमान में स्थिति पर नजर डालें तो स्थिति चिंताजनक लगती है और इसलिए ऐसे में जल के प्रबंधन पर चर्चा करना बहुत ही सराहनीय कदम है। जल का मुद्दा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल और यूरोपीय संघ 7वें भारत जल सप्ताह में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने विश्वास व्यक्त किया कि इस मंच पर विचारों और प्रौद्योगिकियों के आदान–प्रदान से सभी को लाभ होगा। जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जल का उल्लेख करते हुए, उन्होंने भविष्य के सुरक्षित राष्ट्र के लिए जल बचाने की प्रासंगिकता पर चर्चा की। सम्मेलन में अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने जोर देकर कहा कि पांच दिन तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में प्रमुख व्यक्ति शामिल होंगे और जल सुरक्षा के मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

श्रीमती आनंदीबेन पटेल माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने अपनी विशिष्ट उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और 7 वें भारत जल सप्ताह – 2022 के सफल शुभारंभ की प्रशंसा की। माननीय जल शक्ति मंत्री ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया, और इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि हम सभी आज जल संरक्षण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए हाथ मिलाते हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, इसके प्रबंधन का मुद्दा एक समग्र और वैश्विक प्रयास है। भारत जल सप्ताह का आयोजन इन अंतःर्दृष्टि को एक मंच पर लाने का एक अनूठा प्रयास है। इसके अलावा, उन्होंने 2024 तक देश भर में 100: जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण की घोषणा की और नागरिकों से आंदोलन में शामिल होने और जल–सुरक्षित भारत के लिए जल शक्ति को बढ़ाने का आग्रह किया। श्रीमती अकली टुडू, जल योद्धा, झारखंड और श्रीमती हीरा बेन, जल योद्धा, भुज, गुजरात ने विभिन्न पहलों, संरक्षण के मामलों और कमान क्षेत्रों में उगाई गई फसलों का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण में अपने अनुभव बताए।

प्लेनेरी सत्र माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। महामहिम श्री शोइमजोदा जमशेद, माननीय प्रथम ऊर्जा एवं जल संसाधन उपमंत्री ताजिकिस्तान गणराज्य, महामहिम श्री इंग मैरीप्रिस्का विनफ्रेड महुंडी जल उप मंत्री तंजानिया, ग्लासगो विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर डॉ. असित के विश्वास, सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष श्री एडी मोहिले, आईएमडब्ल्यूआई के महानिदेशक श्री मार्क स्मिथ ने सत्र में भाग लिया और जल सुरक्षा और संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए।

(01.11.2022 को 7वें भारत जल सप्ताह के दौरान सांस्कृतिक संध्या)

इसके बाद, माननीय प्रथम उप ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री, ताजिकिस्तान गणराज्य, माननीय जल उप मंत्री, तंजानिया ने माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में आईडबल्यूडबल्यू–2022 के 7वें संस्करण में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 1नवंबर 2022 को रात्रिभोज के बाद एक सांस्कृतिक संध्या की भी व्यवस्था की गई थी।

10.9.2 तकनीकी सत्र

कार्यक्रम में 21 विशेष सत्र, 2000 से अधिक प्रतिनिधि (28 देशों के 80 विदेशी प्रतिनिधि), 200 लेख, 100 प्रस्तुतियाँ, 100 प्रदर्शक, 3 भागीदार देश, 17 प्रायोजक, 9 भागीदार राज्य थे। चार तकनीकी सत्रों में 10 सेमिनार, 10 पैनल चर्चाएं, और अन्य कार्यक्रम शामिल थे, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित किए गए थे:

क्रमांक	सेमिनार सत्र	पैनल चर्चा सत्र
1.	सतत कृषि और जल प्रबंधन – आर्थिक विकास की कुंजी	मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ
2.	भूजल संसाधनों की स्थिरता के लिए चुनौतियां	सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जल की भूमिका
3.	जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन रणनीतियों का प्रभाव	जल शिक्षा, जन जागरूकता और मीडिया की भूमिका
4.	जल क्षेत्र में गुणवत्ता संबंधि चुनौतियां	जल प्रबंधन के लिए विकेन्द्रीकृत समाधान
5.	जल प्रबंधन के लिए सूक्ष्म और वृहद हस्तक्षेप का समन्वय करना	कुशल जल प्रबंधन में नागरिक समाज की भूमिका
6.	कुशल जल प्रबंधन के लिए उभरते तकनीकी समाधान	शहरी जल नियोजन और प्रबंधन में चुनौतियां
7.	जल संबंधी आपदा का प्रबंधन– बाढ़ और सूखा	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य–आईबीडब्ल्यूटी की ओर अभिसरण
8.	एक सहयोगी जल शासन व्यवस्था की स्थापना	अप्रत्याशित परिस्थितियों में कृषि स्थिरता
9.	पर्यावरण और आजीविका के लिए जल	ऊर्जा सुरक्षा के लिए जल विद्युत की भूमिका
10.	जल प्रतिरोध/क्षमता और जल बाजार के लिए अपशिष्ट जल का पुनरू उपयोग और पुनर्चक्रण	जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना – चुनौतियाँ और अवसर

7वीं आईडब्ल्यूडब्ल्यू के तीसरे दिन लगभग 250 छात्रों और 30 शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 90 बच्चों ने भाग लिया। 150 स्कूली बच्चों द्वारा जल प्रबंधन पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान स्कूली बच्चों के बीच जल से संबंधित मुद्दों पर एक बहस का भी आयोजन किया गया। श्री बिश्वेश्वर टुडू जल शक्ति राज्य मंत्री ने पुरस्कार वितरित किए।

03.11.2022 को आयोजित 7 वें आईडब्ल्यूडब्ल्यू के दौरान नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता की झलकियाँ

समानांतर रूप से एक प्रदर्शनी भी चल रही थी जिसमें 100 प्रदर्शक विषय को समृद्ध कर रहे थे और सम्मेलन के विचार–विमर्श के तहत क्षेत्रों के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों और समाधानों का प्रदर्शन कर रहे थे।

7 वें आईडब्ल्यूडब्ल्यू–2022 में राजविअ का स्टाल

10.9.3 समापन सत्र

समापन सत्र माननीय श्री जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित किया गया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और विशेष सचिव जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति महोदय ने इस विशाल कार्यक्रम के आयोजन में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें भारत और विदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने विभिन्न जल संरक्षणध्प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला और संघवाद की सच्ची भावना के साथ अतःराज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए सक्रिय पहल करने का भी आह्वान किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सातवें आईडब्ल्यूडब्ल्यू के आयोजन में किए गए प्रयासों की सराहना की और सामने आई सिफारिशों को आगे बढ़ाने की अपील की।

05.11.2022 को आयोजित समापन समारोह

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 'जल बचाओ जीवन बचाओ' का नारा दिया। उन्होंने कृषि को मजबूत करने और विभिन्न उपायों के माध्यम से सिंचाई में जल के उपयोग को कम करने के लिए नई और अभिनव प्रौद्योगिकियों को लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

क्रमांक	7वें आईडब्ल्यूडब्ल्यू 2022 की महत्वपूर्ण सिफारिशें
1.	जल और खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, भारत को पानी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।
2.	आपूर्ति पक्ष वृद्धि और मांग प्रबंधन का एकीकरण टिकाऊ कृषि और आर्थिक विकास की कुंजी है।
3.	जलभृत को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से भूजल का प्रभावी और कुशल प्रबंधन आवश्यक है।
4.	पेयजल और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए लक्षित निवेश को बनाए रखने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है।
5.	जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने के लिए उन्नत भंडारण, चरम घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी और कुशल उपयोग सबसे प्रभावी अनुकूलन रणनीतियां हैं।
6.	आपूर्ति पक्ष में वृद्धि के लिए अधिशेष बेसिन से जल की कमी वाले क्षेत्र में जल का अंतरण एक प्रभावी उपाय है।
7.	आर्थिक विकास की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के साथ–साथ मांग पक्ष प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को शामिल करना आवश्यक है।
8.	जल संसाधनों की आपूर्ति पक्ष में वृद्धि के लिए अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनरू उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है।
9.	निर्णय लेने और सरकारी कार्यक्रमों के प्रसार में पंचायतों, जल उपयोगकर्ता संघों, स्थानीय युवाओं, स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
10.	जनता, विशेषकर किसानों के लिए जल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मीडिया और नागरिक समाज संगठन की भूमिका बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
11.	"बेहतर जानें, बेहतर योजना बनाएं और बेहतर लागू करें" दृष्टिकोण के माध्यम से जलका सतत शहरी नियोजन और प्रबंधन।
12.	बाढ़ और सूखे के बेहतर पूर्वानुमान और राहत कार्यों की स्थिति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

अध्याय – 11
राजविअ में सतर्कता गतिविधियां

11.1 परिचय

रा.ज.वि.अ की सतर्कता शाखा का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, श्री चिरब्रत सरकार, निदेशक (प्रशा.) रा.ज.वि.अ में अंशकालिक सीवीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। रा.ज.वि.अ में सीवीओ की भूमिका न केवल संगठन में भ्रष्टाचार और अन्य गैरकानूनी कदाचार के मामलों का पता लगाने के लिए है, बल्कि भ्रष्टाचार के बाद के दोषियों की तलाश करने के बजाय निवारक उपाय करने के लिए भी है। वर्ष 2022–23 के दौरान, सीवीओ ने मोटे तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित किया:

1. भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश को समाप्त करने या कम करने के उद्देश्य से संगठन के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की विस्तार से जांच करना।
2. संगठन में संवेदनशील/भ्रष्टाचार प्रवण स्थानों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्र में तैनात कर्मियों पर नजर रखना।
3. योजना और प्रणाली विफलताओं और भ्रष्टाचार या कदाचार के अस्तित्व का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण और नियमित निरीक्षण को लागू करना।
4. संदिग्ध अधिकारियों पर उचित निगरानी बनाए रखना और
5. आचरण नियमों का शीघ्र पालन सुनिश्चित करना।

11.2 सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों की स्थिति।

1. दो (02) शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय–समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों में यथा परिकल्पित सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को निर्धारित समयावधि के भीतर भेजे जाते है।
3. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण सर्किल, राजविअ, ग्वालियर के कार्यालय का निवारक सतर्कता निरीक्षण और कार्यपालक अभियंताओं, अन्वेषण प्रभाग–1 और 2, राजविअ, नासिक का निरीक्षण किया गया है।

11.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

राजविअ में 31.10.2022 से 06.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस संबंध में 31 अक्टूबर, 2022 को महानिदेशक, राजविअ द्वारा राजविअ (मुख्यालय), नई दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक ''शपथ'' दिलाई गई थी। सीवीसी के दिनांक 08.09.2022 के परिपत्र संख्या 022/वीजीएल/029 के निर्देशों के अनुसार राजविअ के मुख्यालय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रमुख स्थानों पर भ्रष्टाचार की बुराइयों को उजागर करने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। 31.10.2022 को राजविअ के निदेशक (प्रशासन) और सीवीओ श्री चिरब्रत सरकार की उपस्थिति में वीसी के माध्यम से ''विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'', ''भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत'' विषय पर खुली बहस का भी आयोजन किया गया। सीवीओ, राजविअ ने भी उपर्युक्त विषय पर कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ

अपने विचार साझा किए। जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। राजविअ, हैदराबाद द्वारा ''भ्रष्टाचार मुक्त भारत – विकसित भारत'' विषय पर 02.11.2022 को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 03.11.2022 को लिटिल फ्लावर हाई स्कूल, एबिड्स, हैदराबाद में ''विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान गतिविधियों की जानकारी

31.10.2022 को शपथ का कार्यान्वयन

03.11.2022 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

अध्याय – 12
राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण राजभाषा (हिंदी) के उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके नियमों के प्रावधानों के वास्तविक कार्यान्वयन की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राजभाषा आईसी) की त्रैमासिक बैठकें मुख्यालय, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली और इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से आयोजित की जाती थीं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ और विभिन्न अनुभागों के प्रमुखों की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में की गई समीक्षाओं के दौरान, यह परिलक्षित हुआ कि हिंदी में आधिकारिक उपयोग और पत्राचार दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन बैठकों में निर्णयों के कार्यान्वयन और पालन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए है । सभी दस्तावेजों को 2022–23 के दौरान द्विभाषी रूप से जारी किया गया है, जैसा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लेख किया गया है। रा.ज.वि.अ. मुख्यालय का कुल प्रतिशत अब पिछले छह महीनों से 95–99% है। सहायक निदेशक (रा.भा.) ने वर्ष 2022–23 के दौरान रा.भा. (हिंदी) के उपयोग का आकलन करने के लिए 7 (सात) क्षेत्रीय कार्यालयों (2 कार्यालयों का भौतिक रूप से और वीसी के माध्यम से 5 कार्यालयों) का निरीक्षण किया।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, ''हिंदी पखवाड़ा'' का आयोजन 14.09.2022 से 29.09.2022 तक मुख्यालय, नई दिल्ली और रा.ज.वि.अ. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया था। महानिदेशक रा.ज.वि.अ. ने पखवाड़ा के दौरान हिंदी के उत्तरोत्तर उपयोग के लिए एक अपील जारी की और सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा के उपयोग के प्रति अधिक झुकाव रखें और हिंदी में अधिक काम करें और राजभाषा का उपयोग केवल पखवाड़ा के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक नियमित अभ्यास के रूप में अपनाया और उपयोग किया जाना चाहिए। पखवाड़ा के दौरान वीसी द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महानिदेशक, राजविअ ने 24.06.2022 को वीसी द्वारा आयोजित ''नराकास बैठक'' में भाग लिया। समिति के अध्यक्ष ने राजविअ के कार्यों की सराहना की।

संसदीय राजभाषा की दूसरी उप–समिति ने राजभाषा के प्रगामी उपयोग के लिए 24.08.2022 को मुख्य अभियंता, हैदराबाद के कार्यालय,18.01.2023 को अन्वेषण प्रभाग, नासिक और 28.02.2023 को जोधपुर में अन्वेषण उप–प्रभाग, जयपुर का निरीक्षण किया।

संसदीय राजभाषा की दूसरी उप-समिति द्वारा राजविअ, नासिक की निरीक्षण बैठक दिनांक **18.01.2023** को लोकसभा सदस्य श्रीमती रंजनबेन भट्ट एवं राज्यसभा सदस्य श्रीमती संगीता यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

24.08.2022 को हैदराबाद में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन पर संसदीय समिति के निरीक्षण में महानिदेशक, राजविअ ने भाग लिया।

अध्याय – 13
वित्त और लेखा

13.1 पीएमकेएसवाई–एआईबीपी योजना के अंतर्गत राज्यों को दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) को केन्द्रीय सहायता।

2015–16 के दौरान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई तक पहुंच सुनिश्चित करने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि लाई जा सके।

केन्द्र सरकार ने देश में वृहद/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करने के लिए वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना था जो पूरी होने के अंतिम चरण में थीं। पीएमकेएसवाई के शुभारंभ के बाद, एआईबीपी पीएमकेएसवाई का हिस्सा बन गया।

भारत सरकार ने रा.ज.वि.अ की पहचान एलटीआईएफ से बाहर से संसाधन उधार लेने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए की है, साथ ही पीएमकेएसवाई–एआईबीपी स्कीम के अंतर्गत पहचान की गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में निधियां जारी करने के लिए भी की है। इन परियोजनाओं में केंद्रीय हिस्सेदारी के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड से उधार लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जल संसाधन ,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. और नाबार्ड के मध्य 6 सितंबर, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पीएमकेएसवाई–एआईबीपी योजना के तहत राज्यों को कोई निधि जारी नहीं की गई । राजविअ ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नाबार्ड को 3788.24 करोड़ रुपये के ब्याज और मूलधन का भुगतान किया।

13.2 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राजविअ को सहायता अनुदान और वास्तविक व्यय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 77.61 करोड़ रुपये (सहायता अनुदान सामान्य रुपये 23.61 करोड़ रुपये + सहायता अनुदान–वेतन 54.00 करोड़ रुपये) की राशि जारी की। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया वास्तविक व्यय 82.33 करोड़ रुपये (सहायता अनुदान सामान्य रुपये 29.44 करोड़ रुपये + सहायता अनुदान–वेतन 52.89 करोड़ रुपये) है। 82.33 करोड़ रुपये में से, राजविअ ने अपने आंतरिक संसाधनों से जीआईए सामान्य व्यय के लिए 3.87 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इसके पास वित्तीय वर्ष 2021–22 से सहायता अनुदान सामान्य रुपये और 3.54 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान तथा सामान्य समायता अनुदान रूपये 2.06 करोड़ शेष है।

13.3 वित्तीय वर्ष 2022 –23 के लिए राजविअ का लेखापरीक्षित खाता

महानिदेशक, लेखा परीक्षा (कृषि, खाद्य और जल संसाधन) के कार्यालय ने वर्ष 2022–23 के लिए राजविअ के लेखा परीक्षा खातों की जांच की है। वर्ष 2022–23 के लिए लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ राजविअ के पैरा वार उत्तर और राजविअ के लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण अनुलग्नक–।।। में दिया गया है (वित्त अनुभाग से जानकारी प्राप्त करने के बाद जोड़ा जाएगा)।

अध्याय – 14
आभारोक्ति

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, अध्यक्ष, राजविअ सोसाइटी और अध्यक्ष, एससीआईएलआर, श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष राजविअ सोसाइटी एवं श्री पंकज कुमार, सचिव (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), अध्यक्ष राजविअ का शासी निकाय के बहुमूल्य मार्गदर्शन और सलाह के तहत राजविअ की विभिन्न गतिविधियों में अच्छी प्रगति हुई है।

हम सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, राजविअ की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के अध्यक्ष और एससीआईएलआर के सामान्य सहमति समूह के अध्यक्ष, के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। श्री आर.के. गुप्ता, श्री जे चंद्रशेखर अय्यर और श्री कुशविंदर वोहरा, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, जिन्होंने 01.04.2022 से 31.03.2023 तक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लगातार कार्यालय में कार्यभार संभाला, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तथा राजविअ सोसाइटी, जीबी और टीएसी के सभी सदस्यों के भी आभारी हैं। हम एससीआईएलआर और टीएफआईएलआर की उप–समितियों के सभी अध्यक्षों और सदस्यों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

राजविअ माननीय मंत्रियों नामतः श्री गोविंद मकतप्पा करजोल, माननीय मंत्री (जल संसाधन विभाग) कर्नाटक सरकार, श्री तुलसीराम सिलावट माननीय जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, श्री थिरु दुरईमुरुगन माननीय मंत्री (जल संसाधन) तमिलनाडु सरकार से राजविअ सोसायटी की एजीएम और एससीआईएलआर बैठक में शामिल होने के उत्कृष्ट सहयोग की सराहना करता है। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के सचिवों, प्रमुख अभियंताओं और मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राजविअ को सौंपे गए कार्यों से निपटने में उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

रा.ज.वि.अ., जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों/शाखाओं/अनुभागोंय वित्त मंत्रालययय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालययय वन तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालययय ऊर्जा मंत्रालययय केंद्रीय जल आयोग, जीएसआई, सीजीडबल्यूबीय केन्द्रीय मृदा एवं पदार्थ अनुसंधानशालाय एनआईएचय सीईएय आईएमडीय वाप्कोस और नीति आयोग आदि को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रा.ज.वि.अ., (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे मार्गदर्शन, अभूतपूर्व सहयोग और हमारे साथ सदैव रहने के लिए आभार प्रकट करता है।

अनुलग्नक - I

राज्य सरकारों से प्राप्त अंत:-राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

क्रमांक	अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों का नाम	संबंधित नदियाँ	पीएफआर/एफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
क	**महाराष्ट्र**		
1.	वैनगंगा (गोशीकुर्द)-नलगंगा (पूर्ण तापी)	वैनगंगा और नलगंगा	पीएफआर और डीपीआर पूर्ण
2.	वैनगंगा-मांजरा घाटी	वैनगंगा और मांजरा	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
3.	ऊपरी कृष्णा-भीमा (छः लिंकों की प्रणाली)	कृष्णा और भीमा	पीएफआर पूर्ण
4	दमनगंगा (एकदरे) - गोदावरी घाटी	दमनगंगा और गोदावरी	डीपीआर पूर्ण
5.(i)	ऊपरी वैतरणा-गोदावरी घाटी	वैतरणा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण
5. (ii)	दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी (कड़वा देव) घाटी	दमनगंगा, वैतरणा और गोदावरी	डीपीआर का मसौदा पूर्ण
6.	उत्तरी कोंकण-गोदावरी घाटी	पातालगंगा और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
7.	कोयना-मुंबई शहर	कोयना	पीएफआर पूर्ण
8.	श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी)-पूर्णा-मंजीरा	गोदावरी, पूर्णा और मंजीरा	पीएफआर पूर्ण
9.	वैनगंगा (गोसीखुर्द)-गोदावरी (एसआरएसपी)	वैनगंगा और गोदावरी	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस लिया गया
10.	मध्य कोंकण-भीमा घाटी	सावित्री, कुंडलिका, अम्बा और भीमा	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
11.	कोयना-नीरा	कोयना और नीरा	पीएफआर पूर्ण
12.	मुलसी-भीमा	मुलसी और भीमा	पीएफआर पूर्ण
13.	सावित्री-भीमा	सावित्री और भीमा	पीएफआर पूर्ण
14.	कोल्हापुर-सांगली-सांगोला	कृष्णा और भीमा	पीएफआर पूर्ण
15.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं	तापी	पीएफआर पूर्ण
16.	नार-पार-गिरना घाटी	नार, पार और गिरना	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
17.	नर्मदा-तापी	नर्मदा और तापी	पीएफआर पूर्ण
18.	खारियागुट्टा-नवाथा सतपुड़ा पैदल पहाड़ियां	छोड़ दी गई	सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल पुनर्भरण योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा। नतीजतन पीएफआर अध्ययनों के लिए राजविअ के टीएसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
19.	खारिया घुटी घाट-तापी	छोड़ दी गई	
20.	जीगांव-तापी-गोदावरी घाटी	तापी और गोदावरी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
ख.	**गुजरात**		

21.	दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड़	दमनगंगा, साबरमती और चोरवाड़	पीएफआर पूर्ण
ग.	**ओडिशा**		
22.	महानदी-ब्राह्मणी	महानदी और ब्राह्मणी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
23.	महानदी-रुशिकुल्या (बरमूल परियोजना)	महानदी और रुशिकुल्या	पीएफआर पूर्ण। (सभी लाभ एम-जी लिंक द्वारा लिए जाते हैं)
24.	वामसाधरा-रुशिकुल्या (नंदिनी नाला परियोजना)	वामसाधारा और रुशिकुल्या	पीएफआर पूर्ण
25.	नागवल्ली-रुशिकुलिया-वामधारा	नागवल्ली, रुशिकुलिया और वामधारा	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
घ.	**झारखंड**		
26.	दक्षिण कोइल-सुबर्णरेखा	दक्षिण कोइल और सुबर्णरेखा	पीएफआर पूर्ण
27.	शंख-दक्षिण कोइल	शंख और दक्षिण कोइल	पीएफआर पूर्ण
28.	बारकर-दामोदर-सुबर्णरेखा	बारकर, दामोदर और सुबर्णरेखा	पीएफआर पूर्ण
ड.	**बिहार**		
29.	कोसी-मेची [पूरी तरह से भारत में स्थित]	कोसी और मेची	पीएफआर और डीपीआर पूर्ण तकनीकी-आर्थिक मंजूरी, पर्यावरण और निवेश मंजूरी दी गई। पीआईबी नोट का मसौदा बिहार सरकार को भेजा गया। कार्यशील डीपीआर तैयार करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
30.	बाढ़-नवादा	गंगा और किउल	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
31.	कोहरा-चंद्रावत (अब कोहरा-लालबेगी)	कोहरा और चंद्रावत	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
32.	बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा	बूढ़ी गंडक, नून, बाया और गंगा	पीएफआर और डीपीआर पूर्ण है, सीडब्ल्यूसी ने राय दी कि परियोजना को बाढ़ नियंत्रण परियोजना के रूप में माना जा सकता है। बिहार सरकार को दी जानकारी गई ।
33.	बागमती-बूढ़ी गंडक [बेलवाधर के माध्यम से]	बूढ़ी गंडक और बागमती	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
34.	कोसी-गंगा	कोसी और गंगा	पीएफआर पूर्ण

35.	बागमती सिंचाई और जल निकासी परियोजना का विकास -चरण-II (मुजफ्फरपुर जिले में कटौंझा के पास बैराज) और कोसी-अधवारा-बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देशीय परियोजना	कोसी, अधवारा और बागमती	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
36.	बक्सर में पंप कैनाल योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार में गंगा जल का अंतरण	गंगा	प्रारंभ में, राजविअ ने कार्य शुरू करने के लिए सहमति दी लेकिन बिहार सरकार से विवरण प्राप्त करने के बाद, यह पाया गया कि ये अंत:राज्यीय लिंक नहीं हैं, इसलिए शुरू नहीं किए गए हैं।
37.	बडुआ-चंदन बेसिन का विकास	बदुआ और चंदन	
38.	सोन-फल्गु लिंक	सोन और फल्गु	प्रारंभिक अध्ययन किया गया है (संभव नहीं पाया गया)
च.	**राजस्थान**		
39.	माही-लूनी लिंक	माही और लूनी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
40.	वाकल-साबरमती-सेई-पश्चिम बनास-कामेरी लिंक	वकाल, साबरमती, सेई, पश्चिम बनास और कमेरी	पीएफआर पूर्ण (संभव नहीं पाया गया)
छ.	**तमिलनाडु**		
41.	पोन्नैयार-पलार लिंक	पोन्नैयार और पलार	पीएफआर और डीपीआर पूर्ण
H.	**कर्नाटक**		
42.	अलमाटी (बागलकोट)-मालाप्रभा उप-बेसिन	अलमट्टी और मालाप्रभा	प्रथम दृष्टया संभव नहीं पाया गया
43.	मालाप्रभा-तुंगभद्रा उप-बेसिन	मालाप्रभा और तुंगभद्रा	प्रथम दृष्टया संभव नहीं पाया गया
44.	बेदती-धर्मा-वरदा लिंक	बेदती, धर्मा और वरदा	पीएफआर पूर्ण
45.	भद्रा-वेदवती (वाणी विलासा सागर) लिंक	भद्रा और वेदवती	कर्नाटक सरकार ने एससीआईएलआर की11वीं बैठक के दौरान प्रस्ताव वापस ले लिया।
46.	पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पथांतरण (बारापोल-ऊपरी कावेरी लिंक)	बारापोल और ऊपरी कावेरी	
47.	बेदती और अघनाशिनी से वरदा की ओर पथांतरण	अघनाशिनी और वरदा	पीएफआर पूर्ण
ज.	**छत्तीसगढ़**		
48.	पेयरी-महानदी लिंक	पेयरी और महानदी	पीएफआर पूर्ण
झ.	**उत्तर प्रदेश**		
49.	शारदा-गोमती लिंक	शारदा और गोमती	पीएफआर पूर्ण

अनुलग्नक- II

अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 के दौरान राजविअ अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण/सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

क्रमांक	प्रशिक्षण/सेमिनार/सम्मेलन/ कार्यशाला	अवधि	स्थान	आयोजनकर्ता	भाग लेने वाले अधिकारी
1.	"सरकार में प्रबंधन" पर अनिवार्य संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी)	18.04.2022 से 22.04.2022 तक	आईआईएम, अहमदाबाद	आईआईएम, अहमदाबाद	महानिदेशक, राजविअ।
2.	एनडब्ल्यूए, पुणे में केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा समूह-क अधिकारियों के लिए अनिवार्य संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम	29.04.2022	राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), पुणे	एनडब्ल्यूए, पुणे	महानिदेशक,राजविअ अतिथि संकाय के रूप में - "ई-फ्लो: कार्यान्वयन, मुद्दे और भारत में चुनौतियां" पर व्याख्यान देंगे।
3.	राजविअ के नए भर्ती किए गए कनिष्ठ अभियंताओं के लिए दो सप्ताह का प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	13.06.2022 से 24.06.2022 तक	एनडब्ल्यूए, पुणे	एनडब्ल्यूए, पुणे	राजविअ से 21 कनिष्ठ अभियंताओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
4.	भारत में बांध सुरक्षा शासन के लिए "बांध सुरक्षा अधिनियम 2021" पर कार्यशाला	16.06.2022	डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली	सीडब्ल्यूसी	कार्यशाला में महानिदेशक, राजविअ ने भाग लिया, अन्य अधिकारियों जिन्होने भाग लिया: 1. श्री एस.आर.माहोर, अधीक्षण अभियंता. 2. श्री एस.सी.अवस्थी, अधीक्षण अभियंता 3. श्री आर चंद्रशेखरन, कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय) 4. श्री एस जेम्स, सहायक निदेशक 5. श्रीमती विनीता शर्मा, ए सहायक निदेशक। 6. श्री मनोज धिम्मर, सहायक अभियंता 7. श्री ललित कुमार सियानीया, सहायक अभियंता
5.	"जल नेटवर्क प्रबंधन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी" पर दूसरा वार्षिक सम्मेलन	28.06.2022 से 29.06.2022 तक	होटल ली मेरिडियन, नई दिल्ली	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड	डॉ. आर. एन. सांखुआ, मुख्य अभियंता (द) ने "राष्ट्रीय जल विकास के

					लिए डिजिटल पहल" सत्र में भाग लिया और भाषण दिया।
6.	"कंक्रीट हाइड्रोलिक संरचनाओं के लिए निर्माण सामग्री और गुणवत्ता नियंत्रण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	14.09.2022 से 15.09.2022 तक	सीएसआरएमएस, नई दिल्ली	सीएसआरएमएस	1. श्री एमपी कृष्णामूर्ति, सहायक निदेशक, मुख्यालय, नई दिल्ली 2. श्री हरि ओम वार्ष्णेय, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता (उ), राजविअ, लखनऊ का कार्यालय।
7.	"भारत में सिंचाई" पर वार्षिक सम्मेलन, 11-12 अक्टूबर, 2022	11.10.2022	मैरियट, हैदराबाद	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग ग्रुप	महानिदेशक,राजविअ श्री भोपाल सिंह : 'नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं' पर विशेष सत्र को संबोधित करेंगे।
8.	"तटबंध बांधों" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	13.10.2022 से 14.10.2022 तक	सीएसआरएमएस, नई दिल्ली	सीएसआरएमएस, नई दिल्ली	1. श्री अशोक भटेले, सहायक अभियंता, नासिक 2. श्री अंकित कुमार, सहायक अभियंता, नई दिल्ली
9.	जियो स्मार्ट इंडिया 2022 (जीएसआई-2022) के आयोजन के तहत जल संसाधन कार्यक्रम	16.11.2022 से 17.11.2022	एचआईसीसी, हैदराबाद	भू-स्थानिक दुनिया	डॉ. आर. एन. सांखुआ, मुख्य अभियंता (द)
10.	सीडब्ल्यूईएस के एसएजी स्तर के अधिकारियों के लिए एमसीटीपी कार्यक्रम	17.11.2022	आईआईएम अहमदाबाद	आईआईएम अहमदाबाद	महानिदेशक,राजविअ द्वारा व्याख्यान दिया गया
11.	"बांधों के लिए नवीनतम जांच, मरम्मत और पुनर्वास प्रौद्योगिकियां" पर प्रशिक्षण कार्यशाला	02.03.2023 से 03.03.2023 तक	होटल द सूर्या, एमएमए रोड, नई दिल्ली	बांध सुरक्षा सचिवालय, दिल्ली।	1. हरि ओम वार्ष्णेय, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता (उ), राजविअ, लखनऊ का कार्यालय। 2. अंशुल जैन, सहायक अभियंता, झांसी
12.	आईआईआरएस, देहरादून के जल संसाधन विकास में एम.टेक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दौरान व्याख्यान	15.03.2023	आईआईआरएस, देहरादून	आईआईआरएस, देहरादून	श्री एम पी कृष्णामूर्ति, सहायक निदेशक, नई दिल्ली ने "अंतर बेसिन नदी जल अंतरण: नदियों को जोड़ने की अवधारणाएं (आईएलआर), आरएस-जीआईएस की भूमिका और आईएलआर का प्रभाव" पर एक व्याख्यान दिया।

अनुलग्नक– ।।।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, राजविअ के उत्तर और राजविअ के खाते, लेखा परीक्षा पूरा होने पर अद्यतन किए जाएंगे।

अनुलग्नक–IV

वर्ष 2022–23 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण बैठकें/गतिविधियां

- महानिदेशक, राजविअ ने मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) क्षेत्र में आने वाले केबीएलपी के लिए डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा तैयार की गई पांच पूरक योजनाओं सहित एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) को अंतिम रूप देने के लिए 06.04.2022 को सभी हितधारकों की एक बैठक आयोजित की।
- महानिदेशक, राजविअ ने दिनांक 08.04.2022 को जयपुर (राजस्थान) में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के मुद्दों की समीक्षा के लिए माननीय मंत्री द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया।
- मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ ने पटना, बिहार में 12.04.2022 को आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर 10वीं भारत–नेपाल संयुक्त समिति की बैठक में भाग लिया।
- निदेशक (प्रशासन), राजविअ द्वारा 05.05.2022 से 07.05.2022 के दौरान राजविअ, नासिक के कार्यालयों का निवारक सतर्कता निरीक्षण किया गया।
- राजविअ के नए भर्ती किए गए कनिष्ठ अभियंताओं के लिए प्रेरण प्रशिक्षण 13.06.2022 से 24.06.2022 तक एनडब्ल्यूए, पुणे में आयोजित किया गया।
- संसदीय राजभाषा समिति की की दूसरी उप समिति ने 24.08.2022 को मुख्य अभियंता (द), राजविअ का निरीक्षण किया।
- संशोधित पी–के–सी लिंक का पीएफआर मुख्य अभियंता (उ), राजविअ, लखनऊ द्वारा 18.08.2022 को संबंधित राज्यों/कार्यालयों के बीच परिचालित किया गया।
- ''सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन पर उप–समिति'' की 21वीं बैठक 30.08.2022 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई।
- केन उप–बेसिन के नीचे यमुना के मुक्त जलग्रहण (एफसीवाई) का पीडब्ल्यूबीएस 26.08.2022 को परिचालित किया गया।
- राजविअ के सभी कार्यालयों में पुराने भौतिक अभिलेखों को हटाने और परिसरों की सफाई के लिए 02.10.2022 से 31.10.2022 तक विशेष अभियान 2.0 चलाया गया है।
- गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति बनाने के लिए पक्षकार राज्यों के साथ चौथी परामर्श बैठक 18.10.2022 को महानिदेशक, राजविअ की अध्यक्षता में बेंगलुरु में आयोजित की गई।
- 31.10.2022 से 06.11.2022 के दौरान राजविअ के कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया।
- अधीक्षण अभियंता, राजविअ, हैदराबाद ने राजविअ के अन्य अधिकारियों के साथ 14.11.2022 को हैदराबाद में जीएम कार्यालय, एससी रेलवे की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) की बैठक में भाग लिया।
- राजविअ के शासी निकाय की 70वीं बैठक दिनांक 15.11.2022 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई।

- महानिदेशक, राजविअ ने आईआईएम अहमदाबाद द्वारा 17.11.2022 को आयोजित सीडब्ल्यूईएस के एसएजी स्तर के अधिकारियों के लिए एमसीटीपी कार्यक्रम के दौरान ''देश में आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अंतःराज्यीय मुद्दों की चुनौतियां'' पर एक व्याख्यान दिया।
- राजविअ सोसाइटी (एजीएम) की 36 वीं वार्षिक सामान्य बैठक और एससीआईएलआर की 20वीं बैठक 13.12.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- वर्ष 2021–22 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अन्वेषण प्रभाग, राजविअ, वडोदरा को 16.12.2022 को ''नगर राजभाषा कार्य समिति, (केंद्र सरकार), वडोदरा'' द्वारा ''प्रेरणा पुरस्कार'' के रूप में ''प्रशस्ति पत्र'' से सम्मानित किया गया है।
- दिनांक 19.12.2022 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में भारत की जी–20 अध्यक्षता के दौरान जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग में की जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा विभाग) की अध्यक्षता में महानिदेशक,राजविअ ने 7वीं बैठक में भाग लिया।
- पेन्नार (सोमासिला)–पलार–कावेरी (कट्टलाई) लिंक परियोजना का पीएफआर मुख्य अभियंता (द), राजविअ, हैदराबाद द्वारा पक्षकार राज्यों को परिचालित किया गया।
- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मुख्य अभियंता (उ), राजविअ, लखनऊ द्वारा पूर्णागिरि तक सारदा उप–बेसिन के संशोधित डब्ल्यूबीएस को परिचालित किया गया।
- महानदी–गोदावरी (एमजी) लिंक का नमूना कमान क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया।
- राजविअ, नागपुर के अधिकारियों ने 03.01.2023 से 07.01.2023 तक की अवधि के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, की ओर से सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी कार्यालयों के साथ ''108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस'' कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रकार, वैनगंगा–नलगंगा लिंक परियोजना के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए छात्रों और जनता को आईएलआर परियोजनाओं से संबंधित विवरणिका वितरित किए और जनता ने जल शक्ति मंत्रालय के स्टॉल का दौरा किया।
- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा 18.01.2023 को राजविअ, नासिक की निरीक्षण बैठक लोकसभा सदस्य श्रीमती रंजनबेन भट्ट और राज्यसभा सदस्य श्रीमती संगीता यादव की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित की गई।
- श्री ए बी पांड्या महासचिव आईसीआईडी की अध्यक्षता में 20.01.2023 को हाइब्रिड मोड में ''नदियों को जोड़ने पर व्यापक मूल्यांकन और प्रणाली अध्ययन'' के लिए उप–समिति की पहली बैठक 20.01.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- भोपाल में 05–06 जनवरी, 2023 के दौरान आयोजित ''वाटर विजन /2047'' विषय के साथ पानी पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में केबीएलपीए का स्टाल लगाया गया।
- राजविअ और सीएसएमआरएस के बीच 25.01.2023 को डीपीआर, निर्माण के दौरान गुणवत्ता आश्वासन और राजविअ की डीपीआर के संबंध में विशेष समस्याओं के लिए भू–तकनीकी जांच और निर्माण सामग्री जांच के लिए दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक की डीपीआर को नवीनतम मूल्य स्तर पर अद्यतन किया गया और मूल्यांकन के लिए सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया।
- संशोधित पीकेसी लिंक की डीपीआर तैयार करने और परियोजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन का मसौदा राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

- महानिदेशक, राजविअ ने 01.02.2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में राजस्थान राज्य (ईआरसीपी) से संबंधित मुद्दों पर माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया।
- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति ने दिनांक 28.02.2023 को अन्वेषण उप–प्रभाग, राजविअ, जयपुर का निरीक्षण किया।
- महानिदेशक, राजविअ ने 03.03.2023 को नई दिल्ली में कोसी–मेची लिंक के संबंध में श्री संजय कुमार अग्रवाल अवर सचिव, जल संसाधन विभाग और बिहार सरकार के साथ बैठक में भाग लिया।
- टीएफ–आईएलआर की 17वीं बैठक दिनांक 06.03.2023 को हैदराबाद में हाइब्रिड मोड में श्री श्रीराम वेदिरे, अध्यक्ष, टास्क फोर्स और सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- गंगा–दरवा लिंक के नए प्रस्ताव के संबंध में 17 और 18 मार्च, 2023 को देवघर, झारखंड में श्री बिश्वेश्वर टुडू, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति और जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में राजविअ के अधीक्षण अभियंता (उ) और राजविअ, पटना के अन्य अधिकारियों के साथ भाग लिया।
- राजविअ, भुवनेश्वर के अधिकारियों ने 05.03.2023 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में करंजिया ब्लॉक के बिराल, केंदुमुंडी गांव, पटबिल ग्राम पंचायत में और 31.03.2023 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में मोरादा ब्लॉक में जम्भीरा नदी पर नदी उत्सव–2023 गतिविधियों में भाग लिया।
- केबीएलपी के दौधन बांध, ऊपरी स्तर की सुरंग, निचले स्तर की सुरंग आदि के ईपीसी निष्पादन पर निविदा के संबंध में सीईओ केबीएलपीए और महानिदेशक, राजविअ की अध्यक्षता में हितधारकों की परामर्श बैठक 20.03.2023 को भोपाल में आयोजित की गई।
- 22.03.2023 को विश्व जल दिवस के अवसर पर बरुआ सागर तालाब की सफाई और जागरूकता रैली का आयोजन कार्यपालक अभियंता , केबीएलपीए, झांसी द्वारा बरुआ सागर में किया गया।
- राजविअ ने गांधीनगर, गुजरात में 27 से 29 मार्च, 2023 के दौरान आयोजित पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) पर दूसरी जी 20 बैठक में भाग लिया।

Appendix-III

गोपनीय

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

रिपोर्ट/2-177/डी.जी.ए./ए.एफ.&डब्ल्यू.आर/A/Cs/SAR/NWDA/22-23/ दिनांक: .10.2023

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
रफ़ी मार्ग, संसद मार्ग एरिया,
नई दिल्ली– 110001.

विषय: वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) के वर्ष 2022-23 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रही हूँ। संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज को दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करे कि 2022-23 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करे ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य हो"।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरी

उप-निदेशक (प्रतिवेदन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी.ए.जी. संकाय भवन, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, CAG Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष/Phone: 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416
E-mail pdaafwr@cag.gov.in

रिपोर्ट/2-177/डी.जी.ए./ए.एफ.&डब्ल्यू.आर/A/Cs/SAR/NWDA/22-23/4036 दिनांक: 31.10.2023

1. प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सचिव, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) 18-20, सामुदायिक केंद्र, साकेत, नई दिल्ली - 110017 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

   संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

31/10/23

उप-निदेशक (प्रतिवेदन)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली के समेकित खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के तहत 31 मार्च, 2023 तक राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली की संलग्न तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा और प्राप्तियों और भुगतान खातों का लेखा परीक्षा किया है। वित्तीय विवरणों में मुख्यालय इकाई और 5 सर्किलों के खाते शामिल हैं जो 31 मार्च 2023 तक 14 प्रभागों और 3 उप-प्रभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 4 इकाइयों (पटना, चेन्नई, नागपुर और मुख्यालय) की लेखा परीक्षा की गई और टिप्पणियों को मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के अनुरूपता, लेखा मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखा व्यवहार पर टिप्पणियां शामिल हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किया जाता है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण सामग्री गलत विवरणों से मुक्त हैं या नहीं। एक लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। एक लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ii) तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्रारूप में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए जाते हैं।

iii) हमारी राय में राजविअ के उपनियमों की धारा 19 के तहत आवश्यकता अनुसार अभिकरण द्वारा खातों की यथाअपेक्षित लेखा बहियों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए गए हैं, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
iv) हम रिपोर्ट के लिए हैं कि:

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्ति

क1.1 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) - ₹ 56.04 करोड़

उपर्युक्त राशि में एक परियोजना के लिए अन्वेषण प्रभाग, लखनऊ द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अग्रिम के रूप में भुगतान की गई 2.26 लाख रुपए की राशि भी शामिल है जिसे परियोजना प्राधिकरण द्वारा बंद कर दिया गया था। चूंकि परियोजना बंद हो गई है, इसलिए राशि को अग्रिम के रूप में दिखाने के बजाय व्यय के तहत दिखाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों, ऋण अग्रिमों (अनुसूची 11) और अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) में प्रत्येक को 2.26 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। **(राजविअ - पटना)**

ख. सामान्य

क) अर्जित ब्याज की अनुसूची (अनुसूची 17) में सावधि जमा, बचत खातों, ऋण, देनदारों पर ब्याज और अन्य प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज शामिल है। उक्त मदों की प्रस्तुति लेखा के समान प्रारूप की अनुसूची 17 के अनुरूप नहीं है जिसमें उचित विभाजन और उपशीर्षक के साथ अर्जित ब्याज की प्रस्तुति निर्धारित की गई है।
खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची के अनुसार अर्जित ब्याज के विवरण ना दर्शाये जाने के कारण अनुसूची में इस सीमा तक कमी आ गई है। **(राजविअ - दिल्ली)**

ख) वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों (अनुसूची 11) के तहत 'प्राप्य दावे' उन कर्मचारियों के मूल विभाग से वसूली योग्य अवकाश वेतन के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राजविअ में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को 1994-95 से 2013-14 के दौरान 7.22 लाख रुपये के ये अवकाश वेतन का अग्रिम भुगतान किया गया था, जो हालांकि 31.03.2023 तक अपने मूल विभाग से वसूली के लिए लंबित थे।
चूंकि अग्रिम 9 वर्ष से 29 वर्ष तक की अवधि से संबंधित हैं, इसलिए इन राशियों की वसूली बहुत मुश्किल है। इसलिए, खातों में अग्रिमों के विरुद्ध आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए थे। **(राजविअ - पटना)**

ग) निर्धारित प्रारूप द्वारा अपेक्षित चालू खाते और बचत खाते में बैंक शेष राशि के बीच वर्गीकरण का अभाव है। **(राजविअ - दिल्ली)**

घ) बैंक शेष को निर्धारित प्रारूप द्वारा अपेक्षित बैंक शेष के बजाय नकद शेष राशि के रूप में संदर्भित किया गया है। **(राजविअ - दिल्ली)**

ड) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) के शीर्ष में ₹ 54680 की नकद राशि शामिल है जो एक वर्ष से अधिक समय से पारगमन में है। एक वर्ष के लिए पारगमन में नकदी के रूप में राशि का चित्रण एक आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है क्योंकि एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद भी नकदी प्राप्तकर्ता कार्यालय तक नहीं पहुंची है। **(राजविअ - पटना)**

च) आकस्मिक देनदारियों और खातों के नोट्स (अनुसूची 25) के प्रमुख में चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) शामिल हैं, जिन्हें उक्त शीर्ष के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सही वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए इस कमी को ठीक करने की आवश्यकता है। **(राजविअ - दिल्ली)**

छ) तुलन पत्र (अनुसूची 25) के खातों के नोटों में इस सीमा तक कमी है क्योंकि वे समेकित तुलन पत्र (इकाइयों की समेकित तुलन पत्र, भारत जल सप्ताह की तुलन सूची, अंशदायी भविष्य निधि की तुलन-पत्र) में शामिल इकाइयों के नाम का प्रकटीकरण नहीं करते हैं। खातों के व्याख्यात्मक नोट्स में अलग से तैयारी का आधार भी नहीं दिया गया है। इसका खुलासा न किए जाने से खातों में नोट की इस हद तक कमी हो गई है। **(राजविअ - दिल्ली)**

ग. सहायता अनुदान

राजविअ को 2022-23 के दौरान 78.57 करोड़ रुपये का कुल अनुदान सहायता प्राप्त हुआ। इसमें पिछले वर्ष के 11.15 करोड़ रुपये अव्ययित अनुदान के रूप में प्रारंभिक शेष राशि थी और परामर्श शुल्क से वर्तमान वर्ष की इसकी अपनी आय ₹ 1.34 करोड़ थी। 91.06 करोड़ रुपये की कुल निधि में से, राजविअ ने 82.3 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जिससे 8.76 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान बच गया।

घ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है।

(v) पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा लेखा बही-खातों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखा संबंधी नोट्स के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक** में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन

भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क)अब तक यह 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राजविअ के मामलों की स्थिति की तुलन पत्र से संबंधित है।

ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।

स्थान : नई दिल्ली

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

दिनांक: 31.10.2023

गुरवीन सिधू
महानिदेशक ,लेखा परीक्षा
(कृषि ,खाद्य एवं जल संसाधन)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है, लेकिन मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

i) राजविअ के प्रधान कार्यालय में दीर्घावधि अग्रिमों के लिए ब्रॉडशीट नहीं रखी गई थी, जिसके अभाव में लेखापरीक्षा वार्षिक खातों में दर्शाई गई दीर्घकालिक अग्रिमों की राशि की सत्यताकी पुष्टि नहीं कर सकी।

ii) राजविअ के प्रधान कार्यालय के मामले में अन्य ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) शीर्षक के तहत उल्लिखित कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, जो लंबे समय से वसूली के लिए लंबित था।

3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

राजविअ (मुख्यालय), नई दिल्ली के फर्नीचर और फिक्स्चर, प्लांट और मशीनरी, वाहन, और कंप्यूटर और सहायक उपकरण जैसी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2023 तक आयोजित किया गया था।

4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

2022-23 तक स्टेशनरी, पुस्तकों और प्रकाशनों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया है।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

खातों के अनुसार, राजविअ के मुख्यालय में 31.03.2023 तक वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक समय तक कोई भुगतान बकाया नहीं था।

प्रबंधन पत्र

क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में विद्युत अधिष्ठापनों (अचल परिसंपत्तियों) के संबंध में कोई मूल्यह्रास दर विनिदष्ट नहीं की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उस सीमा तक कमी है। इसमें सुधार की जरूरत है।

ख) वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) के शीर्ष में अन्य कार्यालयों से प्राप्त कर्मचारियों के अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के लिए प्राप्य 6.36 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिसमें से 4.26 लाख रुपए 1984 से 2009 की अवधि से संबंधित हैं। चूंकि, ये राशियां 14 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और उनकी वसूली की संभावना बहुत कम है, इसलिए खातों के बही-खातों में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था।

ग) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) के शीर्ष में निम्नलिखित पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध असमायोजित अग्रिमों के रूप में 1.19 लाख रुपए की असमायोजित राशि शामिल है जो लंबे समय से वसूली के लिए लंबित है। चूंकि ये राशियां बिना किसी वसूली के बकाया पड़ी हैं, इसलिए ऐसे अग्रिमों के लिए प्रावधान बही-खातों में किया जाना चाहिए था।

घ) अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों को छोड़कर मुख्यालय इकाई और समेकित इकाई में अनुदानों/राजसहायता के संबंध में अनुसूची 13 के सभी आंकड़ों में भिन्नता है। हो सकता है कि आंकड़ों को मिलाया/एकत्रित किया गया हो लेकिन इस संबंध में कोई उपयुक्त खुलासा नहीं किया गया है। आंकड़ों की तुलनात्मकता को बनाए रखने के लिए समान नाम का उपयोग किया जा सकता है।

ङ) अर्जित ब्याज पर अनुसूची (अनुसूची 17) के संबंध में, एफडीआर खाते पर अर्जित ब्याज और राजविअ मुख्यालय खाते में ग्रेच्युटी पर अर्जित ब्याज का कोई विभाजन नहीं है। दोनों आंकड़ों को समेकित तुलन पत्र में जोड़ दिया गया है, जिससे खातों में उस सीमा तक कमी आई है। इसमें सुधार की जरूरत है।

च) अर्जित ब्याज के प्रमुख मुख्यालय/समेकित तुलन पत्रों की अनुसूची 17 में भिन्न-भिन्न होते हैं। आंकड़ों की तुलनात्मकता को सक्षम करने के लिए समान नाम का उपयोग किया जा सकता है।

छ) अनुसूची 21 (कार्य) में तकनीकी रिपोर्टों की छपाई, सूचना प्रौद्योगिकी, संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण, ब्रीफकेस, संविदा कर्मचारियों के वेतन/वेतन, स्वच्छ भारत और अमृत महोत्सव के लिए खरीदी गई स्टेशनरी से संबंधित व्यय के लिए 110.82 लाख रुपए की राशि शामिल है। चूंकि, व्यय की उपर्युक्त मदें कार्यों की प्रकृति में नहीं हैं, इसलिए उन्हें कार्यों के बजाय अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनुसूची-21) के अंतर्गत रखा जाना चाहिए था। इसमें सुधार की जरूरत है।

ज) मुख्यालय की प्राप्तियों और भुगतानों (₹ 3,00,78,762.72) के तहत दिखाई देने वाले प्रशासनिक व्यय अनुसूची 21क (₹ 12,28,22, 128.43) के अनुसार आंकड़ों के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। प्राप्तियों और भुगतान खाते में लिंक नहर के व्यय की एक अन्य मद 9,27,43,365 रुपये दिखाई गई है, जो कुल 1,28,22,128.43 रुपये बनती है। तथापि, इस बात का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है कि यह अनुसूची 21क में दिखाई दे रहा है। इसे ठीक से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है।

झ) अनुसूची 20 क और 21 ख के अलावा प्राप्तियों और भुगतान खाते के संबंध में अनुसूचियों का कोई संदर्भ नहीं है। इसके कारण, रसीद और भुगतान खातों में आंकड़ों का प्रमाणीकरण अनुसूचियों के संदर्भ के बिना दर्शाए जा रहे आंकड़ों की सीमा तक लेखा परीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता है।

ञ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (अनुसूची 24) के बिंदु संख्या 12 में विदेशी मुद्रा लेनदेन को पढ़ा गया है, लेकिन इसके लेखांकन उपचार के संबंध में कोई वर्णन / विवरण नहीं है। इसलिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर महत्वपूर्ण लेखा नीति में उस सीमा तक कमी है।

ट) राजविअ की महत्वपूर्ण लेखा नीति (अनुसूची 24) में आय और व्यय के साथ-साथ निश्चित संपत्ति, निवेश आदि की विभिन्न मदों के लेखांकन के आधार को समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण लेखा नीतियां शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, वित्तीय विवरणों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटकों में कोई महत्वपूर्ण लेखा नीति नहीं पाई गई (i) लेखा सम्मेलन, (ii) निवेश, (i) जीएसटी, (iv) अचल संपत्तियां, (v) विविध व्यय, (vi) सरकारी अनुदान और सब्सिडी और (vii) सेवानिवृत्ति लाभ। उपर्युक्त मदों के संबंध में लेखा नीति तैयार न किए जाने से महत्वपूर्ण लेखा नीति और वित्तीय विवरणों में कमी आई है और वे इस सीमा तक अनिर्णायक हो गए हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

ठ) लेखा के समान प्रारूप की परिसंपत्तियों के लिए नोट - सामान्य बिंदु संख्या 3 के अनुसार, अधिग्रहित या निर्मित परिसंपत्तियों के लेखांकन से संबंधित लेखा नीति का खुलासा मूल्यह्रास / परिशोधन के लिए अपनाई गई विधि के साथ किया जाना चाहिए। तथापि, महत्वपूर्ण लेखा नीति में अचल आस्तियों से संबंधित कोई लेखा नीति नहीं दी गई है जिससे महत्वपूर्ण लेखा नीति में उस सीमा तक कमी हो गई है। इसके अलावा, अनुसूची में यह खुलासा नहीं किया गया है कि संपत्ति अनुदान या स्वयं के धन से अर्जित की गई है या नहीं।

ड) तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा (मुख्यालय और समेकित) में तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा की मदों से संबंधित व्याख्यात्मक सामग्री शामिल नहीं है। यह गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य समान संस्थानों के वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए नोट्स और निर्देशों में निहित निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अनुदेशों और लेखा सिद्धांतों के अनुसार खातों के एक समान प्रारूप के बिंदु संख्या 11 के अनुसार, तुलन पत्र और आय और व्यय खातों के नोट्स में तुलन पत्र और आय और व्यय खाते में मदों से संबंधित व्याख्यात्मक सामग्री शामिल होगी।

उपनिदेशक(प्रतिवेदन)

31मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण(राजविअ), नई दिल्ली के समेकित खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर ।

क. तुलन पत्र **क.1 संपत्ति** **क1.1 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) - ₹ 56.04 करोड़** उपर्युक्त राशि में एक परियोजना के लिए अन्वेषण प्रभाग, लखनऊ द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अग्रिम के रूप में भुगतान की गई 2.26 लाख रुपए की राशि भी शामिल है जिसे परियोजना प्राधिकरण द्वारा बंद कर दिया गया था। चूंकि परियोजना बंद हो गई है, इसलिए राशि को अग्रिम के रूप में दिखाने के बजाय व्यय के तहत दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों, ऋण अग्रिमों (अनुसूची 11) और अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21) में प्रत्येक को 2.26 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। **(राजविअ - पटना)**	यह तथ्य है कि जीएसआई कोलकाता के लिए ₹ 226454.00 की अग्रिम राशि दर्शाई गई है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि जीएसआई द्वारा अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया है जो सही नहीं है। इस प्रकार इसे अग्रिम के रूप में दिखाया गया है और 2022-23 में व्यय के हिस्से का हिसाब रखा गया है। इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है और अंतिम बिल प्राप्त होते ही इसे समायोजित किया जाना चाहिए। अत यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा को हटा दिया जाए।
ख. सामान्य **क)** अर्जित ब्याज की अनुसूची (अनुसूची 17) में सावधि जमा, बचत खातों, ऋण, देनदारों पर ब्याज और अन्य प्राप्तियों पर अर्जित ब्याज शामिल है। उक्त मदों की प्रस्तुति लेखा के समान प्रारूप की अनुसूची 17 के अनुरूप नहीं है जिसमें उचित विभाजन और उपशीर्षक के साथ अर्जित ब्याज की प्रस्तुति निर्धारित की गई है। खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूची के अनुसार अर्जित ब्याज के विवरण का चित्रण न होने से अनुसूची में इस हद तक कमी आ गई है। **(राजविअ - दिल्ली)**	ए) लेखा परीक्षा का अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

ख) वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों (अनुसूची 11) के तहत 'प्राप्य दावे' उन कर्मचारियों के मूल विभाग से वसूली योग्य अवकाश वेतन के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राजविअ में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को 1994-95 से 2013-14 के दौरान 7.22 लाख रुपये के ये अवकाश वेतन का अग्रिम भुगतान किया गया था, जो हालांकि 31.03.2023 तक अपने मूल विभाग से वसूली के लिए लंबित थे। चूंकि अग्रिम 9 वर्ष से 29 वर्ष तक की अवधि से संबंधित हैं, इसलिए इन राशियों की वसूली बहुत मुश्किल है। इसलिए, खातों में अग्रिमों के विरुद्ध आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए थे। **(राजविअ - पटना)**	ख) यह सत्य है कि उक्त अग्रिम राशि बहुत पहले से बकाया है और उनके मूल विभागों से कई अवसरों पर इन अग्रिमों के निपटान के लिए अनुरोध किया गया है, हमारे बेहतर प्रयास के बावजूद सभी अग्रिम अभी भी बकाया हैं। उपर्युक्त वसूली योग्य प्रावधान बनाने के लिए लेखा परीक्षा के अवलोकन का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, अवलोकन/पैरा को हटा दिया जाए।
ग) निर्धारित प्रारूप द्वारा अपेक्षित चालू खाते और बचत खाते में बैंक शेष राशि के बीच वर्गीकरण का अभाव है। **(राजविअ - दिल्ली)**	ग) लेखा परीक्षा के अवलोकन को नोट किया गया है और इसका अनुपालन किया जाएगा।
घ) बैंक बैलेंस को निर्धारित प्रारूप द्वारा अपेक्षित बैंक बैलेंस के बजाय नकद शेष राशि के रूप में संदर्भित किया गया है। **(राजविअ - दिल्ली)**	घ) लेखा परीक्षा का अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
ङ) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) के शीर्ष में ₹ 54680 की नकद राशि शामिल है जो एक वर्ष से अधिक समय से पारगमन में है। एक वर्ष के लिए पारगमन में नकदी के रूप में राशि का चित्रण एक आंतरिक नियंत्रण चूक का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद भी नकदी प्राप्तकर्ता कार्यालय तक नहीं पहुंची है। **(राजविअ - पटना)**	ङ) ये लेन-देन अन्वेषण प्रभाग, पटना में किए गए थे। दिनांक 29.10.2020 को दो कर्मचारियों को ₹ 54,680/- की कुल राशि का दो भुगतान किया गया, जो उनके बचत बैंक खाते में जमा नहीं किए गए थे। इसलिए, राशि को पारगमन में नकद में दिखाया गया था। तथापि, यह समझा जाता है कि टीएसए खाते में पड़ी निधियां प्रत्येक 31मार्च की मध्य रात्रि के बाद स्वत ही व्यपगत हो जाती हैं/सरकारी खजाने में वापस आ जाती हैं। तदनुसार, एक रिवर्स एंट्री पारित की जाएगी।

च) आकस्मिक देनदारियों और खातों के नोट्स (अनुसूची 25) के प्रमुख में चालू परिसंपतियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) शामिल हैं, जिन्हें उक्त शीर्ष के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सही वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए इस कमी को ठीक करने की आवश्यकता है। **(राजविअ - दिल्ली)**	च) आकस्मिक देनदारियां और खाते में नोट अनुसूची -25 के अंतर्गत आते हैं, जबकि वर्तमान संपत्ति और ऋण और अग्रिम अनुसूची -11 के तहत आते हैं, दोनों अलग-अलग हैं।
छ) तुलन पत्र (अनुसूची 25) के खातों के नोटों में इस हद तक कमी है क्योंकि वे समेकित तुलन पत्र (इकाइयों की समेकित तुलन पत्र, भारत जल सप्ताह की तुलन सूची, अंशदायी भविष्य निधि की तुलन-पत्र) में शामिल इकाइयों के नाम का खुलासा नहीं करते हैं। खातों के व्याख्यात्मक नोट्स में अलग से तैयारी का आधार भी नहीं दिया गया है। इसका खुलासा न किए जाने से खातों में नोट की इस हद तक कमी हो गई है। **(राजविअ - दिल्ली)**	छ) लेखा परीक्षा के अवलोकन को नोट किया गया है और इसे अनुसूची -25 में शामिल किया जाएगा।
ग. सहायता अनुदान राजविअ को 2022-23 के दौरान 78.57 करोड़ रुपये का कुल अनुदान सहायता प्राप्त हुआ। इसमें पिछले वर्ष के 11.15 करोड़ रुपये अव्ययित अनुदान के रूप में प्रारंभिक शेष राशि थी और परामर्श शुल्क से वर्तमान वर्ष की इसकी अपनी आय ₹ 1.34 करोड़ थी। 91.06 करोड़ रुपये की कुल निधि में से, राजविअ ने 82.3 करोड़ रुपये का उपयोग किया, जिससे 8.76 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान बच गया। **घ. प्रबंधन पत्र** जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक कार्रवाई के लिए	यह तथ्य का कथन है।

अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है। (v) पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा लेखा बही-खातों के अनुरूप हैं। (vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखा संबंधी नोट्स के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के **अनुलग्नक** में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। क)अब तक यह 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राजविअ के मामलों की स्थिति की तुलन पत्र से संबंधित है। ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।	
अनुलग्नक	
1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है, लेकिन मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा की जाती है।	यह तथ्य का कथन है। राजविअ का कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग नहीं है। तथापि, संगम ज्ञापन, नियम एवं विनियम और राजविअ के उपनियमों (1995 तक यथा संशोधित) के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशक (वित्त) की देखरेख में की जाती है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: **i)** राजविअ के प्रधान कार्यालय में दीर्घावधि अग्रिमों के लिए ब्रॉडशीट नहीं रखी गई थी, जिसके अभाव में लेखापरीक्षा वार्षिक खातों में दर्शाई गई दीर्घकालिक अग्रिमों की राशि की सत्यताकी पुष्टि नहीं कर सकी।	i) इसे तैयार किया जाएगा और अगली लेखा परीक्षा को दिखाया जाएगा।

ii) राजविअ के प्रधान कार्यालय के मामले में अन्य ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) शीर्षक के तहत उल्लिखित कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, जो लंबे समय से वसूली के लिए लंबित था।	(ii) राशि की वसूली के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयास किए जाएंगे। तथापि, लेखापरीक्षा के अवलोकन पर ध्यान दिया जाता है, प्रावधान किया जाएगा।
3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: राजविअ (मुख्यालय), नई दिल्ली के फर्नीचर और फिक्स्चर, प्लांट और मशीनरी, वाहन, और कंप्यूटर और सहायक उपकरण जैसी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2023 तक आयोजित किया गया था।	यह तथ्य का कथन है।
4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली 2022-23 तक स्टेशनरी, पुस्तकों और प्रकाशनों और उपभोग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया है।	सत्यापित
5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता खातों के अनुसार, राजविअ के मुख्यालय में 31.03.2023 तक वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक समय तक कोई भुगतान बकाया नहीं था।	यह तथ्य का कथन है।

प्रबंधन पत्र

क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में विद्युत अधिष्ठापनों (अचल परिसंपत्तियों) के संबंध में कोई मूल्यह्रास दर विनिदष्ट नहीं की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उस सीमा तक कमी है। इसमें सुधार की जरूरत है।	क) मुख्यालय के अंतिम खाते के साथ संलग्न गणना पत्रक के अनुसार मूल्यह्रास @15% लगाया गया था। हालांकि वर्तमान वर्ष से महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में दर का उल्लेख किया जाएगा। भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।
ख) वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) के शीर्ष में अन्य कार्यालयों से प्राप्त कर्मचारियों के अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान के लिए प्राप्य 6.36 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिसमें से 4.26 लाख रुपए 1984 से 2009 की अवधि से संबंधित हैं। चूंकि, ये राशियां 14 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और उनकी वसूली की संभावना बहुत कम है, इसलिए खातों के बही-खातों में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था।	ख) यह बताना है कि अवकाश वेतन के दावों की वसूली के लिए संबंधित मूल विभागों को नियमित रूप से पत्राचार किया जा रहा है। तथापि, लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट किया गया है और भविष्य में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान सृजित किया जाएगा।
ग) वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) के शीर्ष में निम्नलिखित पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध असमायोजित अग्रिमों के रूप में 1.19 लाख रुपए की असमायोजित राशि शामिल है जो लंबे समय से वसूली के लिए लंबित है। चूंकि ये राशियां बिना किसी वसूली के बकाया पड़ी हैं, इसलिए ऐसे अग्रिमों के लिए प्रावधान बही-खातों में किया जाना चाहिए था।	ग) यह तथ्य है कि उक्त अग्रिम काफी समय से बकाया हैं और उनके मूल विभाग से कई अवसरों पर इन अग्रिमों के निपटान के लिए अनुरोध किया गया है, हमारे बेहतर प्रयास के बावजूद सभी अग्रिम अभी भी बकाया हैं। लेखा परीक्षा के अवलोकन को नोट किया जाता है और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा।
घ) अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों को छोड़कर मुख्यालय इकाई और समेकित इकाई में अनुदानों/राजसहायता के संबंध में अनुसूची 13 के सभी आंकड़ों में भिन्नता है। हो सकता है कि आंकड़ों को मिलाया/एकत्रित किया गया हो लेकिन इस संबंध में कोई उपयुक्त खुलासा नहीं किया गया है। आंकड़ों की तुलनात्मकता	ड) नोट किया गया है, भविष्य में विवरण दिया जाएगा।

को सक्षम करने के लिए सिर के समान नाम का उपयोग किया जा सकता है।	
ङ) अर्जित ब्याज पर अनुसूची (अनुसूची 17) के संबंध में, एफडीआर खाते पर अर्जित ब्याज और राजविअ मुख्यालय खाते में ग्रेच्युटी पर अर्जित ब्याज का कोई विभाजन नहीं है। दोनों आंकड़ों को समेकित तुलन पत्र में जोड़ दिया गया है, जिससे खातों में उस हद तक कमी आ गई है। इसमें सुधार की जरूरत है।	ई) नोट किया गया है, भविष्य में विवरण दिया जाएगा।
च) अर्जित ब्याज के प्रमुख मुख्यालय/समेकित तुलन पत्रों की अनुसूची 17 में भिन्न-भिन्न होते हैं। आंकड़ों की तुलनात्मकता को सक्षम करने के लिए सिर के समान नाम का उपयोग किया जा सकता है।	च) नोट किया गया है, भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा।
छ) अनुसूची 21 (कार्य) में तकनीकी रिपोर्टों की छपाई, सूचना प्रौद्योगिकी, संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण, ब्रीफकेस, संविदा कर्मचारियों के वेतन/वेतन, स्वच्छ भारत और अमृत महोत्सव के लिए खरीदी गई स्टेशनरी से संबंधित व्यय के लिए 110.82 लाख रुपए की राशि शामिल है। चूंकि, व्यय की उपर्युक्त मदें कार्यों की प्रकृति में नहीं हैं, इसलिए उन्हें कार्यों के बजाय अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (अनुसूची-21) के अंतर्गत रखा जाना चाहिए था। इसमें सुधार की जरूरत है।	छ) राजविअ के केवल दो शीर्ष हैं जिनमें मंत्रालय ने राजविअ को अनुदान जारी किया अर्थात सहायता अनुदान सामान्य और सहायता अनुदान वेतन। वेतन, चिकित्सा व्यय, भत्ते, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ, एलटीसी, अंशदान भविष्य निधि में सरकारी योगदान और सरकारी योगदान और कर्मचारियों के योगदान पर ब्याज आदि से संबंधित व्यय सहायता अनुदान वेतन के तहत शामिल किए जाते हैं। इनके अलावा अन्य सभी व्यय सामान्य अनुदान-सहायता के तहत शामिल किए जाते हैं। भविष्य में इस तरह के खर्चों को सामान्य अनुदान-सहायता के अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत हिसाब दिया जाएगा।
ज) मुख्यालय की प्राप्तियों और भुगतानों (₹ 3,00,78,762.72) के तहत दिखाई देने वाले प्रशासनिक व्यय अनुसूची 21क (₹ 12,28,22, 128.43) के अनुसार आंकड़ों के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। प्राप्तियों और	यह आंकड़ा ₹ 30078762.72 अनुसूची 21-क के निम्नलिखित शीर्ष का कुल योग है, 1. यात्रा व्यय 3998183.00 2. कार्यालय व्यय 5696556.72

भुगतान खाते में लिंक नहर के व्यय की एक अन्य मद 9,27,43,365 रुपये दिखाई गई है, जो कुल 1,28,22,128.43 रुपये बनती है। तथापि, इस बात का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है कि यह अनुसूची 21क में दिखाई दे रहा है। इसे ठीक से रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है।	3. किराया, दरें, कर 17436816.00 4. मरम्मत और रखरखाव 2947207.00 **30078762.72** जब हमने इसके साथ निम्नलिखित व्यय जोड़े- कुल राशि कार्य के अधीन या लिंक नहर परियोजना 92743365.71 **₹122822128.43** अनुसूची-21 में कार्य के अंतर्गत कुल राशि रसीद और भुगतान खाते में दी गई लिंक नहर परियोजना के समान है। नाम रसीद और भुगतान खाते के भुगतान पक्ष के खाता क्रम संख्या II के एक समान प्रारूप के अनुसार दिया गया है। लेखा परीक्षा के अवलोकन को नोट किया गया है और भविष्य में आवश्यक संदर्भ दिया जाएगा।
झ) अनुसूची 20 क और 21 ख के अलावा प्राप्तियों और भुगतान खाते के संबंध में अनुसूचियों का कोई संदर्भ नहीं है। इसके कारण, रसीद और भुगतान खातों में आंकड़ों का प्रमाणीकरण अनुसूचियों के संदर्भ के बिना दर्शाए जा रहे आंकड़ों की सीमा तक लेखा परीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता है।	लेखा परीक्षा का अवलोकन नोट किया गया है।
ञ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (अनुसूची 24) के बिंदु संख्या 12 में विदेशी मुद्रा लेनदेन को पढ़ा गया है, लेकिन इसके लेखांकन उपचार के संबंध में कोई वर्णन / विवरण नहीं है। इसलिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर महत्वपूर्ण लेखा नीति में उस हद तक कमी है।	लेखा परीक्षा का अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
ट) राजविअ की महत्वपूर्ण लेखा नीति (अनुसूची 24) में आय और व्यय के साथ-साथ निश्चित संपत्ति, निवेश आदि की विभिन्न मदों के लेखांकन के आधार को	लेखा परीक्षा का अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

समझाने के लिए कई महत्वपूर्ण लेखा नीतियां शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, वित्तीय विवरणों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटकों में कोई महत्वपूर्ण लेखा नीति नहीं पाई गई (i) लेखा सम्मेलन, (ii) निवेश, (i) जीएसटी, (iv) अचल संपत्तियां, (v) विविध व्यय, (vi) सरकारी अनुदान और सब्सिडी और (vii) सेवानिवृत्ति लाभ। उपर्युक्त मदों के संबंध में लेखा नीति तैयार न किए जाने से महत्वपूर्ण लेखा नीति और वित्तीय विवरणों में कमी आई है और वे इस सीमा तक अनिर्णायक हो गए हैं। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।	
ठ) लेखा के समान प्रारूप की परिसंपत्तियों के लिए नोट - सामान्य बिंदु संख्या 3 के अनुसार, अधिग्रहित या निर्मित परिसंपत्तियों के लेखांकन से संबंधित लेखा नीति का खुलासा मूल्यह्रास / परिशोधन के लिए अपनाई गई विधि के साथ किया जाना चाहिए। तथापि, महत्वपूर्ण लेखा नीति में अचल आस्तियों से संबंधित कोई लेखा नीति नहीं दी गई है जिससे महत्वपूर्ण लेखा नीति में उस सीमा तक कमी हो गई है। इसके अलावा, अनुसूची में यह खुलासा नहीं किया गया है कि संपत्ति अनुदान या स्वयं के धन से अर्जित की गई है या नहीं।	राजविअ ने हमेशा मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सहायता अनुदान से अपनी परिसंपति खरीदी है, कोई भी परिसंपति रियायती दरों पर अधिग्रहित नहीं की जाती है। तथापि, लेखापरीक्षा के अवलोकन को नोट किया गया है और इसे महत्वपूर्ण लेखा नीति में शामिल किया जाएगा।
ड) तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा (मुख्यालय और समेकित) में तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा की मदों से संबंधित व्याख्यात्मक सामग्री शामिल नहीं है। यह गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य समान संस्थानों के वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए नोट्स और निर्देशों में निहित निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अनुदेशों और	लेखा परीक्षा का अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

लेखा सिद्धांतों के अनुसार खातों के एक समान प्रारूप के बिंदु संख्या 11 के अनुसार, तुलन पत्र और आय और व्यय खातों के नोट्स में तुलन पत्र और आय और व्यय खाते में मदों से संबंधित व्याख्यात्मक सामग्री शामिल होगी।	

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
(जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(अनुसूची क्रमांक 24)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण योजना व्यय के अंतर्गत आती है।
2. अर्धवार्षिक आधार पर वर्ष के दौरान खरीदी गई/जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। (30 सितंबर, 2023 तक अर्जित परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण वर्ष का मूल्यह्रास और 30 सितंबर, 2023 के बाद अधिग्रहित परिसंपत्तियों के लिए छमाही मूल्यह्रास)।
3. परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित मूल्य विधि के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है।

क) भवन	10%
ख) फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग	10%
ग) कार्यालय उपकरण	15%
घ) उपकरण और संयंत्र	15%
ड) वाहन	15%
च) तकनीकी पुस्तकें	15%
छ) कंप्यूटर/बाह्य उपकरण	40%

ज) सॉफ्टवेयर आनुपातिक जीवन आधार ---

4. मार्च 2023 से संबंधित वेतन और किराया और अन्य खर्चे खातों में प्रदान किए गए हैं और वर्तमान देयताएं (अनुसूची -7) के अंतर्गत बकाया व्यय के रूप में दिखाए गए हैं।
5. अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के संबंध में जीएफआर 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
6. राजविअ पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है।
7. एमएसीपी योजना को अपनाने पर वित्तीय निहितार्थ राजविअ के मौजूदा बजट के भीतर पूरा किया जाएगा।

8. आईडब्ल्यूडब्ल्यू के अलग खातों को तैयार किया गया है और राजविअ खातों के साथ संलग्न किया गया है।

9. राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

10. वार्षिक लेखा सीजीए द्वारा प्रदान किए गए प्रोफार्मा की मूल बातों पर तैयार किए जाते हैं।

11. इन्वेंट्री मूल्यांकन - लागू नहीं।

12. विदेशी मुद्रा लेनदेन।

13. जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान निधि में योगदान रोक दिया गया है और वास्तविकता के आधार पर प्रदान किए गए वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक मूल्यांकन 32,14,79,688 रुपये है।

14.122694 रु की बिना दावे की सदस्यता राशि सीपीएफ़ खाते के अनुसूची 7 में दर्शाई गई है।

15.पूर्व अवधि खर्चो को अनुसूची 21 में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

खातों पर आकस्मिक देनदारियां और नोट्स
(अनुसूची क्रमांक 25)

2022-23

1. आकस्मिक देयता	ऐसी कोई देयता नहीं
2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	लागू नहीं
3. पट्टा दायित्व	शून्य
4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम	अनुसूची -11
5. आय कर -अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान	लागू नहीं है
6. विदेशी मुद्रा का लेनदेन	शून्य

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित समेकित वार्षिक लेखा विवरण

साकेत

नई दिल्ली

संशोधित राजविअ समेकित लेखा विवरण (मुख्यालय और प्रभाग)		
विषय सूची		
क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
1	समेकित तुलन पत्र	126
2	समेकित आय एवं व्यय लेखा	127
3	सर्किलवार तुलन पत्र	129
4	सर्किलवार आय एवं व्यय खाता (आय)	130
5	सर्किलवार आय एवं व्यय लेखा (व्यय)	131
6	अनुसूची-1- कॉर्पस/पूंजीगत निधि	136
7	अनुसूची 2 भंडार और अधिशेष	137
8	अनुसूची-3- उद्दिष्ट / विन्यास (सेनानिवृत एवं ग्रेच्युटी निधि)	138
9	अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण और उधार	139
10	अनुसूची 5: असुरक्षित ऋण और उधार	140
11	अनुसूची 6 स्थगित क्रेडिट देनदारियां	141
12	अनुसूची -7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान	142
13	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण	144
14	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-2-लागत/मूल्यांकन)	145
15	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-3-वर्ष के दौरान जमा)	146
16	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ -4वर्ष के दौरान -कटौती)	147
17	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-5 वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन)	148
18	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ -6 वर्ष की शुरुआत में)	149
19	अनुसूची-8- नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तम्भ-7-वर्ष के दौरान जमा पर)	150

20	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ -8-वर्ष के दौरान कटौती)	151
21	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-9-वर्ष में)	152
22	अनुसूची-8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ-10 चालू वर्ष के अंत में)	153
23	अनुसूची -8- नियत संपत्ति विवरण (स्तम्भ -11-पिछले वर्ष के अंत में)	154
24	अनुसूची-9- उद्दिष्ट / विन्यास (सेनानिवृत एवं ग्रेच्युटी निधि) से निवेश	155
25	अनुसूची 10 निवेश और अन्य	155
26	अनुसूची -11- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	156
27	अनुसूची-12- बिक्री/सेवाओं से आय	157
28	अनुसूची-13-अनुदान/सब्सिडी (गैर वसूली योग्य अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)	158
29	अनुसूची 14 शुल्क /सदस्यता	159
30	अनुसूची 15 निवेश से आय	160
31	अनुसूची 16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	161
32	अनुसूची -17- अर्जित ब्याज	162
33	अनुसूची-18- अन्य आय	163
34	अनुसूची 19 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी), 7 कार्य प्रगति पर	164
35	अनुसूची 20 - स्थापना व्यय	165
36	अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय	166
37	अनुसूची 22 अनुदान, सब्सिडी पर व्यय	169
38	अनुसूची 23 ऋण	170
39	अनुसूची 24 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (उदाहरण)	170
40	अनुसूची 25 आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणी (उदाहरण)	171
41	समेकित प्राप्तियां और भुगतान खाता	172
42	सर्किलवार प्राप्तियां और भुगतान खाता (प्राप्तियां)	173

43	सर्किलवार प्राप्तियां और भुगतान खाता (भुगतान)	174
44	अनुसूची 20 क- स्थापना व्यय	174
45	अनुसूची 21क - अन्य प्रशासनिक व्यय	174
46	31 मार्च, 2023 तक अंशदायी भविष्य निधि तुलन पत्र	175
47	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंशदायी भविष्य निधि आय और व्यय खाता	175
48	अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएँ	176
49	अनुसूची 7: वर्तमान देयताएं और प्रावधान	177
50	अनुसूची 10 - निवेश अन्य	178
51	अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	179
52	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंशदायी भविष्य निधि प्राप्तियां और भुगतान	180
53	सीपीएफ अभिदान का माहवार विवरण दर्शाने वाला विवरण	181
54	सीपीएफ अंतिम भुगतान का विवरण	183
55	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वचन पत्र/सरकारी प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणिका	184
56	आईडब्ल्यूडब्ल्यू 2022-2023 तुलन पत्र 31 मार्च, 2023 तक	184
57	भारत जल सप्ताह 2022-2023 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा	184
58	अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि	185
59	अनुसूची 7: वर्तमान देयताएं और प्रावधान	189
60	अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	190
61	अनुसूची 13 - अनुदान / सहायिकी (अप्राप्य अनुदान और सब्सिडी प्राप्त)	191
62	अनुसूची 14- शुल्क /सदस्यता	192
63	अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	193
64	अनुसूची 18 - अन्य आय	194
65	अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय	195
66	आईडब्ल्यूडब्ल्यू प्राप्तियां और भुगतान 2022-23	196
67	अनुसूची 21ए - अन्य प्रशासनिक व्यय	197

68	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक राजविअ आईडब्ल्यूडब्ल्यू ट्रायल बैलेंस	199
69	1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023 अनुबंध 1-राजविअ आईडब्ल्यूडब्ल्यू ऋण और अग्रिम	203
70	31 मार्च 2023 तक जल मंथन शेष	203
71	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार जल मंथन आय एवं व्यय लेखा	203
72	अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि	205
73	अनुसूची 7: वर्तमान देयताएं और प्रावधान	209
74	अनुसूची 11 - वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि।	210
75	अनुसूची 13 - अनुदान / सहायिका (अप्राप्य अनुदान और प्राप्त सहायिका)	211
76	अनुसूची 14 - शुल्क / सब्स्क्रिप्शन	212
77	अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	213
78	अनुसूची 18 - अन्य आय	214
79	अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय	215
80	31.03.2023 तक जल मंथन रसीदें और भुगतान खाता	215
81	अनुसूची 21क - अन्य प्रशासनिक व्यय	216
82	1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक राजविअ जल मंथन ट्रायल बैलेंस	217
83	पीएमकेएसवाई योजना के तहत एलटीआईएफ - वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता	218
84	केबीएलपीए - वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता	220

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च, 2023 को समेकित तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र/पूंजीगत निधि	1	241688989.00	212542776.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0.00	0.00
विशेष प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	0.00	0.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00	0.00
आस्थगित जमा देयताएं	6	0.00	0.00
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	423130049.00	620679633.00
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियां प्राप्त करना	7	0.00	0.00
कुल		**664819038.00**	**833222409.00**
परिसंपत्तियां			
निर्धारित /अक्षय निधि	3	0.00	440733240.00
नियत परिसंपत्तियां	8	44241153.00	44305076.00
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों	9	60092612.00	8567409.00
निवेश–अन्य	10	0.00	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	560456512.00	339616684.00
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			
अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का स्थानांतरण	11		
कुल		28761.00	0.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 के लिए समेकित प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

					(राशि रूपये में)
प्राप्तियां	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**व्यय**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. **आदि शेष**			क. स्थापना व्यय		
क. रोकड़ शेष	1.00	1.00	(अनुसूची 20क के तद्नुरूप)	553675983.00	412722545.00
ख. बैंक शेष			ख. प्रशासनिक व्यय		
1 चालू खातो में	205051.00	75049.00	(अनुसूची 21क के तद्नुरूप)	80387066.72	69090126.00
2 बचत खातो में	5052275.00	21332315.00			
i. राजविअ सामान्य अनुदान सहायिकी	31740063.00	4411279.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान**		
ii. राजविअ मुख्य खाता एस बी आई	19055191.00	85519734.00	लिंक नहर परियोजना	176002777.71	163432720.00
iii. राजविअ परामर्श शुल्क एस बी आई	180420229.00	118819585.00			
ग. डाक टिकट शेष	16427.00	15771.00			
घ. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	39866838.00	39782889.00	**III. जमा तथा निवेश**		
ड. पारगमन में नकदी	1448207.00	5731505.00	क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	0.00	0.00
2. प्राप्त अनुदान			ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य)	60000000.00	8567409.00
क. भारत सरकार से	785792733.18	598700000.00	सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.		
ख. राज्य सरकार से	0.00	0.00	**IV. नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**		
			क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय	9447137.00	10309947.00
3. निवेश पर आय	0.00	0.00	ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	0.00	0.00
क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि	0.00	0.00		0.00	
ख. अपनी निधि (निवेश पर)	0.00	0.00	**V. ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी**		
ग. एफडीआर परिपक्वता	785792733.18	598700000.00		0.00	
4. प्राप्त ब्याज			**VI. वित्तीय अधिभार (ब्याज)**	0.00	
क. बैंक जमाओं पर	143657.00	1154564.00			
ख. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	393592.08	908553.00	**VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)**		
ग. ऋण तथा अग्रिम आदि	27349.00	299712.00	सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	70527795.00	426003.00
घ. अग्रिम पर ब्याज	0.00	0.00	सुरक्षा जमा/ई.एम.डी.	4596257.00	997034.00
ड. मार्गस्थ सीपीएफ प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	कर्मचारियों को अग्रिम	1019825.00	0.00
च. एफडीआर पर ब्याज	0.00	4240471.00	परामर्श निधि को राजविअ सीपीएफ में स्थानांतरण	35000000.00	0.00
छ. परामर्श पर ब्याज	3816686.00	4406542.00	पुराने चेक	7499274.00	17623161.00
ज. स्वीप खाते पर ब्याज	0.00	14883850.00	अन्य को अग्रिम/अतिरिक्त. अग्रिमों की वापसी	3267129.00	7582734.00
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			परामर्शी सेवाओं के लिए अग्रिम	7147350.00	22152827.00
			प्रेषणा/धरोहर जमा	1539027.00	180746.00
			टी डी एस	8289210.00	0.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	196096.00	141199.00	सी.पी.एफ.	114880.00	0.00
विविध प्राप्तियां	24804.00	74687.00	जी एस एल आई एस	227975.00	23996.00

नोटिस अवधि की राशि की वसूली	0.00	41202.00	एनपीएस	264951.00	192646.00
अनुपयोगी संपत्तियों की बिक्री	0.00	113331.00	निष्पादन गारंटी	0.00	10000.00
शुल्क/सदस्यता	25000.00			915599.00	20000.00
रसीद	2387108.00		एस.बी. खाते से सी.एफ.आई. में ब्याज स्थानांतरण	2610566.00	152344084.00
परामर्श आय जीएसटी	13433791.87	99990602.00		1652353.00	18203.00
परामर्श आय	196096.00	141199.00		0.00	29500.00
6. उधार ली गई राशि			ग्रांट रिर्टन लैप्स (वेतन खाता)	70527795.00	426003.00
7. कोई अन्य पावती (विवरण दें)			ग्रांट रिर्टन लैप्स (सामान्य खाता)	4596257.00	997034.00
			वाहन स्थांतरण की बिक्री आगे बढ़ी	1019825.00	0.00
वसूली योग्य दावे	29407.00	0.00	**VIII. अंतिम शेष**		
कर्मचारियों से	5716419.00	1159003.00	सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0.00	39866838.00
अन्यों से	0.00	200000.00	एफडीआर	0.00	0.00
प्रेषणा			क. रोकड़ शेष	1.00	1.00
			ख. बैंक शेष		
	87785.00	0.00	i. बचत खाते/चालू खाते (वेतन खाता)	36228896.24	35422154.00
एन पी एस			ii. बचत खाते/चालू खाते (सामान्य खाता)	4223256.28	20630425.00
	303565.00	0.00	ii) मार्गस्थ नकद	54680.00	1448206.00
प्राप्त छुट्टी वेतन			(iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई	37458167.00	180420229.00
	0.00	0.00	एक्सस सीएनए (सामान्य)	2724257.18	
अग्रिम राशि जमा			ग. डाक शेष	17303.00	16427.00
	3809556.00	365114.00	घ. मार्गस्थ ड्राफ्ट	1393526.00	0.00
निष्पादन गारंटी जमा की धरोहर राशि	173843.00	53833.00			
एफडीआर परिपक्वता	8567409.00	140962568.00			
कबाड़/निविदा प्रपत्र की बिक्री	3535.00	1602.00			
नोटिस अवधि वेतन	36949.00	0.00			
अनुपयोगी टी एण्ड पी प्राप्त	7130.00	0.00			
भारत की संचित निधि	3455690.00	0.00			
त्यौहार अग्रिम	0.00	143000.00			
कुल	**1106236387.13**	**1143527961.00**	कुल	**1106285242.13**	**1143527961.00**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलनपत्र

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि	1	195182771	-49123.00	42166864.00	1697976.00	-1403895.00	4094396.00	241688989.00	212542776.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आस्थगित ऋण देयताएं	6	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	366337535	11376218.00	8942788.00	8813600.00	16924639.00	10735269.00	423130049.00	620679633.00
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों की प्राप्ति	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**561520306**	**11327095.00**	**51109652.00**	**10511576.00**	**15520744.00**	**14829665.00**	**664819038.00**	**833222409.00**
परिसंपत्तियां									
उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440733240.00
नियत परिसंपत्तियां	8	21324234	3655235.00	3430791.00	4857346.00	5593667.00	5379880.00	44241153.00	44305076.00
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9	60092612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60092612.00	8567409.00
निवेश–अन्य	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	480103460	7643099.00	47678861.00	5654230.00	9927077.00	9449785.00	560456512.00	339616684.00
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का अंतरण	11	0	28761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28761.00	0.00
कुल		**561520306**	**11327095.00**	**51109652.00**	**10511576.00**	**15520744.00**	**14829665.00**	**664819038.00**	**833222409.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24								
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणी	25								

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 के लिए सर्किलवार आय और व्यय खाता (आय)

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
विक्रय/सेवा से आय	12	13433792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13433791.87	142721395.00
अनुदान/सहायिकी	13	234165181	88653754.00	128843381.00	95639870.88	153149943.00	75102519.00	775554649.06	503825060.00
शुल्क/सब्सक्रिप्शन	14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधियों	15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
में निवेश से आय जो निधियों में अंतरित की								0.00	0.00
गई हो)								0.00	0.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्जित ब्याज	17	8824440	51427.00	0.00	0.00	0.00	1411.00	8877278.12	4564573.00
अन्य आय	18	6386399	828.00	145437.00	1154.00	19204.00	2972.00	6555994.43	19681031.00
तैयार माल के स्टॉक तथा निर्माणाधीन	19	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
माल और कार्यों में वृद्धि (कमी)									
कुल (क)		**262809813**	**88706009.00**	**128988818.00**	**95641024.88**	**153169147.00**	**75106902.00**	**804421713.48**	**670792059.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा (व्यय)

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय	20	188391134	75851340.00	66081321.00	51986259.00	116097433.00	54839129.00	553246616.00	413707907.00
पूर्व अवधि व्यय (स्थापन व्ययं)	20	401922	0.00	0.00	209137.00	823910.00	0.00	1434969.00	3065368.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	33973761	8263749.00	5231023.00	6927985.04	22962532.00	7514745.00	84873794.76	68211387.00
पूर्व अवधि व्यय (अन्य प्रशासनिक व्यय)	21	3055273	0.00	11101.00	0.00	34038.00	0.00	3100412.00	950446.00
निर्माण कार्य	21	80019347	7550143.00	14439870.00	49984759.00	13703554.00	15377404.00	181075077.00	171650059.00
पूर्व अवधि व्यय (निर्माण कार्य)	21	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2978989.00
अनुदान,सहायिकी आदि पर व्यय	22	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज	23	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्यह्रास	8	4531046	681587.00	768083.00	1149413.00	1165689.00	1049966.00	9345784.00	7991868.00
कुल (ख)		**310372483**	**92346819.00**	**86531398.00**	**110257553.00**	**154787156.00**	**78781244.00**	**833076653.00**	**668556024.00**
व्यय पर आय की अधिकता									
व्यय (क–ख)		**-47562670**	**-3640810.00**	**42457420.00**	**-14616528.00**	**-1618009.00**	**-3674342.00**	**-28654939.52**	**2236035.00**
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का विवरण दें)									0.00
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिकता के कारण शेष (कमी)									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि को ले जाया गया		**-47562670**	**-3640810.00**	**42457420.00**	**-14616528.00**	**-1618009.00**	**-3674342.00**	**-28654939.52**	**2236035.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां									
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणी									

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 के लिए समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (प्राप्ति)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1 आदि शेष								
क. रोकड़ शेष	1						1.00	1.00
ख. बैंक शेष								
i. चालू खातों में		205051.00					205051.00	75049.00
ii. बचत खातों में		5052275.00					5052275.00	21332315.00
(i) राजविअ सामान्य अनुदान सहायिकी	16525059		1074758.00	5201206.00	8271268.00	667772.00	31740063.00	4411279.00
(ii) राजविअ मुख्य खाता एसबीआई (वेतन)	9473524		4563805.00			5017862.00	19055191.00	85519734.00
(iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई	180420229						180420229.00	118819585.00
ग. डाक टिकट शेष	1355	1949.00	998.00	3511.00	4456.00	4158.00	16427.00	15771.00
घ. सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	39866838						39866838.00	39782889.00
च. मार्गस्थ नकदी		1393526.00			1.00	54680.00	1448207.00	5731505.00
2 प्राप्त अनुदान								
क. भारत सरकार से	235173314	94165068.00	128876633.00	94166996.00	153461722.00	79949000.00	785792733.18	598700000.00
ख. राज्य सरकार से							0.00	0.00
3 निवेश से आय								
क. उद्दिष्ट/विन्यास निधि							0.00	0.00
ख. निजी निधि (अन्य निवेश)							0.00	0.00
ग. एफडीआर परिपक्वता							0.00	0.00
4 प्राप्त ब्याज								
क. बैंक जमाओं पर		53126.00	17936.00	13538.00	22221.00	36836.00	143657.00	1154564.00
ख. सेवा निवृत्ति तथा अनुदान निधि	391612		1980.00				393592.08	908553.00
ग. ऋण तथा अग्रिमों आदि		19530.00			6408.00	1411.00	27349.00	299712.00
घ. अग्रिमों पर ब्याज							0.00	0.00
च.सेपीएफ प्रतिपूर्ति मार्गस्थ							0.00	0.00
छ.एफडीआर पर ब्याज							0.00	4240471.00
ज.परामर्श पर ब्याज	3816686						3816686.00	4406542.00
झ. स्वीप खाते पर ब्याज							0.00	14883850.00
5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)								
परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्ति			164346.00			31750.00	196096.00	141199.00
विविध प्राप्तियां	16644	828.00	60.00	1154.00	4593.00	1525.00	24804.00	74687.00
नोटिस अवधि के वेतन की वसूली							0.00	41202.00
अप्रयोज्य परिसंपत्तियों की बिक्री							0.00	113331.00
शुल्क/सदस्यता	25000						25000.00	0.00

परामर्श वेतन पर जीएसटी	2387108						2387108.00	0.00
परामर्श पर आय	13433792						13433791.87	99990602.00
6 उधार लिया गया धन								
कोई अन्य पावती (विवरण दें)								
प्राप्य दावे	28807				600.00		29407.00	0.00
कर्ज तथा अग्रिमों की /वसूली								
कर्मचारियों से	4129919	274100.00		370900.00	732500.00	209000.00	5716419.00	1159003.00
अन्य से							0.00	200000.00
प्रेषणा	87785						87785.00	0.00
एन.पी.एस.							0.00	0.00
छुट्टी वेतन की प्राप्ति					303565.00		303565.00	0.00
धरोहर राशि/सुरक्षित जमा	3191608		317667.00		7178.00	293103.00	3809556.00	365114.00
निष्पादन गारंटी जमा	10500	163343.00					173843.00	53833.00
एफडीआर परिपक्वता	8567409						8567409.00	140962568.00
स्क्रैप/निविदा पेपर की बिक्री			2275.00			1260.00	3535.00	1602.00
नोटिस अवधि वेतन					36949.00		36949.00	0.00
अनुपयोगी टी.एन.पी.(प्राप्त)					7130.00		7130.00	0.00
भारत की संचित निधि (एसबीआई ऋण)	3455690						3455690.00	0.00
टी.डी.एस.							0.00	0.00
त्यौहार अग्रिम							0.00	143000.00
कुल	**521002880**	**101328796.00**	**135020458.00**	**99757305.00**	**162858591.00**	**86268357.00**	**1106236387.13**	**1143527961.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्राल जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान खाते (भुगतान)

विवरण	मख्यालय	ग्वालियर	भवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कल	पिछला वर्ष
I व्यय								
क. स्थापना व्यय	185705314.00	75706961.00	66678976.00	53430177.00	117751816.00	54402739.00	553675983.00	412722545.00
(अनुसूची 20ए के तदनुरूप)								
ख. प्रशासनिक व्यय	30078762.72	8332010.00	4916230.00	6656604.00	23048348.00	7355111.00	80387065.72	69090126.00
(अनुसूची 21ए के तदनुरूप)								
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किया गया भगतान								
लिंक नहर परियोजना (परामर्श)	92743365.71	6413296.00	14381933.00	35174747.00	13414005.00	13875431.00	176002777.71	163432720.00
III. किए गए जमा तथा निवेश								
क. उददिष्ट/अक्षय निधि से			0.00			0.00	0.00	0.00
ख. निजी निधि से (निवेश–अन्य)	60000000.00		0.00			0.00	60000000.00	8567409.00
सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.								
IV. पूंजीगत कार्यों की प्रगति तथा नियत + क 43								
क. नियत परिसंपत्तियों की खरीद	5679492.00	0.00	735360.00	587247.00	964738.00	1480300.00	9447137.00	10309947.00
ख. बडे कार्यों की प्रगति पर व्यय							0.00	0.00
V. दीर्घावधि अग्रिम तथा ब्याज की वापसी						0.00	0.00	0.00
VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)						0.00	0.00	0.00
VII. अन्य भगतान (स्पष्ट करें)						0.00	0.00	0.00
अन्य अग्रिम	27095955.00		43131840.00	300000.00			70527795.00	426003.00
कर्मचारियों को अग्रिम	4057214.00	56263.00	178900.00	275100.00	28780.00		4596257.00	997034.00
भारत की संचित निधि खाता	1019825.00					0.00	1019825.00	0.00
परामर्श निधि का राजविअ सीपीएफ में स्थनांतरण	35000000.00					0.00	35000000.00	0.00
सी.पी.एफ.	7499274.00					0.00	7499274.00	17623161.00
ग्रांट रिर्टन लेप्स(वेतन खाता)			47537.00	134104.00	1.00	3085487.00	3267129.00	7582734.00
ग्रांट रिर्टन लेप्स (सामान्य खाता)	5550404.00		919934.00		155212.00	521800.00	7147350.00	22152827.00
जी.एस.एल.आई.एस	1539027.00					0.00	1539027.00	180746.00
जीएसटी भुगतान	8289210.00					0.00	8289210.00	0.00
जीएसटी टी.डी.एस	114880.00					0.00	114880.00	0.00
सी.एफ.आई को एस.बी.खाते के हस्तातंरण पर			87188.00	19565.00	84030.00	37192.00	227975.00	23996.00
एनपीएस	264951.00					0.00	264951.00	192646.00
निष्पादन गारंटी						0.00	0.00	10000.00
धरोहर जमा/ई एम डी	691608.00		38000.00	175991.00		10000.00	915599.00	20000.00
सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152344084.00
टी.डी.एस.						0.00	0.00	18203.00
बिक्री से प्राप्त एम्बेस्डर कार का हस्तातंरण						0.00	0.00	29500.00
रोकी गई/व्यपगत राशि		2610566.00					2610566.00	0.00
मुख्यालय द्वारा काटी गई राशि		1652353.00					1652353.00	0.00
VIII. इति शेष								
सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि –बचत खाता						0.00	0.00	39866838.00

एफ.डी.आर.						0.00	0.00	0.00
क. रोकड शेष	1.00					0.00	1.00	1.00
ख. बैंक शेष								
i. बचत खाते / चाल खाते में (वेतन खाता)	11824759.24	5135744.00	3801446.00	3000953.00	7376257.00	5089737.00	36228896.24	35422154.00
i. बचत खाते / चाल खाते में (सामान्य खाता)	3713734.28	23383.00	100265.00	0.00	31439.00	354435.00	4223256.28	20630425.00
ii) नकद / मार्गस्थ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54680.00	54680.00	1448206.00
(iii) राजविअ परामर्श शल्क एसबीआई	37458167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37458167.00	180420229.00
एक्सस सीएनए (सामान्य)	2724257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2724257.18	
ग) डाक शेष	1534.00	4694.00	2848.00	2817.00	3965.00	1445.00	17303.00	16427.00
घ) मसौदा शेष	0.00	1393526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1393526.00	0.00
कुल	**521051735.13**	**101328796.00**	**135020457.00**	**99757305.00**	**162858591.00**	**86268357.00**	**1106285241.13**	**1143527961.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये मे

अनुसूची–1–कॉर्पस/पूंजीगत निधि		मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कूल	पिछला वर्ष
वर्ष के शुरू में शेष		188680557	3623065.00	-1025917.00	15727257.00	-750624.00	6288438.00	212542776.00	192605314.00
जोड़ना	वर्ष के दौरान क्रय की गई परिसंपत्ति	5630637	0.00	735361.00	587247.00	964738.00	1480300.00	9398283.00	17686606.00
जोड़ना	अन्य प्रभाग से संपत्ति की प्राप्ति							0.00	23697759.00
जोड़ना	देयता सेनानिवृत्ति लाभ समायोजित	48434247							
घटाना	अन्य प्रभाग से संपत्ति का हस्तातंरण		-31378.00					-31378.00	-23682938.00
घटाना	सीपीएफ अग्रिम							0.00	0.00
	उप कूल (क)	**242745441**	**3591687.00**	**-290556.00**	**16314504.00**	**214114.00**	**7768738.00**	**221909681.00**	**210306741.00**
	जल संसाधन मंत्रालय को अंतरित परिसंपत्ति	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ना/घटाना	शुद्ध आय का कटौती शेष (व्यय) आय और व्यय खाते से स्थानांतरित	-47562670	-3640810.00	42457420.00	-14616528.00	-1618009.00	-3674342.00	-28654939.00	2236035.00
	आय और व्यय खाते से अंतरित								
	उप–कुल (ख)	**-47562670**	**-3640810.00**	**42457420.00**	**-14616528.00**	**-1618009.00**	**-3674342.00**	**-28654939.00**	**2236035.00**
वर्ष के अंत में शेष			**195182771**	**-49123.00**	**42166864.00**	**1697976.00**	**-1403895.00**	**4094396.00**	**241688989.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये मे

अनुसूची 2 - भंडार और अधिशेष:	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
1. पूंजी भंडार:	_	_	_	_					
अंतिम खाते के अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाना: वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. पुनर्मूल्यांकन भंडार:									
अंतिम खाते के अनुसार	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाना: वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. विशेष भंडार:									
अंतिम खाते के अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाना: वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. सामान्य भंडार:									
अंतिम खाते के अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाना: वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची–3 : उद्दिष्ट/ विन्यास निधियां (सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि)	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.निधियों का रोकड़ शेष	440733240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440733240.00	180745457.00
(सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि)								
बैंक बचत खाते								0.00
नियत जमाएं (एफ.डी.आर.)								0.00
कुल (क)	440733240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440733240.00	180745457.00
ख.निधियों में जमा								
बैंक ब्याज : प्राप्त								908553.00
पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त								14883850.00
वर्ष के दौरान प्राप्त								4240471.00
कुल (ख)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20032874.00
ग.घटा उपयोग/व्यय								
घ.वर्ष के दौरान किए गए कम भुगतान							0.00	152344084.00
च.प्राप्य अनुदान को अन्य चालू परिसंपत्तियों में स्थानांतरण को कम करना	440733240.00						440733240.00	489167487.00
घटा बैंक अधिभार							0.00	0.00
कुल (क+ख –ग)	440733240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440733240.00	641511571.00

***भारत सरकार से प्राप्त**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले सर्किलवार अनुसूची

(राशि- ₹)

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधार:	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान									
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अर्जित ऋण और देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक:									
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- अर्जित ऋण और देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- अर्जित ऋण और देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. डिबेंचर और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि									

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले सर्किलवार अनुसूची

(राशि- ₹)

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधार:	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वितीय संस्थान								0.00	0.00
4. बैंक:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)								0.00	0.00
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. डिबेंचर और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि									

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले सर्किलवार अनुसूची

(राशि- ₹)

अनुसूची 6 - स्थगित ऋण देनदारियां:	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
क) पूंजीगत उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों के संरक्षण द्वारा प्राप्त स्वीकृति;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि									

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान
राशि रूपये मे

तजतजविवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.वर्तमान देयताएं								
अन्य. वर्तमान देयताएं								
बकाया व्यय :								
वेतन तथा भत्ते	11004623.00	4022300.00	3818317.00	2748763.00	7509551.00	4060604.00	33164158.00	33491959.00
किराया, दर तथा कर		109320.00	381935.00	531224.00	457715.00	319933.00	1800127.00	1160884.00
प्रेषणा	108214.00		12167.00		100.00	0.00	120481.00	32596.00
एन.पी.एस. नियोक्ता अंशदान खाता	22805.00					0.00	22805.00	0.00
जी.एस.एल.आई.एस.	81943.00					0.00	81943.00	1620970.00
एन.पी.एस.	318798.00					0.00	318798.00	287756.00
अन्य (एल.एस.पी.सी. प्राप्त)	60809.00					0.00	60809.00	60809.00
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	2655867.00	206304.00	364550.00	568388.00	157006.00	309103.00	4261218.00	1178566.00
बकाया लेखापरीक्षा शुल्क						0.00	0.00	0.00
निष्पादन गारंटी		163343.00			8519.00	0.00	171862.00	186714.00
ई.ई. का अग्रिम				6873.00		0.00	6873.00	6873.00
टीटीए अग्रिम वापसी योग्य		40581.00				0.00	40581.00	40334.00
टी.डी.एस.	14579.00					0.00	14579.00	0.00
भारत की संचित निधि का खाता	3455690.00					0.00	3455690.00	1019825.00
देय व्यय के लिए अनंतिम	135110.00					0.00	135110.00	0.00
अन्य बकाया खर्च	12149754.00	260736.00	464108.00	1957399.00	1384052.00	601457.00	16817506.00	19031805.00
अव्ययित/अप्रत्युक्त सहायता अनुदान	14807061.00	5159126.00	3881795.00	2987415.00	7403721.00	5407336.00	39646454.00	54829433.00
सीएफआई को देय ब्याज		20982.00	19916.00	13538.00	3975.00	36836.00	95247.00	203321.00
वृत्ति कर			0.00			0.00	0.00	800.00
परागमन नकद देयता		1393526.00					1393526.00	

उप कुल (क)	**44815253.00**	**11376218.00**	**8942788.00**	**8813600.00**	**16924639.00**	**10735269.00**	**100214241.00**	**113152645.00**
ख प्रावधान	11004623.00	4022300.00	3818317.00	2748763.00	7509551.00	4060604.00	33164158.00	33491959.00
एसजीएसटी		109320.00	381935.00	531224.00	457715.00	319933.00	1800127.00	1160884.00
सीजीएसटी	108214.00		12167.00		100.00	0.00	120481.00	32596.00
देय लेखापरीक्षा शुल्क	22805.00					0.00	22805.00	0.00
उपदान एवं अवकाश नकदीकरण देय	81943.00					0.00	81943.00	1620970.00
जीएसटी देय	318798.00					0.00	318798.00	287756.00
	60809.00					0.00	60809.00	60809.00
उप कुल (ख)	2655867.00	206304.00	364550.00	568388.00	157006.00	309103.00	4261218.00	1178566.00
कुल (क+ख)						0.00	0.00	0.00
अन्य सर्किलों से प्राप्त परिसंपत्तियां		163343.00			8519.00	0.00	171862.00	186714.00

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये में

अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण

	सकल ब्लॉक	मूल्यहास			निवल ब्लाक					
विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	चालू वर्ष तक	चालू वर्ष के अंत तक	पूर्व वर्ष के अंत तक
	2	3	4	5(2+3-4)	6	7	8	9(6+7-8)	10(5-9)	11(2-6)
क. नियत परिसंपत्तियां										
भवन	5825436.00	0.00	0.00	5825436.00	5712454.00	11298.00	0.00	5723752.00	101683.92	112982.00
औजार एवं संयंत्र	18575382.00	26000.00	135301.00	18466081.00	17646254.00	141131.00	134013.00	17653372.00	812709.00	929128.00
वाहन	22394125.00	0.00	394875.00	21999250.00	15095972.00	1092783.00	381963.00	15806792.00	6192457.98	7298153.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	35394641.17	2265116.00	150609.00	37509148.17	15252061.00	2202138.00	94193.00	17360006.00	20149142.04	20142580.00
कार्यालय उपस्कर	16562075.00	1149277.00	403497.00	17307855.00	10167974.00	1064263.00	313697.00	10918540.00	6389315.08	6394101.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	40926332.00	3165312.00	1330281.00	42793513.00	32142651.00	4272897.00	1323826.00	35123872.00	7669641.00	8800420.00
तकनीकी पुस्तकें	356518.00	0.00	0.00	356518.00	355907.00	246.00	0.00	356153.00	365.00	611.00
कैम्प उपस्कर	4392.00		0.00	4392.00	4379.00	2.00	0.00	4381.00	11.00	13.00
विद्युत स्थापना	586064.00	453909.00		1039973.00	43955.00	149403.00	0.00	193358.00	846615.00	542109.00
सोफ्टवेयर	116834.00	2387523.00	5200.00	2499157.00	15116.00	410028.00	5200.00	419944.00	2079213.00	84979.00
उप –कुल	**140741799.17**	**9447137.00**	**2419763.00**	**147801323.17**	**96436723.00**	**9344189.00**	**2252892.00**	**103560170.00**	**44241153.02**	**44305076.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0	0	0		0	0	0	0	0	0
उप कुल										
कुल										

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तंभ : 2 वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन)							
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5825436					0.00	5825436.00
औजार एवं संयंत्र	4708778	6178044.00	946177.00	4059491.00	1630612.00	1052280.00	18575382.00
वाहन	4719079	4031711.00	2866040.00	1832700.00	5784102.00	3160493.00	22394125.00
फर्नीचर, जोड़नार	16094073	3715530.00	2833590.00	3174450.00	4415930.00	5161068.00	35394641.17
कार्यालय उपस्कर	5119786	2826296.00	560722.00	3274570.00	2923220.00	1857481.00	16562075.00
कम्प्यूटर/उपकरण	16912599	3749750.00	2475131.00	6677541.00	7694236.00	3417075.00	40926332.00
तकनीकी पुस्तकें	305650	14923.00	13724.00	3619.00	6371.00	12231.00	356518.00
कैम्प उपस्कर		4392.00				0.00	4392.00
विद्युत स्थापना	586064					0.00	586064.00
सोफ्टवेयर	99134				17700.00	0.00	116834.00
उप –कुल	**54370599**	**20520646.00**	**9695384.00**	**19022371.00**	**22472171.00**	**14660628.00**	**140741799.17**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**54370599**	**20520646.00**	**9695384.00**	**19022371.00**	**22472171.00**	**14660628.00**	**140741799.17**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपति विवरण (स्तंभ : 3 वर्ष के दौरान जमा)							
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**ळैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
औजार तथा संयंत्र	0.00	0.00	0.00	7227.00	0.00	0.00	7227.00
मोटर वाहन	0.00	0.00	0.00	48298.00	0.00	0.00	48298.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	6634816.00	171728.00	191431.00	195977.00	434017.00	337124.00	7965093.00
कार्यालय उपस्कर	677844.00	92498.00	8190.00	1106320.00	311009.00	0.00	2195861.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	3862942.00	258157.00	767685.00	997511.00	500003.00	454156.00	6840454.00
तकनीकी पुस्तकें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कैंप उपस्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत स्थापना	586064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586064.00
सोफ्टवेयर	99134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99134.00
उप कुल	**11860800.00**	**522383.00**	**967306.00**	**2355333.00**	**1245029.00**	**791280.00**	**17742131.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**11860800.00**	**522383.00**	**967306.00**	**2355333.00**	**1245029.00**	**791280.00**	**17742131.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 4 : वर्ष के दौरान कटौती)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन							0.00
औजार तथा संयंत्र			127356.00	0.00	4670.00	3275.00	135301.00
मोटर वाहन			394875.00	0.00			394875.00
फर्नीचर तथा जुड़नार		27211.00	79010.00	0.00		44388.00	150609.00
कार्यालय उपस्कर		3145.00	55950.00	0.00	146795.00	197607.00	403497.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी		28840.00	302385.00	0.00	716440.00	282616.00	1330281.00
तकनीकी पुस्तकें			0.00	0.00			0.00
कैंप उपस्कर				0.00			0.00
विद्युत स्थापना				0.00	5200.00		5200.00
सोफ्टवेयर	**0.00**	**59196.00**	**959576.00**	**0.00**	**873105.00**	**527886.00**	**2419763.00**
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर							
उप –कुल	**0.00**	**59196.00**	**959576.00**	**0.00**	**873105.00**	**527886.00**	**2419763.00**
कुल							0.00

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ – 5 – वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन)

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5825436						5825436.00
औजार तथा संयंत्र	4708778	6178044.00	844821.00	4059491.00	1625942.00	1049005.00	18466081.00
मोटर वाहन	4719079	4031711.00	2471165.00	1832700.00	5784102.00	3160493.00	21999250.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	17562801.17	3688319.00	2999080.00	3457689.00	4581192.00	5220067.00	37509148.17
कार्यालय उपस्कर	5276386	2823151.00	745321.00	3274570.00	3130256.00	2058171.00	17307855.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	18144781	3720910.00	2429207.00	6981549.00	7403991.00	4113075.00	42793513.00
तकनीकी पुस्तकें	305650	14923.00	13724.00	3619.00	6371.00	12231.00	356518.00
कैंप उपस्कर		4392.00					4392.00
विद्युत स्थापना	1039973						1039973.00
सोफ्टवेयर	2467207				31950.00		2499157.00
उप कुल	**60050091**	**20461450.00**	**9503318.00**	**19609618.00**	**22563804.00**	**15613042.00**	**147801323.17**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप –कुल							
कुल योग	**60050091**	**20461450.00**	**9503318.00**	**19609618.00**	**22563804.00**	**15613042.00**	**147801323.17**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 6 : वर्ष के आरंभ में)							
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5712454.00						5712454.00
औजार तथा संयंत्र	4637085.00	5969748.00	841941.00	3740715.00	1485856.00	970909.00	17646254.00
मोटर वाहन	3093536.00	2797177.00	1878149.00	979698.00	4263246.00	2084166.00	15095972.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	4711957	2063547.00	1530802.00	1757133.00	2437222.00	2751400.00	15252061.00
कार्यालय उपस्कर	3172091	1999328.00	220838.00	1744913.00	1847424.00	1183380.00	10167974.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	12504480	3303353.00	1684407.00	5376785.00	6613836.00	2659790.00	32142651.00
तकनीकी पुस्तकें	305098.00	14914.00	13713.00	3615.00	6365.00	12202.00	355907.00
कैंप उपस्कर		4379.00					4379.00
विद्युत स्थापना	43955.00						43955.00
सोफ्टवेयर	14155.00				961.00		15116.00
उप कुल	**34194811.00**	**16152446.00**	**6169850.00**	**13602859.00**	**16654910.00**	**9661847.00**	**96436723.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप –कुल							
कुल योग	**34194811.00**	**16152446.00**	**6169850.00**	**13602859.00**	**16654910.00**	**9661847.00**	**96436723.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 7 वर्ष के दौरान जमा पर)							
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	11298.00						11298.00
औजार तथा संयंत्र	10754.00	31245.00	17459.00	47817.00	21657.00	12199.00	141131.00
मोटर वाहन	243831.00	185178.00	146246.00	127951.00	228128.00	161449.00	1092783.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	1284367.00	162477.00	145753.00	158051.00	206134.00	245356.00	2202138.00
कार्यालय उपस्कर	308316.00	123574.00	93236.00	229448.00	184750.00	124939.00	1064263.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	2122911.00	177512.00	365385.00	586144.00	514934.00	506011.00	4272897.00
तकनीकी पुस्तकें	221.00	4.00	4.00	2.00	3.00	12.00	246.00
कैंप उपस्कर		2.00					2.00
विद्युत स्थापना	149403.00						149403.00
सोफ्टवेयर	399945.00				10083.00		410028.00
उप कुल	**4531046.00**	**679992.00**	**768083.00**	**1149413.00**	**1165689.00**	**1049966.00**	**9344189.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**4531046.00**	**679992.00**	**768083.00**	**1149413.00**	**1165689.00**	**1049966.00**	**9344189.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 8 : वर्ष में कटौती)							राशि रूपये में
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन							0.00
औजार तथा संयंत्र		0.00	126504.00	0.00	4289.00	3220.00	134013.00
मोटर वाहन		0.00	381963.00	0.00	0.00	0.00	381963.00
फर्नीचर तथा जुड़नार		0.00	57674.00	0.00	0.00	36519.00	94193.00
कार्यालय उपस्कर		0.00	30662.00	0.00	125750.00	157285.00	313697.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी		26223.00	300753.00	0.00	715223.00	281627.00	1323826.00
तकनीकी पुस्तकें		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कैंप उपस्कर		0.00		0.00			0.00
विद्युत स्थापना		0.00		0.00			0.00
सोफ्टवेयर		0.00		0.00	5200.00		5200.00
उप कुल	**0.00**	**26223.00**	**897556.00**	**0.00**	**850462.00**	**478651.00**	**2252892.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**0.00**	**26223.00**	**897556.00**	**0.00**	**850462.00**	**478651.00**	**2252892.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 9 : वर्ष में)							राशि रूपये में
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5723752.00						5723752.00
औजार तथा संयंत्र	4647839.00	6000993.00	732896.00	3788532.00	1503224.00	979888.00	17653372.00
मोटर वाहन	3337367.00	2982355.00	1642432.00	1107649.00	4491374.00	2245615.00	15806792.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	5996324.00	2226024.00	1618881.00	1915184.00	2643356.00	2960237.00	17360006.00
कार्यालय उपस्कर	3480407.00	2122902.00	283412.00	1974361.00	1906424.00	1151034.00	10918540.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	14627391.00	3454642.00	1781189.00	5962929.00	6413547.00	2884174.00	35123872.00
तकनीकी पुस्तकें	305319.00	14918.00	13717.00	3617.00	6368.00	12214.00	356153.00
कैंप उपस्कर		4381.00					4381.00
विद्युत स्थापना	193358.00						193358.00
सोफ्टवेयर	414100.00				5844.00		419944.00
उप कुल	**38725857.00**	**16806215.00**	**6072527.00**	**14752272.00**	**16970137.00**	**10233162.00**	**103560170.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**38725857.00**	**16806215.00**	**6072527.00**	**14752272.00**	**16970137.00**	**10233162.00**	**103560170.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 10 : चालू वर्ष की समाप्ति पर)							
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**ळैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	101684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101683.92
औजार तथा संयंत्र	60939	177051.00	111925.00	270959.00	122718.00	69117.00	812709.00
मोटर वाहन	1381712	1049356.00	828733.00	725051.00	1292728.00	914878.00	6192457.98
फर्नीचर तथा जुड़नार	11566477	1462295.00	1380199.00	1542505.00	1937836.00	2259830.00	20149142.04
कार्यालय उपस्कर	1795979	700249.00	461909.00	1300209.00	1223832.00	907137.00	6389315.08
कम्प्यूटर/अनुषंगी	3517390	266268.00	648018.00	1018620.00	990444.00	1228901.00	7669641.00
तकनीकी पुस्तकें	331	5.00	7.00	2.00	3.00	17.00	365.00
कैंप उपस्कर	0	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
विद्युत स्थापना	846615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846615.00
सोफ्टवेयर	2053107	0.00	0.00	0.00	26106.00	0.00	2079213.00
उप कुल	**21324234**	**3655235.00**	**3430791.00**	**4857346.00**	**5593667.00**	**5379880.00**	**44241153.02**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर							
उप कुल							
कुल योग	**21324234**	**3655235.00**	**3430791.00**	**4857346.00**	**5593667.00**	**5379880.00**	**44241153.02**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 11 : पिछले वर्ष के अंत में)						राशि रूपये में	
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	112982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112982.00
औजार तथा संयंत्र	71693.00	208296.00	104236.00	318776.00	144756.00	81371.00	929128.00
मोटर वाहन	1625543.00	1234534.00	987891.00	853002.00	1520856.00	1076327.00	7298153.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	11382116.00	1651983.00	1302788.00	1417317.00	1978708.00	2409668.00	20142580.00
कार्यालय उपस्कर	1947695.00	826968.00	339884.00	1529657.00	1075796.00	674101.00	6394101.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	4408119.00	446397.00	790724.00	1300756.00	1080400.00	757285.00	8800420.00
तकनीकी पुस्तकें	552.00	9.00	11.00	4.00	6.00	29.00	611.00
कैंप उपस्कर	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
विद्युत स्थापना	542109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542109.00
सोफ्टवेयर	84979.00	0.00	0.00	0.00	16739.00	0.00	84979.00
उप कुल	**20175788.00**	**4368200.00**	**3525534.00**	**5419512.00**	**5817261.00**	**4998781.00**	**44305076.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**20175788.00**	**4368200.00**	**3525534.00**	**5419512.00**	**5817261.00**	**4998781.00**	**44305076.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–9 : उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से निवेश (सेवानिवृत्ति तथा ग्रैच्युटी निधि)								
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
उद्दिष्ट निधि से निवेश								
सरकारी प्रतिभूतियों में							0.00	0.00
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में							0.00	0.00
राष्ट्रीय बैंकों में बचत खाता							0.00	0.00
नियत जमा	60000000.00						60000000.00	8567409.00
सेवा निवृत्ति (एफडीआर) निवेषों पर उद्भूत ब्याज	92612.00						92612.00	0.00
कुल योग	**60092612.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60092612.00**	**8567409.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपतियां, ऋण, अग्रिम आदि							राशि रूपये मे	
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क वर्तमान परिसंपत्तियां								
रोकड़ शेष	11824759	5103892.00	3801446.00	3000953.00	7376257.00	5089737.00	36197044.24	35422154.00
बचत बैंक खाते में शेष (वेतन खाते)	3713734	55235.00	100265.00	0.00	31439.00	354435.00	4255108.28	20630425.00
बचत बैंक खाते में शेष (सामान्य खाते)	37458167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37458167.00	180420229.00
एसबीआई परामर्श पर नकद खाते	2724257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2724257.18	39866838
एक्सस सीएनए सामान्य	0	0.00	0.00	0.00	0.00	54680.00	54680.00	54680.00
नकद बैंक बैलेंस शेष	1534	4694.00	2848.00	2817.00	3965.00	1445.00	17303.00	16427.00
डाक टिकट शेष	0	1393526.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1393527.00	1393527.00
मार्गस्थ ड्राफ्ट								
	55722453	**6557347.00**	**3904559.00**	**3003770.00**	**7411662.00**	**5500297.00**	**82100087.70**	**277804281.00**
उप –कुल **(क)**								
ख ऋण, अग्रिम तथा अन्य– परिसंपत्तियां								
ऋण तथा अग्रिमः	104213	135212.00	353770.00	82300.00	283651.00	131905.00	1091051.28	2204313.00
कर्मचारियो को	29453704	807572.00	43131840.00	1852439.00	1039125.00	3075992.00	79360672.00	34710931.00
अन्य को					482680.00		482680.00	482680.00
परामर्शी सेवाओं को	**29557917**	**942784.00**	**43485610.00**	**1934739.00**	**1805456.00**	**3207897.00**	**80934403.28**	**37397924.00**
उप –कुल (ख)								
ग वसूली योग्य दावे	28194	25250.00	8345.00	3899.00	58931.00	20058.00	144677.00	170872.00
पूर्वदत्त व्यय	717880			711822.00		721533.00	2151235.00	3123780.00
वसूली योग्य अवकाश वेतन	10472545	28500.00			15469.00		10516514.00	28500.00
प्रतिभूति जमा	35000000						35000000.00	0.00
राजविअ सीपीएफ में परामर्श निधि का स्थनांतरण		89218.00	280347.00		635559.00		1005124.00	7558.00
वेतन अवकाश एवं पेंशन योगदान							0.00	22996.00
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	23641921						23641921.04	11619117.00
सी.पी.एफ.	114880						114880.00	3624.00
जीएसटी टीडीएस	557973						557973.00	9438032.00
निविष्ट जमा कर (जीएसटी)	2810009						2810009.30	0.00
राजविअ, भारत जल सप्ताह का जीएसटी	321479688						321479688.00	
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (सेना निवृत्त लाभ)	394823090	142968.00	288692.00	715721.00	709959.00	741591.00	397422021.34	24414479.00
उप –कुल (ख)	480103460	7643099.00	47678861.00	5654230.00	9927077.00	9449785.00	560456512.00	339616684.00
कुल (क +ख+ग)	0	28761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28761.00	0.00
अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का अंतरण	11824759						5103892.00	3801446.00

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को अवधि/वर्ष के अंत में सर्किलवार आय और व्यय को दर्शाने वाली अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची 12– बिक्री/सेवाओं से आय								राशि रूपये मे
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1– बिक्री से आय								
क) तैयार माल की बिक्री							0.00	0.00
ख) कच्चे माल की बिक्री							0.00	0.00
ग) कबाड़ की बिक्री							0.00	0.00
2– सेवाओं से आय								
क) श्रम और प्रकिया शुल्क							0.00	0.00
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	13433791.87						13433791.87	142721395.00
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज							0.00	0.00
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण /संपत्ति)							0.00	0.00
ड.) अन्य (निर्दिष्ट करें)							0.00	0.00
कुल	**13433791.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13433791.87**	**142721395.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : अनुदान/सब्सिडी (गैर वसूली योग्य अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)
राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1 सहायता अनुदान (केन्द्रं सरकार)	63916064	88653754.00	129578742.00	96227117.88	154114681.00	76582819.00	609073178	513612624.00
सहायता अनुदान (सामान्य) सीएनए एक्सेस	185367672						185367672	0.00
सहायता अनुदान (आरबीआई) वेतन	531438768						531438768	0.00
पीएओ ज.श.मंत्रालय	5000000						5000000	0.00
घटाः वर्ष के दौरान क्रय की गई परिसंपत्तियां	-5630637	0.00	-735361.00	-587247.00	-964738.00	-1480300.00	-9398283	-9787564.00
नकद का स्थानांतरण	-545926686						-545926686	0.00
कुल	**234165181**	**88653754.00**	**128843381.00**	**95639870.88**	**153149943.00**	**75102519.00**	**775554649**	**503825060.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले सर्किलवार अनुसूची

(राशि- ₹)

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. डिबेंचर और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2022-23 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

(राशि- ₹)

अनुसूची 15 - निवेश से आय	**निर्धारित निधि से निवेश**							**निवेश - अन्य**	
(निधियों में उद्दिष्ट /विन्यास निधियों से निवेश पर आय)	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**	
1. ऋण									
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. लाभांश:									
क) शेयरों पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. किराए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
उद्दिष्ट /विन्यास निधियों में अंतरित									

(दीपक वर्मा) **(सुब्रत हलदर)** **(ओपाल सिंह)**

लेखा अधिकारी, **निदेशक (वित्त),** **महानिदेशक**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2022-23 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

(राशि- ₹)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
1. रॉयल्टी से आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. प्रकाशनों से आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज								
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
(क) बचत खाता पर	4208298.08	32144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4240442.08	0.00
(ख). ऋण और अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1411.00	1411.00	158031.00
(ग) अन्य	92612.00	19283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111895.00	4406542.00
(घ) सीपीएफ (सरकार) योगदान, सरकारी अंशदान पर ब्याज	4523530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4523530.04	0.00
कुल	**8824440.12**	**51427.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1411.00**	**8877278.12**	**4564573.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची-18- अन्य आय — **राशि रूपये में**

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
परिसंपत्तियों का निपटान								
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि		0.00	143102.00		658.00	187.00	143947.00	60012.00
विविध आय	41644.00	828.00	60.00			1525.00	44057.00	191345.00
हिन्दी संसदीय समिति के व्यय की वापिसी		0.00					0.00	0.00
नोटिस अवधि वेतन					13953.00		13953.00	64198.00
निविदा फार्म आदि की ब्रिकी							0.00	0.00
विविध आय + पैनल ब्याज					40.00		40.00	760.00
पुराने समाचार पत्र की बिक्री			2275.00		4553.00	1260.00	8088.00	7184.00
अन्य प्राप्तियां (जी.एस.टी.)	6344755.43			1154.00			6345909.43	19357532.00
कुल	**6386399.43**	**828.00**	**145437.00**	**1154.00**	**19204.00**	**2972.00**	**6555994.43**	**19681031.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2022-23 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

(राशि- ₹)

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी), 7 कार्य प्रगति पर	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
क) अंतिम स्टॉक								
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- प्रगति पर कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी) घटाना: शुरुआती स्टॉक								
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- प्रगति पर कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची

अनुसूची–20 स्थापना व्यय								
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछला वर्ष**
क वेतन तथा पगार (वेतन)	65218319.00	27552786.00	25110933.00	22626264.00	48856536.00	26653661.00	216018499.00	243943319.00
ख भत्ते तथा बोनस	56550729.00	32583845.00	40970388.00	29330765.00	44113677.00	26864109.00	230413513.00	157558020.00
ग भविष्य निधि में सरकारी अंशदान (सी.पी.एफ.) और							0.00	-1664274.00
सी.पी.एफ. पर ब्याज							0.00	
घ जी.एस.एल.आई.एस. को भुगतान							0.00	0.00
ड कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर							0.00	0.00
(सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)	60299786.00	15714709.00		29230.00	22413739.00		98457464.00	0.00
च नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान							0.00	
छ अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	2504539.00						2504539.00	0.00
ज नई पेंशन योजना	3817761.00						3817761.00	11315574.00
झ अन्य (स्पष्ट करें) एल एस व पी सी चार्ज					713481.00	1321359.00	2034840.00	2555268.00
कुल	**188391134.00**	**75851340.00**	**66081321.00**	**51986259.00**	**116097433.00**	**54839129.00**	**553246616.00**	**413707907.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–20 क : प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क वेतन तथा भत्ते (व्यय.)	63933787	27699044	25780804.00	23522085.00	49559164.00	26558502.00	217053386.00	246935509.00
ख भत्ते व बोनस	56858962	32293208	40898172.00	29742845.00	45065432.00	27844237.00	232702856.00	154697605.00
ग. भविष्य निधि में अंशदान (सी.पी.एफ.) तथा						0.00	0.00	-1664274.00
ख. सी.पी.एफ. पर ब्याज							0.00	
घ . जीएसएलआईएस के लिए भुगतान						0.00	0.00	0.00
च.कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय	36428871	15714709		165247.00	22413739.00	0.00	74722566.00	0.00
लाभ (सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)							0.00	
छ. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	4702730					0.00	4702730.00	10198437.00
ज. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	23780964					0.00	23780964.00	0.00
झ. नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान						0.00	0.00	0.00
ड. अन्य (स्पष्ट करें) एल एस एवं पी सी अधिभार					713481.00	0.00	713481.00	2555268.00
कुल	**185705314.00**	**75706961.00**	**66678976.00**	**53430177.00**	**117751816.00**	**54402739.00**	**553675983.00**	**412722545.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21 अन्य प्रशासनिक व्यय								
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क यात्रा व्यय	**4038040.00**	**5072085.00**	**2194494.00**	**2018143.00**	**2026763.00**	**1953321.00**	**17302846.00**	**11161727.00**
ख कार्यालय व्यय								
विज्ञापन	147621.00					0.00	147621.00	408515.00
लेखा परीक्षा शुल्क	316120.00					0.00	316120.00	39805.00
बैंक प्रभार	4.72	1768.00	1658.00	726.88	1677.00	826.00	6660.60	5557.00
स्थिर निधि		34850.00					34850.00	0.00
आकस्मिक गैर आवर्ती	20010.00	53925.00				5400.00	79335.00	26200.00
वाहन		9576.00	2396.00	4750.00	3656.00	3383.00	23761.00	18013.00
विद्युत प्रभार	2261966.00	378586.00	238454.00	237514.00	1158374.00	547224.00	4822118.00	4600516.00
जी.–20 व्यय	3903655.00						3903655.00	0.00
आतिथ्य	585392.00	83545.00	141062.00	109654.00	247182.00	171343.00	1338178.00	1444661.00
वकील का शुल्क/विधि प्रभार			67380.00		22800.00	0.00	90180.00	0.00
वर्दी		5000.00					5000.00	60000.00
विविध व्यय		96626.00	77355.00	250743.00	181032.00	66861.00	672617.00	1071081.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	198497.00						198497.00	203992.00
अन्य शुल्क	176966.00						176966.00	90323.00
डाक टिकट	82244.00	29190.00	43950.00	52918.00	66922.00	64262.00	339486.00	315767.00
प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	252735.00	59994.00	77220.00	119673.00	198511.00	116435.00	824568.00	776106.00
रबड़ स्टैंप	2231.00	0.00	3150.00	970.00	2040.00	6265.00	14656.00	18866.00
स्टेशनरी तथा मुद्रण	140.00	12582.00	87777.00	46609.00	50038.00	48184.00	245330.00	305261.00
दूरभाष व्यय	1424126.00	117591.00	124447.00	53844.16	93829.00	110039.00	1923876.16	1256395.00
जल प्रभार	117519.00	47906.00	65505.00	33300.00	75343.00	53533.00	393106.00	385500.00
कल्याणकारी व्यय (सेनानिवृत्ति)							0.00	44500.00

ग किराया, दर व कर	17437240.00	1351069.00	984932.00	3098850.00	17714597.00	2753173.00	43339861.00	37633443.00
घ मरम्मत तथा रखरखाव	3009254.00	909456.00	1080466.00	900290.00	1104097.00	1596824.00	8600387.00	8276577.00
परिसम्मपतियों के निपटान पर नुकसान			40777.00		15671.00	17672.00	74120.00	68582.00
उप कुल	**33973760.72**	**8263749.00**	**5231023.00**	**6927985.04**	**22962532.00**	**7514745.00**	**84873794.76**	**68211387.00**
(ड)(1) पूर्व अवधि कार्यालय व्यय	2822801.00		5697.00		34038.00		2862536.00	464438.00
(2) पूर्व अवधि यातायात व्यय	14753.00						14753.00	254101.00
(3) पूर्व किराया दरें एवं कर खर्च	0.00					0.00	0.00	25000.00
(4) पूर्व अवधि मरमम्त एवं रख रखाव पर व्यय	217719.00		5404.00				223123.00	206907.00
उप योग	**3055273.00**	**0.00**	**11101.00**	**0.00**	**34038.00**	**0.00**	**3100412.00**	**950446.00**
(च) निर्माण कार्य	36343277.00	7550143.00	14439870.00	49984759.00	**13703554.00**	**15377404.00**	137399007.00	122802308.00
उप योग	**36343277.00**	**7550143.00**	**14439870.00**	**49984759.00**	**13703554.00**	**15377404.00**	**137399007.00**	**122802308.00**
(छ) पूर्व अवधि निर्माण कार्य पर व्यय							0.00	2978989.00
उप योग	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**2978989.00**
(झ) पीएमकेएसवाई	32677875.00						32677875.00	36115972.00
(ण) विशेष समिति/प्रकोष्ठ–आईएलआर	10998195.00						10998195.00	12731779.00
उप कुल	**43676070.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43676070.00**	**48847751.00**
कुल	**117048380.72**	**15813892.00**	**19681994.00**	**56912744.04**	**36700124.00**	**22892149.00**	**269049283.76**	**243790881.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2022-23 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

(राशि- ₹)

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
नोट - संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों के साथ-साथ अनुदान / सब्सिडी की राशि को प्रकट किया जाना है -								

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(ओपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, साकेत, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

2022-23 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली सर्किलवार अनुसूचियां

(राशि- ₹)

अनुसूची 23 - ऋण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**	**पिछले वर्ष**
क) स्थायी ऋण पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(दीपक वर्मा)
लेखा अधिकारी,

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त),

(ओपाल सिंह)
महानिदेशक

अनुसूची–21 : क अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क यात्रा व्यय	**2174510.00**	**1183764.00**	**2033476.00**	**2060334.00**	**1911442.00**	**1867287.00**	**11230813.00**	**8282813.00**
ख कार्यालय व्यय								
विज्ञापन	3998183	5072085	**2228832.00**	**2018143.00**	**1999264.00**	**1953321.00**	**17269828.00**	**11230813.00**
लेखा परीक्षा शुल्क								
बैंक प्रभार	162858						162858.00	283395.00
स्थिर निधि	316120						316120.00	402420.00
आकस्मिक गैर आवर्ती	4.72	1768	1304.00	727.00	1677.00	826.00	6306.72	6795.00
वाहन	20010	41350				5400.00	66760.00	26200.00
विद्युत प्रभार		9576	2396.00	4750.00	3656.00	3383.00	23761.00	18891.00
जी.–20 व्यय	2352220	369498	227699.00	237514.00	1262870.00	555655.00	5005456.00	4355099.00
आतिथ्य							0.00	0.00
वकील का शुल्क/विधि प्रभार	587532	86740	141062.00	109654.00	249412.00	171343.00	1345743.00	1428830.00
वर्दी		47425	67380.00		22800.00	0.00	137605.00	0.00
विविध व्यय		5000					5000.00	60000.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		80456	73179.00	250743.00	191068.00	66861.00	662307.00	1063336.00
अन्य शुल्क	195320						195320.00	200992.00
डाक टिकट	176966						176966.00	90323.00
प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	85914	29190	43950.00	52918.00	66922.00	64262.00	343156.00	301181.00
रबड़ स्टैंप	263067	61494	76896.00	119673.00	215334.00	116435.00	852899.00	753139.00
स्टेशनरी तथा मुद्रण	2231		3150.00	970.00	2040.00	6265.00	14656.00	31471.00
दूरभाष व्यय	140	12582	89337.00	46609.00	49088.00	48184.00	245940.00	303931.00
जल प्रभार	1420697	120617	121498.00	55109.00	96048.00	104174.00	1918143.00	1244312.00
कल्याणकारी व्यय (सेनानिवृत्ति)	113477	49531	66414.00	32000.00	77284.00	53533.00	392239.00	401378.00
विज्ञापन							0.00	44500.00

लेखा परीक्षा शुल्क	**17436816.00**	**1416202.00**	**682806.00**	**2821106.00**	**17689611.00**	**2653653.00**	**42700194.00**	**38410883.00**
ग किराया, दर व कर	**2947207.00**	**928496.00**	**1090327.00**	**906688.00**	**1121274.00**	**1551816.00**	**8545808.00**	**8432237.00**
घ मरम्मत और रखरखाव	**30078762.72**	**8332010.00**	**4916230.00**	**6656604.00**	**23048348.00**	**7355111.00**	**80387065.72**	**69090126.00**
उप कुल								
							0.00	12731779.00
नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति/प्रकोष्ठ	37366607.71	6413296.00	14381933.00	35174747.00	13414005.00	13875431.00	120626019.71	126327947.00
निमार्ण कार्य	10988880.00						10988880.00	24372994.00
पी.एम.के.एस.वाई	44387878.00						44387878.00	0.00
निमार्ण कार्य (भा.ज.स–2021)	**92743365.71**	**6413296.00**	**14381933.00**	**35174747.00**	**13414005.00**	**13875431.00**	**176002777.71**	**163432720.00**
उप कुल								
	122822128.43	**14745306.00**	**19298163.00**	**41831351.00**	**36462353.00**	**21230542.00**	**256389843.43**	**232522846.00**
कुल	3998183	5072085	**2228832.00**	**2018143.00**	**1999264.00**	**1953321.00**	**17269828.00**	**11230813.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र

विवरण	सूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
कॉपर्स/ पूंजीगत निधि	1		
अधिशेष पर रिजर्व	2		
उदि्दष्ट /विन्यास निधि	3		
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4		
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5		
आस्थगित जमा देयताएं	6	0	10305669
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	639453819	758892617
कुल		**639453819**	**769198286**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	8		
निवेश–उद्दिष्ट–विन्यामय निधियों से	9		
निवेश–अन्य	10	616910232	653667278
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	22543587	115531008
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने या समायोजित नही करने की सीमा तक)			
कुल		**639453819**	**769198286**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सरकारी अंशदान	14,309,881	19429880	एफडी पर ब्याज	1,544,772	25,551,240
सरकारी अंशदान पर ब्याज	16,091,236	21878258	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	51,214,364	49,936,180
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	22,967,299	31324063	एसबी खाते पर ब्याज	1,569,356	2,924,082
बैंक प्रभार	4,400	1062	एसडीएस खाते पर ब्याज	3,567,853	2,862,124
सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर अधिक राशि का भुगतान		76089			
अधिशेष	4,523,529	8564274			
कुल	57,896,345	81273626	कुल	57,896,345	81,273,626

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रूपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आदि शेष			अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	1,682,500	6,431,000
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	51,558,064	53,365,388	पूरा एवं अंतिम भुगतान	257,866,956	241,641,248
पंजाब नेशनल बैंक	63,972,944	13,141,374	अंतिम आहरण	20,291,000	47,168,000
राजविअ	67,509,712	98,068,019			
सरकारी प्रतिभूतियां की परिपक्वता	5,500,000	-	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	-	20,076,089
एफ डी आर की परिपक्वता	30,000,000	215,000,000	एफ.डी.आर. में निवेश	-	30,000,000
एस.डी.खाते पर ब्याज	1,569,356	2,924,082	बैंक प्रभार	4,400	1,062
एस.डी.एस. खाते पर ब्याज	2,862,124	2,862,124	नई पेंशन योजना कर्मचारी अंशदान	-	-
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	42,871,470	49,936,180	रा.ज.वि.अ. के पूर्ण वर्ष की राशि खाते पर बैंक जमा	-	-
नियत जमाओं पर ब्याज	1,544,772	25,551,240	पंजाब नेशनल बैंक	13,702,274	51,558,064
कर्मचारी का अशंदान, कर्मचारी तथा नियोक्ता तथा सरकारी अशंदान	-	-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	8,841,312	63,972,944
राजविअ परामर्शी खाता	35,000,000				
कुल	302,388,442	460,848,407	**कुल**	302,388,442	460,848,407

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2023)

			राशि रूपये में
अनुसूची'–6 आस्थगित ऋण देयताएं			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर उद्भूत ब्याज		00.00	10305669
कुल		00.00	**10305669**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2023)

अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			(राशि रूपये में)	
विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष
कर्मचारियों का अंशदान		423838917		508959776
आदि शेष				
वर्ष के दौरान जमा				
कर्मचारियों का अंशदान	55757238		75641243	
अग्रिमों की वापसी	4253200		6467889	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	22967299	82977737	31324063	113433195
		506816654		**622392971**
वर्ष के दौरान घटाएं				
वर्ष के दौरान जोड़े	153,054,466		144955054	
अंतिम भुगतान	20291000		47168000	
अंतिम आहरण	1682500		6431000	
सदस्यों को ऋण/अग्रिम	0		0	
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित	0	**175027966**	0	**198554054**
बिना दावे वाले अंशदान का अंतरण		122694		122694
उपकुल		**331911382**		**423961611**
नियोक्ता का अंशदान				
आदि शेष		323311889		378689945
वर्ष के दौरान जमा			0	
नियोक्ता का अंशदान	14309881		19429880	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	16091236	30401117	21878258	41308138
		353713006		**419998083**
वर्ष के दौरान घटाएं				
अंतिम भुगतान		104812490		96686194
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित		0		0
कुल		**248900516**		**323311889**
रा.ज.वि.अ. परामशी खाता		**35000000**		**0**
रा.ज.वि.अ. खाता		**23641921**		**11619117**
कुल		**639453819**		**758892617**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2023)

अनुसूची–10 : निवेश –अन्य

राशि रूपये में

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**
नियत जमा	0		30000000	
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	0	**0**	1176627	**31176627**
प्रोमिसरी नोट (सरकारी प्रतिभूतियां)	567550000		573050000	
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	8342894	**575892894**	8413511	**581463511**
विशेष जमा योजना	40311609		40311609	
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	**705729**	**41017338**	**715531**	**41027140**
कुल	**616910232**	616910232		**653667278**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
अंशदायी भविष्य निधि अभिदान का माहवार विवरण
(कर्मचारी अंशदान) तथा वर्ष 2022–2023 के लिए अग्रिम की वापसी

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि			राशि रूपये में	
विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
राजविअ से प्राप्य	0		0	
राजविअ				
बैंक शेष				
भारतीय स्टेट बैंक	13702274		51558064	
पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली	8841313.00		63972944	
कुल	**22543587**		**115531008**	

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नियत जमा अनुसूची को दिखाने वाली विवरणिका

राशि रूपये में

माह	अंशदान (कर्मचारी अंशदान)	अग्रिमों की वापसी	कुल
अप्रैल, 2022	7021029	524304	7545333
मई, 2022	6879729	511400	7391129
जून, 2022	6796588	571400	7367988
जुलाई, 2022	6607189	583315	7190504
अगस्त, 2022	6496809	636315	7133124
सितम्बर, 2022	6457809	600465	7058274
अक्टूबर, 2022	6082209	548465	6630674
नवम्बर, 2022	6055309	513365	6568674
दिसम्बर, 2022	5923252	496945	6420197
जनवरी, 2023	5848352	509945	6358297
फरवरी, 2023	5823826	499445	6323271
मार्च, 2023	5599142	472525	6071667
मार्च, 2023	50000	0	50000
कुल	75641243	6467889	82109132

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

सी.पी.एफ. अंतिम भुगतान का विवरण

नाम	कर्मचारी	नियोक्ता योगदान	अंतिम भुगतान
ओमे बाई	620676	858901	1479577
बीकेएस ठाकुर	74975	2317232	2392207
दर्मियान सिंह	2018918	1493787	3512705
पीके वर्मा	7325324	2177142	9502466
रामेश्वर	1998558	826920	2825478
अंजू गुलाटी	2603504	1190845	3794349
जे देवा सुंदर	11274436	2443961	13718397
अंतर्यामी नायक	257598	1014664	1272262
आरके जैन	10205565	4610767	14816332
रमाकांत मिश्र	4099278	2021296	6120574
एनएसआर कृष्णा रेड्डी	7246569	2856576	10103145
एम.वसुंधरा	1926879	1447821	3374700
बी कोट्या	103950	1039061	1143011
धनेश्वर मल्लिक	1630520	1269883	2900403
कैलाश चंद्र	1094947	936409	2031356
सौभाग्य कुमार बल	2399001	1300174	3699175
एच. जयरमैया	731455	1243082	1974537
गोपाल दत्त	678933	998088	1677021
एके टैगोर	1414974	1035504	2450478
पीके राउट्रे	663831	1297757	1961588
बी रविचंदर	72250	2598638	2670888
वी सुकुमारन	151543	1008129	1159672
आरए श्रीनिवास	598460	2379548	2978008
जानी जयेशकुमार	500191	1403973	1904164
एपी पात्रा	998679	1316254	2314933
पीके शर्मा	1123060	2425604	3548664
एम सत्यनारायण	2721024	1721300	4442324
पटेल जयंती भाई दहयाभाई	3921544	2008480	5930024
वीएम भोसले	1184876	1044540	2229416
एआर भदाले	579099	1021118	1600217

टीबी बर्डे	687954	1331368	2019322
सी सुब्रमणि	338397	1016772	1355169
बीडी शर्मा	2655462	1821861	4477323
एसके गावंडे	5800213	2505320	8305533
गीता बाथम	2315439	1118158	3433597
जैन्सी विजयन	967620	3403655	4371275
आरके गुप्ता	2540387	2541484	5081871
जेके मदुली	1710563	1452531	3163094
शरत चंद्र दास	2848302	955096	3803398
एसके सिंघल	7282157	2551241	9833398
सुभाष सक्सैना	3700857	1393449	5094306
एम चिन्नापा	1337901	830393	2168294
एके रॉय	4457541	966658	5424199
गिरिजा शंकर	6153597	2066119	8219716
ब्लदास	1036577	798494	1835071
जी निर्मला	234698	2067069	2301767
राम दास सिंह	2363387	1185854	3549241
आरके मल्लिक	1238871	1021422	2260293
एस शेखरन	660994	855845	1516839
एसबी धीरसामंता	1627585	1327181	2954766
बी बी जेना	1057	921794	922851
केपी राव	176815	2320528	2497343
अशोक कुमार	2309422	1115585	3425007
तृप्ता ढींगरा	2005544	1624419	3629963
डीजी चौहान	2792798	2384571	5177369
जेएन चौहान	3792679	2304652	6097331
पीएस मूर्ति	7146514	2560055	9706569
एमडी पटेल	2543149	2206134	4749283
वी रामी रेड्डी	3611213	1384328	4995541
दिनदयाल प्रसाद	2126522	1070146	3196668
प्रशांत कुमार दास	468972	1133148	1602120
बीएल शर्मा	3616188	3691608	7307796
ओपी लिखार	2284474	1578098	3862572
कुल	**153054466**	**104812490**	**257866956**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार वचन पत्रों/सरकारी प्रतिभूतियों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क.सं.	वचन पत्र संख्या	खरीदने की तारीख	अंकित मूल्य	समाप्ति की तारीख
1	8.20% जी.एस. 2024	12.08.2010	6200000	15.09.2024
2	8.20% जी.एस. 2024	23.12.2010	13950000	15.09.2024
3	8.20% जी.एस. 2023	25.05.2011	7200000	10.11.2023
4	8.28% जी.एस. 2027	07.03.2012	14800000	21.09.2027
5	8.28% जी.एस. 2027	19.06.2012	15800000	21.09.2027
6	8.33% जी.एस. 2026	30.10.2012	15200000	09.07.2026
7	8.35% जी.एस. 2024	07.06.2013	25600000	27.03.2024
8	8.20% जी.एस. 2025	25.11.2013	9100000	24.09.2025
9	8.28% जी.एस. 2027	13.02.2014	12300000	21.09.2027
10	7.16% जी.एस. 2023	27.03.2014	7600000	20.05.2023
11	6.90% जी.एस. 2026	17.07.2014	11000000	04.02.2026
12	8.20% जी.एस. 2025	15.09.2014	6700000	24.09.2025
13	8.35% जी.एस. 2024	03.02.2015	20600000	27.03.2024
14	8.35% जी.एस. 2024	16.04.2015	29000000	27.03.2024
15	7.16% जी.एस. 2023	04.08.2015	12400000	20.05.2023
16	7.68% जी.एस. 2023	21.01.2016	27700000	15.12.2023
17	8.40% जी.ओ.आई. 2024	26.04.2016	11000000	28.07.2024
18	7.95% जी.ओ.आई. 2026	03.08.2016	14800000	18.02.2026
19	7.73% जी.ओ.आई. 2034	24.03.2017	9000000	19.12.2034
20	8.32% जी.ओ.आई. 2032	24.03.2017	7500000	02.08.2032
21	6.79% जी.ओ.आई. 2027	07.03.2018	58000000	15.05.2027
22	7.59% जी.ओ.आई. 2026	29.06.2018	51400000	11.01.2026
23	6.79% जी.ओ.आई. 2027	23.04.2019	103500000	15.05.2027
24	6.97% जी.ओ.आई. 2026	30.07.2020	50000000	06.09.2026
25	8.26% जी.ओ.आई. 2027	30.07.2020	7200000	02.08.2027
26	6.64% जी.ओ.आई. 2035	02.07.2021	20000000	16.06.2035
27	कुल		**567550000**	

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च, 2023 तक का तुलन पत्र

		राशि रूपये में	
विवरण	**अनुसूची**		**पिछला वर्ष**
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र निधि /पूंजीगत निधि	**1**	-25,012,593	8254836
सुरक्षित पर अधिशेष	**2**		0
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	**3**		0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	**4**		0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	**5**		0
आस्थगित जमा देयताएं	**6**		0
चालू देयताएं तथा प्रावधान	**7**	66,668,601	972697
कुल		**41,656,008**	**9227533**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	**8**		0
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	**9**		0
निवेश–अन्य	**10**		0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**11**	41,656,008	9227533
विविध व्यय बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक			
कुल		**41,656,008**	**9227533**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि	राशि रूपये में	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ के दौरान में शेष	**8254837**	9086787.00
उप कुल (क)	**8254837**	**9086787.00**
बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश		
निवला आय का जोड़/घटा	-33267430	-831951.00
आय और व्यय खाते से स्थानांतरित व्यय		
उप कुल (ख)	**-33267430**	-831951.00
वर्ष के अन्त में शेष	**-25012593**	**8254836.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 तक के लिए समेकित आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

आय	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	14	21093522	0
अनुदान/सहायिकी			
प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान व सहायिकी शुल्क/सब्सक्रिप्शन			
निवेश से आय (उद्दिष्ट/विन्यास में निवेश से आय, निधि में अंतरित निधि)			
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	17	112897	227145
उद्भूत ब्याज	18	39031	
अन्य आय			
तैयार माल, प्रगति पर कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/कमी			
कुल (क)		**25245450**	**227145.00**
व्यय			
स्थापना व्यय			
पूर्व अवधि व्यय (स्थापना व्यय)			
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	58512880	1059096
पूर्व अवधि व्यय (अन्य प्रशासनिक व्यय)			
निर्माण कार्य			
पूर्व अवधि व्यय (निर्माण कार्य)			
मूल्यह्रास			
कुल (ख)		**58512880**	**1059096**

व्यय से अधिक आय का शेष होना (क–ख)	-33267430	-831951
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण		
अधिशेष जमा को कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

भारत जल सप्ताह					(राशि रूपये में)
आदि शेष प्राप्तियां	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**भुगतान**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1 क. रोकड़ शेष			क. स्थापना व्यय		
ख. बैंक शेष			(अनुसूची 20 के तद्नुरूप)	0	
बचत खातों में			ख. प्रशासनिक व्यय		
i. एस.बी.आई.	2,836,147	5980525	(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)	14834200	1059096
ii.एच.डी.एफ.सी.	1,492,294	1389961			
भाजस 2016 से राशि का अंतरण			शुल्क/सदस्यता	0	
2 प्राप्त अनुदान			**2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान**		
क. भारत सरकार से	4,000,000.00 0		लिंक नहर परियोजना	0	
ख. राज्य सरकार से	0		**3 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**		
			क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय	0	
3 निवेश पर आय			ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	0	
क उद्दिष्ट/विन्यास निधि	0				
ख अपनी निधि (निवेश पर)	0				
			4 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय		
4 प्राप्त ब्याज			अग्रिम (स्टाफ)	0	
क. बैंक जमाओं पर	112897	227145	अग्रिम (अन्य)	29983640	2320085
ख. ऋण तथा अग्रिम आदि	0				
			5 **ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी**		

5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
प्रतिनिधि शुल्क	970,266	0			
प्रदर्शन शुल्क	13,996,792	0	**6 वित्त प्रभार (ब्याज)**		
विविध रसीद	31	0	**7 अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
प्रयोजन शुल्क	8,549,600	0	**रा.ज.वि.अ.**		
अध्ययन यात्रा शुल्क	39,000	0	ईएमडी/निष्पादन गारंटी	0	
			बयाना		
			सुरक्षा जमा	0	
6 उधार ली गई राशि–राजवअि	19000000		टी.डी.एस.		
			होटल एवं प्रदर्शनी स्थल के लिये अग्रिम		
			स्टाफ को अग्रिम		
7 कोई अन्य रसीदें (दिए गए विवरण)			विविध लेनदार		
			शुल्क/कर		
			अंतिम शेष		
साथी देश भारतीय यूरोपीय संघ			क. रोकड़ शेष		
यूनियन	0		ख. बैंक शेष		
अग्रिम (स्टाफ)	0		बचत खाते		
अग्रिम (अन्य)	0		1 एस. बी. आई.	6316626	2836146
ईएमडी/प्रदर्शन गारंटी	207215	109990	2 एच.डी.एफ.सी.		1492294
			एक्सेस बैंक	69776	
कुल	**51204242**	**7707621**	**कुल**	**51204202**	**7707621**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

		राशि रूपये में
अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
विवरण	**भारत जल सप्ताह 2022–23**	
क वर्तमान देयताएं		
अन्य. वर्तमान देयताएं		
बकाया व्यय	43678680	0
वेतन तथा भत्ते	0	0
किराया, दर तथा कर	0	0
प्रेषणा	0	0
पुराने चैक	0	0
अंशदायी भविष्य निधि	0	0
भारत जल सप्ताह 2016 खाता	860207	860207
धरोहर राशि/ सुरक्षित जमा	2500	2500
निष्पादन गारंटी जमा	317205	109990
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि		
टी.डी.एस.	0	0
राजविअ परामर्शी खाता	19000000	0
राजविअ मुख्यालय को देय जीएसटी स्थानांतरित	2810009	0
उप कुल (क)	**66668601**	**972697**
	0	0
लेखापरीक्षा शुल्क	0	0
सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि		
	0	0
उपकुल (ख):		
	66668601	**972697**
कुल	43678680	0

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि		राशि रूपये में
विवरण		राशि
क वर्तमान परिसंपत्तियां		
आदि शेष		0
बचत बैंक खाता एस.बी.बी.जे	6316626	2836146
एचडीएफसी	0	1492294
एक्सस बैंक	69776	
डाक टिकट शेष		0
मार्गस्थ ड्राफ्ट		0
उप कुल (क)	**6386402**	**4328440**
ख ऋण अग्रिम एवं अन्य् परिसंपत्तियां		
ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को		
अन्य को	34,869,238	4885598
टीडीएस प्राप्य	386873	
उप कुल (ख)	**35256111**	**4885598**
ग प्राप्य दावे		0
सुरक्षा जमा खाते	13495	13495
उप कुल (ग)	**13495**	13495
विविध देनदार		
प्रदर्शनी/भागीदारी व अन्य शुल्को के लिए पक्षकारों से प्राप्य	-	
कुल	**41656008**	**9227533**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–13 : अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सहायिकी)		राशि रूपये में
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	4000000	0
भारत जल सप्ताह 2017 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि		
	4000000	**0**
कुल	4000000	0

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–14 : शुल्क/सब्सक्रिप्शन	राशि रूपये में	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
भारत जल सप्ताह		
1 पंजीकरण/प्रतिनिधि शुल्क	978,741	0
2 वार्षिक शुल्क/ सब्सक्रिप्शन	-	0
3 सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	0
4 प्रायोजक शुल्क	7,656,315	0
5 प्रदर्शनी शुल्क	12,458,466	0
6 सहयोगी देश भारतीय यूरोपीय संघ		0
7 निविदा शुल्क	-	0
8 लोगो शुल्क	-	
कुल	**21,093,522**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज	राशि रूपये में	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क बचत बैंक खातों पर	112897	227145
ख ऋण एवं अग्रिमों पर		0
ग अन्य		0
कुल	**112897**	**227145**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची 18– अन्य आय	राशि रूपये में	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अध्ययन भ्रमण लेखा	39000	0
विविध	31	0
कुल	**39031**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार)

भारत जल सप्ताह - 2022 - 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रु)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
जारी विविध व्यय	5725	4895
रचनात्मक सामग्री	5627902	
सांस्कृतिक कार्यक्रम	569940	
होटल में आवास	2183661	
बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला का खर्च	10813746	
स्मृति चिन्ह खर्च	1244193	
मुद्रण और लेखन सामग्री	1498820	
पंजीकरण सामग्री खर्च	596695	
सहायक स्टाफ व्यय	10000	
विज्ञापन और प्रचार व्यय	4114873	
बैंक शुल्क	4267	
मामूली कार्य	17763	360863
मामूली आईटी कार्य खर्च	64273	
आर एंड एम कंप्यूटर खर्च		990
आर एंड एम फर्नीचर और फिटिंग खर्च	920	6860

वाहन डीएल-3सीसीसी-6708 खाते का आर एंड एम	1000	
टीए खर्च	256558	
टेलीफोन खर्च	00P	
परिवहन व्यय लेखा	956955	
आईटी काम के खर्च	118453	180423
कार्यक्रम प्रमोशन खर्च		175378
आतिथ्य व्यय	33013	5187
वेबसाइट का खर्च	396480	324500
स्थल बुकिंग और सुविधाओं का उपयोग	29996936	
कुल	**58512880**	**1059096**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार)

भारत जल सप्ताह - 2022 - 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 21क - अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रु)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
जारी विविध व्यय	5,725	4895
रचनात्मक सामग्री	2,788,116	
सांस्कृतिक कार्यक्रम	569,940	
होटल में आवास	2,183,661	
बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला का खर्च	26,068	
स्मृति चिन्ह खर्च	1,244,193	
मुद्रण और लेखन सामग्री	1,498,820	
पंजीकरण सामग्री खर्च	596,695	
सहायक स्टाफ व्यय	10,000	
विज्ञापन और प्रचार व्यय	4,114,873	

बैंक शुल्क	4,267	
मामूली कार्य	17,763	360863
मामूली आईटी कार्य खर्च	64,273	
आर एंड एम कंप्यूटर खर्च		990
आर एंड एम फर्नीचर और फिटिंग खर्च	920	6860
वाहन डीएल-3सीसीसी-6708 खाते का आर एंड एम	1,000	
टीए खर्च	256,558	
टेलीफोन खर्च	707	
परिवहन व्यय लेखा	956,955	
आईटी काम के खर्च	118,453	180423
कार्यक्रम प्रमोशन खर्च		175378
आतिथ्य व्यय	33,013	5187
वेबसाइट का खर्च	342,200	324500
कुल	**14,834,200**	**1059096**

आईडबल्यूडबल्यू , राजविअ		
212, दूसरी मंजिल, पालिका भवन		
सेक्टर 13 आरके पुरम		
नई दिल्ली		
परीक्षण संतुलन		
1-अप्रैल-22 से 31-मार्च-23		
	आईडबल्यूडबल्यू , राजविअ	
विवरण	1-अप्रैल-22 से 31-मार्च-23	
	अंतिम शेष राशि	
	जमा	उधार
पूंजी खाता		**8254836.66**
पूंजी निधि		*8254836.66*
वर्तमान देनदारियां		**66668601.3**
कर्तव्य और कर		2810009.30
जीएसटी		*2810009.30*
राजविअ (जीएसटी विविध टी / एफ)		*2810009.30*
टीडीएस		
विविध जमा		
अन्य वर्तमान देनदारियां		20179912
बयाना राशि/प्रतिभूति जमा		2500.00

आईडबल्यूडबल्यू -2016 खाता		860207.00
राजविअ परामर्शी निधि खाता		*19000000*
गारंटी		*317205.00*
बकाया खर्च		*43678680*
वर्तमान संपत्ति	**41656007.98**	
ऋण और अग्रिम (संपत्ति)	35256111	
होटल के लिए अग्रिम		
ऋण और अग्रिम (प्रदर्शनी स्थल)	*34869238*	
ए.डी. एस्टेट विज्ञान भवन को अग्रिम	*1663993.00*	
डीएआईसी खाते में अग्रिम	*195880.00*	
इंडिया एक्सपोज़िशन मार्ट लिमिटेड को अग्रिम	*31092917*	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र को अग्रिम अग्रिम	*705640.00*	
यूपीएसटी डीसी लिमिटेड को अग्रिम अग्रिम	*1210808.00*	
टीडीएस प्राप्य	386873.00	
बैंक खाते	6386401.98	
एक्सिस बैंक आईडब्ल्यूडब्ल्यू खाता 922020050560915	69775.62	
एसबीआई बैंक आईडब्ल्यूडब्ल्यू खाता 61146288894	6316626.36	
प्राप्य दावे	13495.00	
सुरक्षा जमा खाता	13495.00	
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
प्रत्यक्ष व्यय	**6949149.38**	
अन्य प्रशासनिक व्यय	6949149.38	

विज्ञापन/प्रचार व्यय	4114873.00	
बैंक शुल्क	4267.38	
आतिथ्य व्यय	33013.00	
लघु कार्य खाता	17763.00	
मामूली काम आईटी खर्च	64273.00	
मुद्रण और स्टेशनरी	1498820.00	
एफएफ़एफ़ के आर एंड एम	920.00	
वाहन डीएल-3सीसीसी-6708 खाते का आर एंड एम	1000.00	
टीए खर्च	256558.00	
टेलीफोन खर्च	707.00	
परिवहन व्यय लेखा	956955.00	
अप्रत्यक्ष आय		**21132553.4**
प्रतिनिधि शुल्क खाता		*978741.00*
प्रदर्शनी शुल्क/स्थान की बुकिंग		*12458465.99*
विविध रसीद खाता		*31.00*
प्रायोजन शुल्क खाता		*7656315.41*
अध्ययन यात्रा खाता		*39000.00*
अप्रत्यक्ष व्यय	**51563731**	
विविध व्यय	*5725.00*	
रचनात्मक सामग्री	*5627902.00*	
सांस्कृतिक कार्यक्रम का खर्च	*569940.00*	

होटल आवास व्यय खाता	*2183661.00*	
बैठक/संगोष्ठी/कार्य दुकान का खर्च	*10813746*	
स्मृति चिन्ह व्यय लेखा	*1244193.00*	
पंजीकरण सामग्री व्यय लेखा	*596695.00*	
सहायक स्टाफ व्यय लेखा	*10000.00*	
स्थल बुकिंग और सुविधाओं का उपयोग खर्च	*29996936*	
वेबसाइट का खर्च	*396480.00*	
आईटी कार्य	*118453.00*	
अनुदान/सब्सिडी		**4000000.00**
सहायता अनुदान खाता		*4000000.00*
निवेश से आय		**112897.00**
बैंक ब्याज		*112897.00*
कुल योग	**100168888.36**	**100168888.36**

		अनुलग्नक –I
रा.ज.वि.अ. आईडब्ल्यूडब्ल्यू		
ऋण और अग्रिम		
विवरण		
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विज्ञापन ई एस्टेट विज्ञान भवन के लिए अग्रिम	1,663,993.00	1663993.00
आईजीएनसीए के लिए अग्रिम	705,640.00	705640.00
मैसर्स इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड को अग्रिम	31,092,917.00	2320085.00
डीएआईसी को अग्रिम	195,880.00	195880.00
यूपीएसटी डीसी लि. को अग्रिम	1,210,808.00	
कुल	**34,869,238.00**	**4885598.00**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
जल मंथन – 31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र

		राशि रूपये में	
विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र निधि /पूंजीगत निधि	**1**	679393	663371
सुरक्षित पर अधिशेष	**2**		0
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	**3**		0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	**4**		0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	**5**		0
आस्थगित जमा देयताएं	**6**		0
चालू देयताएं तथा प्रावधान	**7**		0
कुल		**679393**	**663371**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	**8**	0	0
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	**9**	0	0
निवेश–अन्य	**10**	0	0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**11**	679393	663371
विविध व्यय बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक			
कुल		**663371**	

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2023 को जल मंथन के तुलन पत्र की अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि	राशि रूपये में	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ के दौरान में शेष	**663371**	**647774**
उप कुल (क)	**663371**	**647774**
बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश	0	**0**
निवला आय का जोड़/घटा	16022	15597
आय और व्यय खाते से स्थानांतरित व्यय		
उप कुल (ख)		
वर्ष के अन्त में शेष	**679393**	**663371**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

31.03.2023 को जल मंथन का आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

व्यय	अनुसूची	2022–23	आय	अनुसूची	2022–23	2021–22
स्थापना व्यय			विक्रय/सेवा से आय		0	0
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	0	अनुदान/सहायिकी	13	0	0
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय			(प्राप्त अप्रत्याादेय अनुदान एवं सहायिकी)			
ब्याज			शुल्क/सब्सक्रिप्शन	14	0	0
रा.ज.वि.अ. को भुगतान			निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों में निवेश से आय/निधियों से निधियों में		0	0
			किया गया अंतरण)		0	0
			रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	17	16022	15597
			अर्जित ब्याज			0
			अन्य आय			0
कुल (क)		**0**	**कुल (क)**		**16022**	**15597**

व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)

विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें) **16022** **15597**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2023 को जल मंथन का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

				(राशि रूपये में)
प्राप्ति	**2022–23**	**भुगतान**	**2022–23**	
आदि शेष प्राप्तियां		1. व्यय		
1 क. रोकड़ शेष	0	क. स्थापना व्यय		
ख. बैंक शेष		(अनुसूची 20 के तद्नुरूप)		0
बचत खातों में		ख. प्रशासनिक व्यय		
i. एस.बी.आई.	587420	(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)		0
		2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान		
2 प्राप्त अनुदान		लिंक नहर परियोजना		0
क. भारत सरकार से	0	**3 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**		
ख. राज्य सरकार से	0	क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय		0
		ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय		0
3 निवेश पर आय				
क उद्दिष्ट/विन्यास निधि	0	**4 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**		
ख अपनी निधि (निवेश पर)	0	अग्रिम (स्टाफ)		0
		अग्रिम (अन्य)		0
4 प्राप्त ब्याज				
क. बैंक जमाओं पर	16022	5 **ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी**		
ख. ऋण तथा अग्रिम आदि	0	ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		

5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)		**6 वित्त प्रभार (ब्याज)**		
		7 अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
6 उधार ली गई राशि–राजवअि	0	**रा.ज.वि.अ.**		0
7 कोई अन्य रसीदें (दिए गए विवरण)		**अंतिम शेष**		
		क. रोकड़ शेष		0
		ख. बैंक शेष		
		बचत खाते		
		1 एस. बी. आई.	603442	587420
कुल	603442	**कुल**	603442	587420

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2023 को जल मंथन के तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

		राशि रूपये में
अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
विवरण	**2022–23**	**2021–22**
क वर्तमान देयताएं		
अन्य. वर्तमान देयताएं		
बकाया व्यय	0	0
वेतन तथा भत्ते	0	0
किराया, दर तथा कर	0	0
प्रेषणा	0	0
पुराने चैक	0	0
रा.ज.वि.अ.	0	0
अंशदायी भविष्य निधि	0	0
भारत जल सप्ताह 2016 खाता	0	0
धरोहर राशि / सुरक्षित जमा	0	0
निष्पादन गारंटी जमा	0	0
सेवा निवृत्ति / ग्रेच्युटी निधि		
टी.डी.एस.	0	0
उप कुल (क)	**0**	**0**
प्रावधान	0	0
लेखापरीक्षा शुल्क	0	0
सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0	0
उपकुल (ख):	0	0
कुल	**0**	**0**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2023 को जल मंथन के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि		राशि रूपये में
विवरण	2022–23	2021–22
क वर्तमान परिसंपत्तियां		
आदि शेष		0
बचत बैंक खाता	603442	587420
डाक टिकट शेष		0
मार्गस्थ ड्राफ्ट		0
उप कुल (क)	**603442**	**587420**
ख ऋण अग्रिम एवं अन्य् परिसंपत्तियां		
ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को		
अन्य को	14101	14101
रा.ज.वि.अ.	0	0
उप कुल (ख)	**14101**	**14101**
ग प्राप्य दावे		0
सुरक्षा जमा खाते	61850	61850
उप कुल ग.	61850	61850
कुल	**679393**	**663371**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

वर्ष 2022–23 के लिए जल मंथन के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सहायिकी)		राशि रूपये में
विवरण	2022–23	2021–22
जल मंथन 2022 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि	0	0
कुल	**0**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 को जल मंथन के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–14 : शुल्क/सब्सक्रिप्शन		राशि रूपये में
विवरण	**2022–2023**	**2021–2022**
जल मंथन		
1 पंजीकरण/प्रतिनिधि शुल्क	0	0
2 वार्षिक शुल्क/ सब्सक्रिप्शन	0	0
3 सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	0	0
4 प्रायोजक शुल्क	0	0
5 प्रदर्शनी शुल्क		
6 सहयोगी देश भारतीय यूरोपीय संघ	0	0
7 निविदा शुल्क	0	0
कुल	**0**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 के लिए जल मंथन – आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज		राशि रूपये में
विवरण	2022–2023	2021–2022
क बचत बैंक खातों पर	16022	15597
ख ऋण एवं अग्रिमों पर	0	0
ग अन्य	0	0
कुल	**16022**	**15597**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 के लिये जल मंथन के आय एवं व्यय की अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची 18– अन्य आय राशि रूपये में		
विवरण	2022–2023	2021–2022
	0	0
	0	0
कुल	**0**	**0**

ह/-
(दीपक वर्मा)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार)
जल मंथन अनुसूची वर्ष 2022–23 के लिए आय और व्यय का हिस्सा

अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
यातायात व्यय	0	0
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	0	0
अन्य कार्य	0	0
आतिथ्य व्यय	0	0
डाक व्यय	0	0
बैंक शुल्क	0	0
पुष्प सजावट	0	0
किराया	0	0
पंजीकरण सामग्री व्यय	0	0
किताबें और फेरिकल्स	0	0
दूरभाष	0	0
विज्ञापन	0	0
टीए/डीए यय	0	0
टीए व्यय	0	0
स्मृति चिह्न व्यय	0	0
प्रतिनिधि किट व्यय	0	0
लॉजिस्टिक समझौता	0	0
विविध व्यय	0	0
कुल	**0**	**0**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार)
जल मंथन अनुसूची वर्ष 2022–23 के लिए आय और व्यय का हिस्सा

अनुसूची 21 क– अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
यातायात व्यय	0	0
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	0	0
अन्य कार्य	0	0
आतिथ्य व्यय	0	0
डाक व्यय	0	0
बैंक शुल्क	0	0
पुष्प सजावट	0	0
किराया	0	0
पंजीकरण सामग्री व्यय	0	0
किताबें और फेरिकल्स	0	0
दूरभाष	0	0
विज्ञापन	0	0
टीए/डीए यय	0	0
टीए व्यय	0	0
स्मृति चिह्न व्यय	0	0
प्रतिनिधि किट व्यय	0	0
लॉजिस्टिक समझौता	0	0
विविध व्यय	0	0
कुल	**0**	**0**

राजविअ जल मंथन				
तलपट				
1-अप्रैल-22 से 31-मार्च-23				
	राजविअ जल मंथन			
विवरण	1-अप्रैल-22 से 31-मार्च-23			
	प्रारंभिक शेष	**लेनदेन**		**अंतिम शेष**
		नामे	जमा	
पूंजी खाता	**663371.32**			**663371.32**
समग्र निधि खाता	*663371.32*			*663371.32*
वर्तमान परिसंपति	**663371.32**	*16022*		**663371.32**
ऋण और अग्रिम (परिसंपति)	75951.00			75951.00
आईटीडीसी के लिए अग्रिम	14101.00			14101.00
सुरक्षा जमा	61850.00			61850.00
बैंक खाते	587420.32	16022		603442.32
एसबीआई 61245985802	587420.32	*16022*		603442.32
अप्रत्यक्ष आय			*16022*	**16022.00**
बैंक ऋण			16022	*16022.00*
कुल योग		***16022***	***16022***	

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 के लिए पीएमकेएसवाई योजना के अधीन दीर्घावधि सिंचाई कोष–प्राप्तियां और भुगतान खाता

राशि रूपये में

	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I.	प्रारंभिक शेष			**I**	खर्च		
	क.) आदिशेष	0	0		क.) स्थापना व्यय (अनुसूची 20ए के अनुरूप)	0	0
	ख.) बैंक शेष						
	i चालू खातों में	0	0		ख.) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21क के अनुरूप)	0	0
	ii मार्गस्थ चेक/ड्राफ्ट	0	0				
II.	**प्राप्त अनुदान**	-	-	**II**	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान।		
	क.) भारत सरकार से	**37,578,462,273**	**37,359,994,600**		पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत राज्य को जारी केंद्रीय सहायता (सीए):		
	ख.) राज्य सरकार से	0	0				
III.	निवेश पर आय				आंध्र प्रदेश	0	0
	क.) उदि्दष्ट / विन्यास निधि	0	0		बिहार	0	0
	ख.) स्वयं का कोष (निवेश पर)	0	0		छत्तीसगढ	0	0
					गुजरात	0	0
IV.	प्राप्त ब्याज				झारखंड	0	0
	क.) बैंक जमा पर	0	0		कर्नाटक	0	0
					मध्य प्रदेश	0	0
V.	अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	0	0		मणिपुर	0	0
					महाराष्ट्र	0	0
VI.	**उधार ली गई राशि**				ओडिशा	0	0
	पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड से ऋण		**7,518,000,000**		पंजाब	0	0

					गोआ	0	0
VII.	कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)				राजस्थान	0	0
					तेलंगाना	0	0
					केरल	0	0
					उत्तर प्रदेश	0	0
					पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	0	7,518,000,000
					असम	0	0
					जम्मू और कश्मीर	0	0
					केंद्र शासित प्रदेश– लद्दाख	0	0
					उत्तर कोइल जलाशय	0	0
				III.	**निवेश और जमा**	0	0
				IV.	**अचल और पूंजी पर व्यय**	0	0
					कार्य प्रगति पर है	0	0
				V.	**ब्याज और दीर्घकालिक अग्रिम की वापसी**	0	0
				VI.	वित्त प्रभार (ब्याज)	0	
					राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण पर दिया गया ब्याज	**7,700,905,199**	**8,369,410,742.00**
					ईबीआर . पर	**14,710,314,300**	**14,460,313,682.00**
					ब्याज सबवेंशन	**4,929,055,514**	**5,100,000,000.00**
				VII.	मूलधन चुकौती	**10,238,187,260**	**9,430,270,176.00**
				VIII.	**अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
				IX.	अंतिम शेष		
					क.) नकद शेष	0	0
					ख.) बैंक शेष		
					i.) चालू खातों में		
					ii.) आरबीआई टीएसए खाता 10672601001	0	0
	कुल	**4487,79,94,600**	**7139,61,05,087**			**37,578,462,273**	**44,877,994,600.00**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2022–23 के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण प्राप्तियां और भुगतान खाता

							राशि ₹ में
	प्राप्तियां	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**		**भुगतान**	**वर्तमान वर्ष**	**पिछले वर्ष**
I.	प्रारंभिक शेष			**I.**	**खर्चे**		
	क.) आदिशेष	0	0		क.) स्थापना व्यय (अनुसूची 20ए के अनुरूप)	0	0
	ख.) बैंक शेष				ख.) प्रशासनिक व्यय		
	i चालू खातों में	0	0			2559770.00	0
	ii मार्गस्थ चेक/ड्राफ्ट	0	0		(अनुसूची 21क के अनुरूप)		
II.	**प्राप्त अनुदान**			**II.**	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान।		
	क.) भारत सरकार से	**6,243,446,772.00**	**46,420,313,000.00**		दौधन बांध परियोजना के लिये कैम्पा फंड मध्यप्रदेश	**39,477,00,000.00**	**36,263,000,000.00**
					के.बी.एल.पी–चरण । दौधन बांध		**2,038,600,000.00**
	ख.) राज्य सरकार से	0	0		के.बी.एल.पी–चरण ।। मध्य प्रदेश		**8,043,000,000.00**
					के.बी.एल.पी एमपीटीएफएस (मध्य प्रदेश टाइगर फांउडेशन सोसाइटी)	2217328000.00	
					के.बी.एल.पी. अन्वेषण प्रभाग, भोपाल		
					के.बी.एल.पी. अन्वेषण प्रभाग, झांसी		
III.	निवेश पर आय				विज्ञान भवन सम्पदा	40590.00	
					के.बी. लिंक की डीपीआर और परियोजना के अन्य सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य	56010495.00	
				III.	**निवेश और जमा**	0	0
	क.) उद्दिष्ट / विन्यास निधि	0	0	**IV.**	**अचल और पूंजी पर व्यय**	0	0
					अचल संपत्तियों की खरीद	971536.00	
	ख.) स्वयं का कोष (निवेश पर)	0	0		**प्रगति पर कार्य**	0	0
				V.	**ब्याज और दीर्घकालिक अग्रिम की वापसी**	0	0
IV.	प्राप्त ब्याज			**VI.**	वित्त प्रभार (ब्याज)	0	
	क.) बैंक जमा पर	89926	0		राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण पर दिया गया ब्याज	**0**	**0**
	विविध प्राप्ति	681					
V.	अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	0	0			**0**	**0**

VI.	**उधार ली गई राशि**						
	पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड से ऋण	**0**	**0**	**VII.**	ग्रांट रिर्टन लेप्स		**75,713000.00**
				VIII.	**अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
					कर्मचारियों को अग्रिम	**41700.00**	
VII.	कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)				जमा की वापसी	**65011.00**	
					बयाना राशि की वापसी	**940000**	
				IX.	अंतिम शेष		
					क.) नकद शेष		
	कंप्यूटर सहायक उपकरण				ख.) बैंक शेष		
					i.) केबीएलपी–ठीएसए	6,734,050.00	
	फर्नीचर				ii))एसबीआई वाणिज्य खता केबीएलपी	12,409,132.00	
	बयाना राशि	10000			iii) डाक	1,454.00	
	कर्मचारियों से प्राप्त	5000					
	जमा राशि	358359					
	कुल	**6243955738.00**	**46420313000.00**		कुल	**6,243,955,738.00**	**46420313000.00**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास एवं
गंगा संरक्षण विभाग)
भारत सरकार